Hvsllib/9

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

28 सितम्बर, 1995

खण्ड 2, अंक 4

अधिकृत विवरण

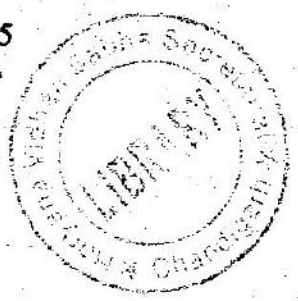

Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

विषय सूची

वीरवार, 28 सितम्बर, 1995

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(4)33
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)34
शोक प्रस्ताव	(4)50
मन्त्री-परिषद के विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव	(4)51
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	(4)64
अध्यक्ष द्वारा निरूपण—सदन में मर्यादा बनाये रखने सम्बन्धी	(4)95
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	(4)96
वाक आउट	(4)97
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	(4)97
मूल्य	

337 00

वर्ष 1989-90 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान (4)99

बैठक का समय बढ़ाना (4)101

बिल्ज—

(1) दि हरियाणा पचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 1995 (4)101

वाक आउट (4)103

बिल्ज (पुनरारम्भ)

(2) दि पंजाब विलेज कौमन लैण्डज (रैगुलेशन) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1995 (4)103

(3) दि पंजाब टाऊन इम्प्रूवमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1995 (4)105

(4) दि हरियाणा स्कूल एजुकेशन बिल, 1995 (4)106

बैठक का समय बढ़ाना (4)119

बिल्ज (पुनरारम्भ) (4)119

(5) दि हरियाणा सर्विस आफ इंजीनियर्ज क्लास I, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमैंट (बिल्डिंज एण्ड रोड्ज ब्रांच) (पब्लिक : ब्रांच) एण्ड (इरीगेशन ब्रांच) रिस्ट्रैक्टिविली, बिल, 1995 (4)121

बैठक का समय बढ़ाना (4)126

बिल्ज (पुनरारम्भ) (4)126

बैठक का समय बढ़ाना (4)134

बिल्ज (पुनरारम्भ) (4)134

वाक आउट (4)135

बिल्ज (पुनरारम्भ) (4)136

बैठक का समय बढ़ाना (4)139

बिल्ज (पुनरारम्भ) (4)139

बैठक का समय बढ़ाना (4)141

वाक आउट (4)142

बिल्ज (पुनरारम्भ) (4)142

ERRATA

TO

Haryana Vidhan Sabha Debates Vol. 2, No. 4,
dated the 28th September, 1995.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh
LIBRARY

Read	For	Page	Line
मन्त्री-परिषद	मन्त्रीपारषद	मुख्य पृष्ठ	18
वर्ष	वष	2	1
मुलाना	मूलना	7	20
चाहूँ	चाहू	22	9
office	offiee	51	34
Communication	oominication	5	34
बिजनैस	लिजनैस	55	13
सम्पत	तम्पत	57	2
objectionable	objectionabl	57	14
बजे	बज	60	22
कमी	कमी	63	16
यह	ह	6	21
घटना	घटाना	66	7
उठाए	उटए	76	9
भैंस	भस	76	24
देंगे	देंग	76	27
स्टेट	स्टट	77	16
बना	बा ।	81	29
चेयरमैन	चयरमैन	83	10
से	स	86	21
बैठे	बैठ	87	29
वाला	वला	88	2
एवं	एस	92	9
देंगे	दी	92	13
को	की	91	15
appeal	apeal	91	32
expect	except	95	30
और	शो	96	17

Read	For	Page	Line
हमारा	हमारी	96	28
गये	गय	97	10
तक	क	98	14
the	he	100	26
कौमन	फौमन	103	19
फरीदाबाद	फरादाबाद	109	20
ऐंड रौक	ऐंड रंक	110	4
स्कूलों	स्कलों	111	2
है	हं	111	7
आधा	आध	119	22
अपोजीशन	अपोजीशन	123	22
कन्टैम्प्ट	कन्टैप्ट	124	1
तो	ता	125	4
नुकसान	नकसान	125	27
कोर्ट	घोर्ट	129	24
नुकसान	नकसान	130	19
सरकार चाहेगी	ा कार चहेी	137	4
Department	Defartment	138	18
advice	advie)	138	18
भी बहुत सी	भा बहत सा	139	23
जे0 ई0	ज0 ई0	140	6
नए	नय	142	10
चौधरी	चौधरी	143	24

हरियाणा विधान सभा

बीरवार, 28 सितम्बर, 1995

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर—1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : साहेबान, अब सवाल होंगे।

Upgradation of Schools

***1202. Prof. Chhattar Singh Chauhan** : Will the Minister for Education be pleased to state the block-wise number of schools upgraded from Primary to Middle and Middle to High and from High to 10+2 system in the State during the year 1995-96?

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) : The statement is laid on the table of the House.

Statement

Name of the Block	Number of schools upgraded		
	Primary to Middle	Middle to High	High to Sr. Sec.
1	2	3	4	5
District Ambala			
1.	Morni	1	3	1
2.	Barwala	1	3	2
3.	Pinjore	8	6	3
4	Naraingarh	1	3	2
5.	Ambala	2	5	4
6.	Barara	3	3	3
7.	Raipur Rani	Nil.	1	Nil.

[Sh. Phool Chand Mullana]

1	2	3	4
District Bhiwani			
1. Bhiwani-I	—	1	1
2. Bhiwani-II	—	1	2
3. Bawani Khera	1	4	—
4. Tosham	1	3	2
5. Dadri-I	1	2	2
6. Dadri-II	1	2	2
7. Badhra	1	2	1
8. Loharu	1	—	2
District Faridabad			
1. Hathin	1	2	3
2. Hodal	1	2	1
3. Ballabgarh	3	1	1
4. Faridabad	1	2	4
5. Palwal	—	—	1
District Gurgaon			
1. Taurn	2	—	—
2. Punhana	1	1	2
3. Gurgaon	2	2	2
4 Farukhnagar	1	—	1
5. Pataudi	1	1	1
6. Nagina	1	—	—
7. Sohna	—	2	2
8. Nuh	—	2	1
9. Ferozepur Jhirka	—	1	1
10. Manesar	—	—	1

1	2	3	4	5
District Hisar				
1.	Ratia	3	1	2
2.	Bhuna	2	3	1
3.	Hansi-I	1	1	2
4.	Fatehabad	1	2	2
5.	Barwala	2	3	2
6.	Uklana	2	2	—
7.	Narnaund	2	—	1
8.	Siwani	3	1	—
9.	Agroha	1	2	1
10.	Adampur	3	1	4
11.	Hisar-I	3	2	2
12.	Hisar-II	2	4	1
13.	Tohana	—	2	2
14.	Bass	—	3	1
District Jind				
1.	Jind	1	2	2
2.	Julana	1	1	2
3.	Safidon	1	1	2
4.	Alewa	2	1	—
5.	Narwana	1	—	2
6.	Uchana	—	3	1
District Karnal				
1.	Assandh	2	2	1
2.	Jundla	2	—	1

[Sh. Phool Chand Mullana]

1	2	3	4	5
3.	Karnal	1	1	2
4.	Gharaunda	1	—	3
5.	Indri	1	1	—
6.	Nilokheri	1	—	2
7.	Nissing	—	2	1
District Kurukshetra				
1.	Babain	—	—	1
2.	Shahbad	2	—	1
3.	Pehowa	2	—	1
4.	Thanesar	2	3	—
District Kaithal				
1.	Kaithal	1	1	2
2.	Gulha	2	1	1
3.	Pundri	1	2	2
4.	Kalayat	(1+1 Unconfirmed.)	—	1
5.	Rajaund	1	—	1
District Mohindergarh				
1.	Narnaul	—	—	—
2.	Kanina	1	1	1
3.	Ateli	1	—	2
4.	Nangal Chaudhry	4	1	2
5.	Mohindergath	—	1	—
District Panipat				
1.	Panipat	1	1	3
2.	Bapoli	1	1	—

1	2	3	4	5
3.	Israna	1	1	—
4.	Madlauda	—	4	—
5.	Samalkha	2	—	1
District Rewari				
1.	Rewari	2	2	2
2.	Khol	1	1	1
3.	Nahar	—	1	1
4.	Bawal	—	—	1
5.	Jatusana	—	—	1
District Rohtak				
1.	Meham	2	—	3
2.	Kalanaur	1	3	1
3.	Bahadurgarh	1	—	1
4.	Jhajjar	1	—	—
5.	Sampla	3	2	3
6.	Beri	1	1	1
7.	Sahlawas	2	2	1
District Sirsa				
1.	Nathusari	—	1	—
2.	Sirsa	1	1	2
3.	Ellenabad	1	1	—
4.	Rania	2	2	1
5.	Dabwali	—	—	1
6.	Odhan	4	2	1
7.	Bara Gudha	2	—	—

[Sh. Phool Chand Mullana]

District Sonipat			
1. Kharkhoda	1	4	—
2. Ganaur	1	3	1
3. Rai	2	—	2
4. Sonipat	2	1	4
5. Gohana	3	3	1
6. Mudlana	1	—	1
7. Kathura	2	1	1
District Yamuna Nagar			
1. Jagadhari	2	2	2
2. Chhachhrauli	1	—	2
3. Radaur	1	1	1
4. Bilaspur	1	2	2
5. Sadhaura	1	—	—

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो स्कूल्ज अपग्रेड करने की लिस्ट जिलावाईज दी है, उस का क्राईटेरिया क्या है ? मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि पिंजौर में 8 प्राईमरी स्कूल से मिडिल अपग्रेड किए गए हैं और 6 मिडिल से हाई । इसी प्रकार 3 स्कूल्ज हाई से हायर-सैकेण्डरी में अपग्रेड किए गए हैं । भिवानी में कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया । इसी प्रकार दूसरे जिलों के ब्लाकस के साथ भी हुआ है । मैं जानना चाहता हूं कि पिंजौर ब्लाक में स्कूल अपग्रेड करने का क्या कोई क्राईटेरिया अलग था या कोई पोलिटिकल दबाव के कारण ऐसा करना पड़ा ? मैं जानना चाहता हूं कि जो दूसरे खण्डों के स्कूलों को अपग्रेड नहीं किया गया, उसका क्या कारण है ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, एक बात तो इन्होंने यह पूछी कि स्कूल अपग्रेड करने का क्या क्राईटेरिया है । मैं बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा क्राईटेरिया तो उस इलाके की आवश्यकता है । फिर इन्होंने जानना चाहा कि स्कूल्ज अपग्रेड करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए ? प्राईमरी से मिडल

स्कूल अपग्रेड करने के लिए कम से कम 150 स्टूडैंट्स होने चाहिएं और उस गांव की आबादी 500 के करीब होनी चाहिए। एक सवाल इनका यह था कि पिंजौर ब्लाक में 8 स्कूल अपग्रेड क्यों कर दिए। अध्यक्ष महोदय, शिवालिक एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां पर मिडिल तो क्या, प्राईमरी स्कूलों की भी कमी है। इस पिछड़े एरिया में शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। साथ ही एक बात कह दी कि भिवानी को और दूसरे जिलों को क्यों इग्नोर कर दिया। मैं इनको बताना चाहता हूं कि रिवाड़ी में छः स्कूल अपग्रेड हुए हैं। ये प्राईमरी से से मिडल हुए हैं और 5 स्कूल मिडल से हाई अपग्रेड हुए हैं और 2 स्कूल 10+2 में अपग्रेड हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पिछली पांच साला प्लान में 416 स्कूल अपग्रेड करने का टारगेट था जबकि हमने 944 स्कूल अपग्रेड किए हैं।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय, ने जवाब दिया कि आवश्यकतानुसार स्कूल अपग्रेड किए जाते हैं। इन्होंने भिवानी में 6 स्कूल अपग्रेड किए हैं और इधर पिंजौर में 20 स्कूल अपग्रेड किए हैं। क्या 6 और 20 का अनुपात मिडल से हाई स्कूल अपग्रेड करते समय क्राईटेरिया ठीक लगता है। मैं बताना चाहूंगा कि मेरी कांस्टीचुएंसी के एक गांव में 1926 से एक ही मिडल स्कूल है लेकिन उसको हाई स्कूल नहीं बनाया गया है। माननीय मन्त्री जी अम्बाला जिले से विधायक हैं और अम्बाला जिला से ही मिनिस्टर भी हैं। अम्बाला जिले में 20 स्कूल अपग्रेड किए गए हैं जबकि भिवानी जिले में केवल 6 स्कूल अपग्रेड किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, फूल चन्द मुलाना जी सारे हरियाणा के शिक्षा मन्त्री हैं, वे केवल अम्बाला के ही शिक्षा मन्त्री नहीं हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपया स्कूलों को अपग्रेड करने में कोई डिस्क्रिमिनेटिव नज़रिया न रखें।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रो० छत्तर सिंह जी ने कहा है कि अम्बाला जिले में 20 स्कूल अपग्रेड किए हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि इन 20 स्कूलों में 16 स्कूल प्राईमरी से मिडल अपग्रेड किए गए हैं। ये अम्बाला जिला की बात कर रहे हैं, इसमें अब दो जिले हैं, एक अम्बाला और दूसरा पंचकूला, जिसके साथ मोरनी जैसा पिछड़ा हुआ क्षेत्र भी शामिल है। भिवानी जिला के साथ कोई पोलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार की नीति बड़ी खुली नीति है और सरकार खुले दिल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, इसमें कोई पार्टी बेसड या जाति बेसड बात नहीं है। यह तो शिक्षा का क्षेत्र है और शिक्षा के विकास की नीति सरकार की है। जहां सरकार ने 400 स्कूलों को अपग्रेड करने का टारगेट रखा था, उसके मुकाबले में हमने 944 स्कूलों को अपग्रेड किया है (इस समय मेजें थपथपाई गई) और जहां आवश्यकता होगी हम और भी स्कूलों को अपग्रेड करेंगे।

तारांकित प्रश्न सं0 1208

प्रो0 छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, श्री कर्ण सिंह दलाल किसी कारण-वश चले गए हैं और जाते हुए मुझे तारांकित प्रश्न संख्या 1208 पूछने तथा पुट करने के लिए कह गए थे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझे रूल 52 के पार्ट (3) के तहत क्वैश्चन पुट करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : क्या उन्होंने आपको इन राईटिंग एथोराईज कर दिया है ?

प्रो0 छत्तर सिंह चौहान : जी नहीं, उन्होंने मुझे टेलीफोन पर कहा था इसलिए मेरा निवेदन है कि मुझे क्वैश्चन पुट करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : ऐसे एलाऊ नहीं किया जा सकता इसलिए आप बैठें, रिटिन अथोरिटी होनी चाहिए।

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल सदन में उपस्थित नहीं थे)

Sanctioned Posts of P.T.I., N.D.S. and D.P. Ed.

*1213. **Shri Azmat Khan** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the districtwise and blockwise number of sanctioned posts of P.T.I., N.D.S. and D.P.Ed. in the State; and

(b) the districtwise and blockwise number of posts out of those referred to in part (a) above lying vacant at present?

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) :

(a) & (b) The statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Statement showing the total number of sanctioned posts of P.T.Is, N.D.S.Is. and D.P.Ed. in the State and posts lying vacant at present (Districtwise and Blockwise)

			P.T.I		N.D.S.I.		D.P.Ed./DPE	
Sr. No.	Name of the Distt.	Name of the Block	No. of Posts Sanctioned	No. of Posts vacant	No. of posts provided by Central Govt.	No. of posts vacant	No. of posts sanctioned	No. of posts vacant
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ambala	Ambala	38	—	30	—	12	4
		Barara	30	—	—	—	15	10
		Naraingarh	30	—	2	—	4	—
		Pinjore	12	1	2	—	12	4
		Morni	6	1	—	—	3	—
		Barwala	5	—	2	—	5	—
		Ralpur Rani	13	—	—	—	3	—
			134	2	36	—	54	18
2.	Faridabad	Ballabgarh	39	1	7	—	9	2
		Faridabad	59	—	20	—	9	4
		Palwal	36	1	6	—	10	4
		Hodel	32	—	3	—	3	1
		Hathin	30	1	2	—	7	3
			196	3	38	—	38	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Gurgaon	Gurgaon	34	—	6	—	6	2
		Farukh Nagar	30	—	2	—	3	1
		Sohna	24	—	—	—	4	2
		Manesar	18	—	—	—	1	1
		Pataudi	22	1	2	—	3	1
		Nuh	19	1	—	—	1	1
		Tauru	11	1	1	—	1	—
		Ferozepur Jhirka	10	4	—	—	1	1
		Punhana	9	8	—	—	3	1
		Nagina	14	4	—	—	2	2
			191	19	11	—	25	12
4.	Jind	Narwana	32	2	1	—	4	3
		Uchana	32	2	1	—	4	2
		Jind	38	1	—	—	5	2
		Julana	24	1	—	—	3	2
		Alewa	13	1	—	—	1	1
		Safidon	19	—	—	—	5	1
		Pillu Khera	17	1	—	—	3	3
			175	8	2	—	23	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Kaithal	Kaithal	12	—	4	—	6	3
		Kalayat	10	—	2	—	4	3
		Rajaund	7	—	—	—	3	2
		Pundri	34	—	—	—	6	2
		Gulha	16	—	—	—	2	1
			79	—	6	—	21	11
6.	Kurukshetra	Pehowa	20	2	2	—	3	1
		Ladwa	14	1	1	—	1	1
		Shahbad	23	1	—	—	6	2
		Thanesar	27	2	2	—	5	—
		Radaur	3	—	—	—	—	—
		Pundri	3	—	—	—	—	—
		Nilokheri	1	—	—	—	—	—
			91	6	5	—	15	4
7.	Karnal	Karnal	21	3	10	—	5	2
		Nilokheri	25	3	—	—	3	2
		Indri	17	3	1	—	4	1
		Gharaunda	26	2	1	—	7	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jundla	219	13	—	—	5	2
		Assandh	221	31	—	—	4	3
			132	15	12	—	28	14
8.	Sonepat	Sonepat	45	—	2	—	7	4
		Ganaur	40	—	1	—	9	6
		Kharkhoda	35	—	1	—	9	4
		Rai	28	—	1	—	6	3
		Gohana	30	—	2	—	8	2
		Mudlana	28	—	—	—	6	3
			206	—	7	—	45	22
9.	Bhiwani	Bhiwani	65	—	4	—	12	6
		Tosham	29	—	—	—	3	3
		Bawani Khera	28	—	—	—	4	—
		Loharu	30		—	—	6	3
		Badra	21	—	—	—	3	—
		Dadri-I	29	—	1	—	10	7
		Dadri-II	23	—	1	—	4	2
			225	—	6	—	42	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Yamuna Nagar	Radaur	14	—	—	—	2	1
		Chhachharauli	19	—	1	—	6	4
		Bilaspur	17	3	2	—	3	2
		Jagadhari	42	—	10	—	9	5
		Sadhaura	4	—	1	—	—	—
			96	3	14	—	20	12
11.	Panipat	Bapoli	7	1	—	—	1	—
		Israna	16	2	1	—	1	—
		Madlod a	16	1	—	—	1	—
		Panipat	31	—	4	—	6	3
		Samalkha	24	1	1	—	2	1
			94	5	6	—	11	4
12.	Sirsa	Sirsa	22	3	—	—	8	1
		Rania	27	—	—	—	4	3
		Dabwali	23	6	—	—	5	3
		Nathusari	19	3	—	—	4	3
		Bara Gud a	21	—	1	—	—	—
		Kalanwali	22	—	—	—	—	—
			134	12	1	—	19	10

1.	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Hissar	Hissar-II	23	3	—	—	9	8
		Hissar-I	22	—	5	—	2	1
		Agroha	25	2	—	—	2	—
		Adampur	40	3	—	—	4	3
		Barwala	24	—	—	—	3	—
		Bhuna	30	3	—	—	3	2
		Bhattu Kalan	25	1	—	—	3	1
		Narnaund	25	1	—	—	4	2
		Hansi	20	1	—	—	4	1
		Fatehabad	24	2	—	—	5	3
		Ratia	43	2	—	—	2	1
		Tohana	20	2	1	—	3	1
		Siwani	—	—	—	—	2	—
			321	20	6	—	43	23
14.	Narnaul	Narnaul	30	—	—	—	5	1
		Nangal Chaudhry	19	1	—	—	1	1
		Ateli	28	1	—	—	4	2
		Kanina	20	1	—	—	3	1
		Mohindergarh	25	1	—	—	3	—
			122	4	—	—	16	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Rewari	Jatusana	25	2	1	—	3	—
		Khol	22	1	3	—	5	2
		Bawal	26	—	3	—	3	2
		Rewari	30	—	9	—	6	1
		Nahar	19	—	2	—	2	1
			116	3	18	—	19	6
16.	Rohtak	Beri	31	—	3	—	3	1
		Bahadurgarh	55	—	3	—	12	1
		Jhajjar	37	—	3	—	4	—
		Lakhanmajra	17	—	—	—	1	3
		Kalanaur	19	—	2	—	3	2
		Meham	24	—	4	—	5	5
		Rohtak	63	—	18	—	9	2
		Sampla	34	—	1	—	4	4
		Sahlawas	13	—	—	—	5	1
		Matan Hail	23	—	2	—	2	—
			316	—	38	—	50	19
		Grand Total	2628	100	206	—	469	209

श्री अजमत खां : अध्यक्ष महोदय, कुल मिला कर 469 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। सैंट्रल गवर्नमैंट की जो पोस्टें हैं वे सभी भरी हुई हैं। डी० पी० ई० की 100 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं जो भरी जानी आवश्यक हैं। खेल के क्षेत्र में हरियाणा के खिलाड़ियों ने काफी नाम कमाया है। हर जगह पर हमारे खिलाड़ी आगे रहे हैं। पी० टी० आई० की पोस्टें हाई स्कूल से आगे डी०पी० ई० में परमोट होती हैं। अगर ये पोस्टें नहीं भरेंगे तो क्या इससे बच्चों को नुकसान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि जो खाली पोस्टें पड़ी हैं उनको कब तक भर देंगे ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी वैकेंसीज हैं, उनको भरने के लिए सरकार प्रयासरत है। डी० ई० ओज० ने जो पोस्टें भरनी हैं, उनके लिए उनको हिदायतें दी हुई हैं। लैक्चररज की पोस्टें तथा जे० बी० टी० की पोस्टें भरने के लिए एस० एस० एस० बोर्ड कार्यवाही कर रहा है। जहां तक डी० पी० ई० की पोस्टस का ताल्लुक है, ये पोस्टें पी० टी० आई० में से परमोशन के द्वारा भरी जानी हैं। डी० पी० ई० की केवल 100 पोस्टें खाली हैं जोकि परमोशन के द्वारा भरी जानी हैं। इस बारे में डायरैक्टोरेट को हिदायतें दे दी हैं कि वे परमोशन केसिज को स्क्रूटनाईज करवाए। अध्यक्ष महोदय, ज्यों ज्यों स्क्रूटनाईजिंग हो जाएगी इन पोस्टों को परमोशन के द्वारा भर दिया जाएगा।

श्री अजमत खां : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि डी० पी० ई० की पोस्टें बाई परमोशन भरी जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, ये डी० पी० ई० का कोर्स भी करवाया जाता है। अगर पोस्टें बाई परमोशन भरी जानी हैं तो जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, वे कब तक इन्तजार करेंगे। क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर डी० पी० ई० की पोस्टें पी० टी० आई० में से बाई परमोशन भरी जानी हैं तो फिर इस कोर्स को करवाने का क्या फायदा है ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, जो विचार अजमत खां जी ने रखे हैं हम इनको भी एग्जामिन करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : मुलाना जी, स्टेट में बहुत से ट्रेन्ड पी० टी० आई० हैं और ये हजारों की संख्या में हैं। वे 1983-84 से ट्रेन्ड हैं। क्या आप कोई ऐसी स्कीम बनाएंगे कि ये 6 महीने का कन्डेंसड कोर्स करने के बाद जे० बी० टी० की जगह लग जाएं ? उनमें हायर सैकेन्डरी भी है, दस जमा दो और ग्रेज्युएट भी हैं।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, आपका सवाल वाजिब है लेकिन हमारे पास आज भी 28 हजार बेरोजगार बी० एड० किए घूम रहे हैं। हमने जे० बी० टी० की 3 हजार पोस्टें भरने के लिए उनसे दरख्वास्तें मंगवाई हैं। अब तक 24 हजार के लगभग एप्लीकेशंज आई हैं। पहले हम उनको एडजैस्ट करेंगे, इसके बाद फो

बी0 एड0 के साथ-साथ जे0 बी0 टी0 की भी ट्रेनिंग लेते हैं, उनको लगाना है, इसलिए यह संभव नहीं है कि इनसे बाहर हम किसी को लगा सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : जिनके बारे में मैं आपसे कह रहा हूं, वे डबल काम कर सकते हैं। वे पी0 टी0 आई0 और जे0 बी0 टी0 का काम भी कर सकते हैं। इस बारे में एक स्कीम आपके डायरेक्टर, स्कूल एजुकेशन में अन्डर एग्जामिनेशन है।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, हर पोस्ट के लिए क्वालीफिकेशन स्पेसीफाई की हुई है और उस क्वालीफिकेशन के मुताबिक जो भी कैंडीडेट इन्टरव्यू के लिए आते हैं, उनकी सिलेक्शन मैरिट के बेस पर जरूर होती है।

श्री अध्यक्ष : यह तो बात ठीक है लेकिन उन अनइम्पलाईड पी0 टी0 आई0 को आपने ही ट्रेनिंग करवाई हुई है, क्या उनके लिए भी आप कुछ करेंगे ? आप इस बारे में कंसीडर करें।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे पास ट्रेन्ड टीचर्ज नहीं होंगे तो हम कंसीडर करेंगे। अभी हमारे पास बी0 एड0 के ट्रेंड टीचर्ज हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या जे0 बी0 टी0 के नहीं हैं ?

श्री फूल चन्द मुलाना : वे भी हैं और हर साल 11 सौ के करीब टीचर्ज जे0 बी0 टी0 की ट्रेनिंग लेकर निकल रहे हैं, उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि उनको यह कहा जाता है कि हम आपको जे0 बी0 टी0 लगाएंगे।

Electricity Connections for Tubewells

*1231 **Shri Zile Singh** : Will the Minister for Power be pleased to state—

(a) the total number of applications for tubewells connections lying pending upto 31st August, 1995 in the State;

(b) the sub-division wise number of tubewell connections released during the period from 1st February 1994 to 31st August 1995; and

(c) whether any new scheme has been introduced by the Government to release the tubewell connections on priority basis, if so, the details thereof?

Power Minister (Shri Verender Singh) : A statement is laid on the table of the House.

[Shri Virender Singh]

STATEMENT

(a) As per present available statistics, there were 71875 applications for tubewell connections pending in the State as on 31st July, 1995.

(b) The statistics in Haryana State Electricity Board are maintained with a division as a unit. There are 234 sub-divisional/sub-offices presently existing in the State. Collection and compilation of information from these sub-divisions is a time consuming exercise and may not be commensurate with efforts. The number of private tubewell connections released in 49 Operation Divisions from 1st February 1994 to 31st July, 1995 were as follows :

Name of Op. Division	No. of connections released
1	2
Ambala	110
Ambala Cantt.	135
Panchkula	42
Yamuna Nagar	77
Jagadhri	172
Naraingarh	52
Kurukshetra	48
Shahbad	66
Pehowa	113
Kaithal	124
Pundri	198
Karnal	29
Karnal-I	120
Karnal-II	123
Panipat	48
Panipat S/U	295
Faridabad City	—
Faridabad Old	18
Ballabgarh	55
Palwal	90
Sonepat	20
Sonepat S/U	113
Gohana	56
Gurgaon	17
Gurgaon S/U	28

1	2
Sohna	82
Gurgaon OCC	141
Mohindergarh	157
Rewari	164
Dharuhera	93
Narnaul	101
Sirsa	100
Sirsa S/U	244
Dabwali	47
Bhiwani	21
Bhiwani S/U	469
Dadri	79
Jind	65
Narwana	199
Safidon	64
Rohtak	5
Rohtak S/U	11
Jhajjar	56
Bahadurgarh	10
Hisar-I	2
Hisar-II	30
Tohana	84
Fatehabad	77
Hansi	97
Total	4547

(c) A cash priority scheme for release of tubewell connections on over-riding priority basis has been introduced with effect from 31-5-95. Under this scheme, all the existing applicants who have submitted their test reports on or before 31-3-95 can receive priority under following options :

(i) Deposit of Rs 5,000/-, where connection through 20 metres L.T. cable can be released.

(ii) Deposit of Rs. 10,000/-, where connection can be released by extending existing L.T. line upto 366 metres, without any transformer augmentations.

(iii) Deposit of Rs. 10,000/-, where connection can be released through 20 metres L.T. cable and transformer augmentation upto 63 KVA.

[Shri Verender Singh]

(iv) Deposit of Rs. 15,000/-, where connection can be released by extending L.T. cable upto 366 metres and transformer augmentation upto 63 KVA.

A period of one month was given to exercise option with full deposit amount. A minimum of 20% connections are to be released under General Category. The scheme is applicable upto 31-3-96.

श्री जिले सिंह : अध्यक्ष महोदय, 19 महीने के अन्दर कुल 71,875 पैन्डिंग एप्लीकेशंज हैं, जिन में से 4,500 कनैक्शंज दिए हैं । रोहतक में झज्जर तहसील का जो मेरा हल्का है उसके अन्दर 56 कनैक्शंज दिए हैं । वह बहुत ही थोड़े हैं । मंत्री जी हमें यह बता दें कि इन्होंने सबडिविजन वाईज कितने कनैक्शन दिए हैं । दूसरे ये जो एप्लीकेशंज पैन्डिंग हैं इसमें से कितनी एप्लीकेशंज को ये पूरी कर सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, इनकी एक नई स्कीम है कि पांच हजार रुपए जमा करवाने के बाद अगर 20 मीटर की दूरी हो तो ये कनैक्शन दे देंगे । अगर कोई 10 हजार रुपए जमा करवाए तो एल० टी० सिस्टम की 366 मीटर की दूरी हो तो कनैक्शन दे देंगे । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ये पैसे जमा करवाने के बाद मैटिरियल सरकार देगी या कन्जयूमर देगा । इन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि minimum of 20% connections which are to be released under general category. यह कनैक्शन जनरल कैटेगरी से कैसे दिए जाएंगे । इसका क्या क्राइटेरिया है ? इसके लिए जो प्रायरटी रखी है वैसे देंगे या अलग से देंगे ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने जो तीन चार सवाल पूछे हैं उन बारे में मैं इनको विस्तार से बताना चाहूंगा क्योंकि उस बारे में बाकी सदस्य भी पूछना चाहेंगे । अध्यक्ष महोदय, आजकल जो बिजली बोर्ड के पास ऐप्लीकेशंज पैंडिंग हैं, वह 71 हजार के करीब हैं और जिनकी हमें टैस्ट रिपोर्ट मिल चुकी हैं वह करीब 25 हजार हैं । पिछले कई सालों से हम कुछ स्कीम्ज के तहत कनैक्शंज रिलीज कर रहे हैं । पिछले साल जो स्कीम चालू थी उसको हम सैल्फ फाईनैंसिंग स्कीम कहते थे । इस स्कीम के तहत सारे हरियाणा प्रान्त में हमें 3152 ऐप्लीकेशंज रिसीव हुई थीं और इन 3152 ऐप्लीकेशंज में से 3150 को कनैक्शंज रिलीज कर दिए गए थे और ये दो कनैक्शंज भी इसलिए रहते हैं कि कोर्ट में डिस्प्यूट चला गया । किसी ने कोर्ट में दावा कर दिया और स्टे आर्डर ले लिया । कोर्ट में यह कहा गया कि कोई आदमी कनैक्शंज लेकर वहां जमीन पर कब्जा करना चाहता है । इसलिए सर, चूंकि इनमें स्टे मिला हुआ है इसलिए ये दो कनैक्शंज अभी देने बाकी हैं । लेकिन बाकी कनैक्शंज रिलीज कर दिए गए हैं । उसके बाद हमने एक नयी स्कीम चालू की थी जिसको माननीय सदस्य भी जानते हैं । इस स्कीम के तहत पांच हजार, दस हजार या पन्द्रह हजार रुपये देकर कनैक्शन लिया जा सकता है । इसको हम कैश प्रायोरिटी बोलते हैं । अगर कुल बीस मीटर लाइन

लगाने की आवश्यकता हो तो इस स्कीम के तहत कनैक्शन दे देते हैं। इस तरह से स्पीकर सर, तीन या चार कैटेगरी सैल्फ फाईनेंसिंग स्कीम के तहत बनायी गयी हैं। इस स्कीम के तहत भी हमने 153 कनैक्शंज रिलीज कर दिए हैं। हमने इस स्कीम के तहत लोगों को एक महीने का टाईम दिया था और इसमें एक महीने में हमारे पास 1153 ऐप्लीकेसंज आई हैं और 153 कनैक्शंज हमने रिलीज कर दिए हैं। माननीय सदस्य ने हमसे सबडिवीजनवाइज इंफर्मेशन मांगी थी लेकिन हमने इनको यह इंफर्मेशन डिवीजनवाइज दी है क्योंकि सबडिवीजन 234 हैं और चूंकि हमें यह सवाल लेट मिला था इसलिए यह नामुमकिन था कि सब डिवीजनवाइज यह इंफोर्मेशन दी जाए लेकिन सर, अब हमने यह इंफर्मेशन कुलैक्ट कर ली है और यह इंफर्मेशन हमारे पास मौजूद है अगर यह जानना चाहेंगे तो हम इनको दिखा देंगे। वैसे इनका सब डिवीजन मातनहेल या कोसली लगता होगा। मातनहेल में 29 और कोसली में 3 कनैक्शंज रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा इन्होंने एक सवाल और 20 परसैन्ट के बारे में पूछा था। उसमें यह है कि अगर हमें 100 कनैक्शंज देने हैं तो हम 80 कनैक्शंज तो कैश प्रायोरिटी स्कीम के तहत देंगे और बाकी 20 कनैक्शंज जनरल कैटेगरी से देंगे। इस तरह से हम 100 कनैक्शंज में से 20 कनैक्शंज जनरल कैटेगरी से देंगे और इनकी सीनियरिटी बाकायदा पहले एडजस्ट की हुई है।

श्री जिले सिंह : स्पीकर सर, मंत्री जी ने बताया है कि 1153 ऐप्लीकेशंज नयी स्कीम के तहत आयी हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इन्होंने इस स्कीम को पब्लिश कराया था, दफ्तर में नोटिस लगाया था ? इसके इलावा यह भी बताएं कि जो 71875 ऐप्लीकेशंज पैंडिंग हैं और जो इनके ऐप्लीकैन्ट हैं, क्या वे भी इस स्कीम के तहत ऐप्लीकेबल हैं या नहीं ? अगर वे ऐप्लीकेबल हैं तो क्या सरकार या बिजली बोर्ड दोबारा से कोई सर्वे करवाकर इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, हमने इस स्कीम के लिए एक महीने का टाईम दिया था। साथ ही इस बारे में हमने नोटिस भी दिए थे। इस स्कीम के तहत हमारे पास एक महीने में 1158 ऐप्लीकेशंज आयी थीं यह मैं आपको ऐग्जेक्ट फिगर बता रहा हूं। परन्तु यह स्कीम सारे साल के लिए लागू है। इसमें जो 1158 ऐप्लीकेशंज हैं वह टोप प्रियोरिटी पर चली गयी हैं लेकिन जिन ऐप्लीकेशंज की टैस्ट रिपोर्ट अभी पैंडिंग हैं उनको हम फर्स्ट काम फर्स्ट सर्व के आधार पर कनैक्शंज देंगे।

श्री जिले सिंह : अध्यक्ष महोदय, किसान तो खेतों में, घरों में रहते हैं। वे ऐप्लीकेशन देकर बैठे हैं, उनको पता नहीं है कि नयी स्कीम कब से लागू हुई है। क्या पैंडिंग ऐप्लीकेशन जो हैं, उनको सरकार फाइंड आउट कराएगी ? क्या सरकार किसानों को इंफर्मेशन देकर कनैक्शन रिलीज करेगी और बताएगी कि अगर वे कनैक्शन लेना चाहते हैं तो उनका यह नंबर है। आप पैसे जमा करायेंगे, कनैक्शन मिल जाएगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : वैसे इसका नोटिस लगा दिया था, आप चाहें तो नोटिस फिर से रिपीट किया जा सकता है, फिर नोटिस लगा सकते हैं। पूरे एक साल तक यह स्कीम खुली है।

श्री जिले सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो ऐप्लीकेशनज पैंडिंग हैं क्या उन किसानों को पब्लिक नोटिस देकर या जे0ई0 और एस0डी0ओ0 इनको इत्तलाह देंगे कि आपके ऐस्टीमेट बना दिए गए हैं और जो किसान इंट्रैस्टिड हैं, वे पैसा जमा करा दें, उनको कनैक्शन दे देंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : वैसे उनको यह बात पता है। मैं यह बात असैम्बली में कह रहा हूं, यह स्कीम एक साल के लिए खुली है। आप चाहें तो सब-डिवीजन के बाहर फिर से नोटिस लगा देंगे।

श्री जिले सिंह : ठीक है, फिर से नोटिस लगवा दें जी।

प्रो0 छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जो स्कीम इन्होंने चालू की है, क्या यह रैगुलर है या जिनके कनैक्शन पैंडिंग थे, उन्हीं को दिए जा रहे हैं या कोई इसका अलग प्रोविजन रखा है ? मेरी समझ में यह आता है कि ये उतने ही कनैक्शन दे पाएंगे जितने पहले देते थे। आज हरियाणा में बाढ़ ने हर किसान की कमर तोड़ दी है और किसान आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है। वह इस सैल्फ फाइनैंसिंग स्कीम के अन्तर्गत पैसा नहीं भर सकता। किसान से इस स्कीम के तहत पैसा लेकर बिजली बोर्ड का घाटा पूरा नहीं होगा। इसके अलावा भिवानी सर्कल में कितने कनैक्शन पैंडिंग पड़े हैं, यह भी बताएं कि उनको आप कब तक कनैक्शन दे देंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैंने पहले ही बताया था कि जहां सैल्फ फाइनैंसिंग स्कीम के तहत जितने कनैक्शन थे वे टोटल रिलीज हो चुके हैं, अब कोई सैल्फ फाइनैंसिंग स्कीम नहीं है, उसके बजाय कैश प्रीयौरिटी स्कीम है। सैल्फ फाइनैंसिंग स्कीम में कुछ पैसा अधिक भरना पड़ता है, इसलिए उस स्कीम को बन्द करके इस नयी स्कीम को चालू किया गया है। जहां तक इनका दूसरा सवाल था कि भिवानी में कनैक्शन दिए जाएंगे इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि भिवानी में कनैक्शन जरूर देंगे, यह मैं आश्वासन देता हूं।

श्री हरि सिंह नलवा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरियाणा एक डिवैल्पिंग स्टेट है। हरियाणा जैसी छोटी स्टेट में 72 हजार ऐप्लीकेशंज, किसानों की ट्यूबवैल कनैक्शन की पैंडिंग हों तो यह बात कुछ अजीब सी लगती है। क्या ये कनैक्शन देने के लिए पावर जनरेट करने की कोई स्कीम गवर्नमैंट के विचाराधीन है या प्राइवेट पार्टी को पावर जनरेट करने के लिए इजाजत देने की स्कीम सरकार के विचाराधीन है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा बढ़िया सवाल नलवा साहब ने किया है। सभी माननीय सदस्य और आप भी भली भांति जानते हैं कि यह मौजूदा सरकार हरियाणा प्रदेश को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितनी चिंतित है और इसके लिये जो कदम सरकार उठा रही है और उठाने जा रही है, यह सब को विदित है, फिर भी मैं बता देता हूं। मैंने कल भी एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया था कि मौजूदा सरकार अपने आने वाले कुछ सालों में हरियाणा प्रान्त को बिजली के संकट से बिल्कुल मुक्त करना चाहती है और इसके लिये बहुत पग उठाये भी गये हैं। सब से पहला पग हमने यमुनानगर में 700 मैगावाट बिजली पैदा करने के लिए एक इजराईल की प्राईवेट कम्पनी आइजन बर्ग से एम-ओ-यू साईन किया है और उनके साथ प्रोमजरी ऐग्रीमेंट भी हो चुका है और यह सब कुछ बड़ी ही एडवांस स्टेज पर है। पी०पी०ए० भी साईन होने वाला है। इस के अलावा हिसार के अन्दर 1000 मैगावाट का थर्मल प्लांट भी हमने परपोज किया है। उसके बिडिंग डाकुमैंट्स तैयार हैं। इस बारे जल्दी ही अखबारों में सब कुछ आने वाला है और इस के लिए जमीन भी एक्वायर कर ली गई है। इसके अलावा एक 400 मैगावाट का गैस बेस्ड प्लांट फरीदाबाद में लगाने जा रहे हैं, वह एन०टी०पी०सी० लगाएगी। इसके लिए जमीन देखी जा रही है। टोटल बिजली हम खरीदेंगे। पी०पी०ए० साईन करना है, वह भी हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि शार्ट टर्म चार, चार साल, तीन तीन साल स्कीमें तैयार होने में लग जाते हैं। फौरी तौर पर बिजली कैसे पैदा की जाए इस पर भी विचार हो रहा है। डीजल जनरेटिंग सैट्स लगाए जाएंगे। हमने इसके लिये अखबारों में आफर दी है और आफर आई भी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नैगोशीएशन हुई है और उससे हम 900 मैगावाट बिजली जोकि डीजल से जनरेट होगी, पैदा करेंगे। इस बारे में एम०ओ०यू० साईन कर लिया है और एक, डेढ़ महीने में इसका पी०पी०ए० भी साईन हो जाएगा। इस तरह से 900 मैगावाट बिजली हरियाणा में और ऐड हो जाएगी। आज के दिन हरियाणा के अन्दर हम बिजली की जो कमी महसूस करते हैं, वह 900 मैगावाट की है लेकिन हमने 1000 मैगावाट का टारगेट रखा हुआ है और उसको हम 18 महीने के भीतर भीतर ऐड कर देंगे।

चौ० वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, ऊर्जा मन्त्री जी ने नौ सौ मैगावाट

10.00 बजे

बिजली और एक हजार मैगावाट तक डीजल सैटस से जनरेट करने की बात कही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह जनरेशन और उसकी ट्रांसमीशन और उसके कलैक्शन आफ बिल्ज का काम बिजली बोर्ड करेगा या वह जो प्राइवेट कम्पनी आएगी वह इस काम को करेगी। मैं अक्सर पार्टी मीटिंग में भी यह मामला उठाया करता था। नोएडा में तीन साल पहले यू०पी० वालों ने 75 मैगावाट बिजली पैदा करने के लिए कलकत्ता की एक प्राइवेट कम्पनी को काम दिया [illegible] ट्रांसमीशन का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, वह बिजली

[चौधरी बीरेन्द्र सिंह]

बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे । जो बिलों की कलैक्शन होगी, वह भी वही कम्पनी करेगी । मैं जानना चाहता हूं कि आप किस किस्म का प्रावधान करेंगे । प्राइवेट सैक्टर को किस हद तक कहा गया है । क्या बिजली बोर्ड के बहुत काम करेगा । कल भी यह बात आई थी कि पांच सौ करोड़ रुपए का बिजली बोर्ड को नुकसान किसानों को बिजली देने की वजह से होता है । यह गलत बात है । अगर इंडस्ट्रियल टाउनज को इस बिजली में से बिजली दी जाए, तो जो भाखड़ा से सस्ती बिजली हमें मिलती है वह किसानों को दी जा सकती है । आप किसानों से 50 पैसे प्रति यूनिट लेते हैं और आपको भाखड़ा की बिजली 26-21 पैसे के हिसाब से मिलती है । तो यह जो बार-बार बात उठाई जाती है कि किसानों को इतनी बिजली देनी पड़ती है इसलिए बिजली बोर्ड को घाटा होता रहता है, यह मिथ्या प्रचार है और किसानों के हित के खिलाफ है ।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, इन्होंने दो तीन बातें कहीं और मैं सभी का जवाब दूंगा । जो यह नई जनरेशन होगी डीजल सैट्स के द्वारा तो ये कम्पनियां केवल बिजली जनरेट करेंगी और वह बिजली परचेज हम करेंगे । उसका रेट भी हमने फिक्स कर दिया है एम0ओ0यू0 में । वह 75 यूनिट तक 2.40 रुपए होगा । अगर पी0एल0एफ0 87 चला जाता है तो उसका रेट 2.87 रुपए होगा । यह आज हिन्दुस्तान में लोएस्ट रेट है । किसी भी प्रदेश में इतना कम रेट नहीं है । इस रेट को हमने 15 साल तक रखा है । ट्रांसमीशन हमारे पास है, वह हम करेंगे । जो इन्होंने नोएडा वाली बात कही वह यह है कि नोएडा में यू0पी0 बिजली बोर्ड ने एक टैस्ट किया है । उन्होंने बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन एक कम्पनी को दे दी, रियलाइजेशन भी उनको दे दी । वह बात भी हमारे अंडर कंसीडेशन है कि यह काम बिजली बोर्ड प्राइवेट कम्पनी को दे या न दे । अगर हमने फैसला किया कि हमने भी बिलों की डिस्ट्रीब्यूशन तजुर्बे के तौर पर किसी जिले में देनी है तो वह गुड़गांव जिले में देंगे । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस काम के लिए कम्पनियां और हैं जो इस प्रकार का धंधा करती हैं । यह जनरेशन करने वाली कम्पनियां नहीं है । तीसरी बात जो इन्होंने कही कि किसानों के लिए प्रचार किया जाता है । मैं चौधरी साहब को स्पीकर साहब, द्वारा निवेदन करूंगा कि आज बिजली की एक यूनिट की कौस्ट हमें 1.73 रुपए पड़ती है और किसान से हम 50 पैसे यूनिट लेते हैं ।

आवाजें : आप भाखड़ा से मिलने वाली बिजली के रेट तो बतायें ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : यह मैंने एवरेज बताई है । यदि आप भाखड़ा से मिलने वाली बिजली के रेट जानना चाहेंगे तो वह भी मैं आपको बताऊंगा । स्पीकर साहब, 1.73 रुपए के बदले हम किसानों से 50 पैसे वसूल करते हैं यानि 1.23 रुपए का घाटा बिजली बोर्ड को सीधा वहन करना पड़ रहा है । हिन्दुस्तान में कोई ऐसा

प्रदेश नहीं जहां एग्रीकल्चर सैक्टर में 58 परसैंट बिजली दी जा रही हो सिवाय हरियाणा प्रदेश के । पंजाब से भी हायर साइड में हम हरियाणा प्रदेश के अन्दर किसानों को बिजली दे रहे हैं जहां तक भाखड़ा से जनरेट होने वाली बिजली के रेट का ताल्लुक है । भाखड़ा से हमें बिजली 17 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से मिलती है । इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन अकेली भाखड़ा से मिलने वाली बिजली किसानों को पर्याप्त रहेगी, सफिशिएंट रहेगी, ऐसी बात नहीं है । वह सफिशिएंट नहीं रह सकती ।

Ch. Birender Singh : Please allow half an hour discussion on it, being a very important question, Sir.

श्री बीरेन्द्र सिंह : किस क्वैश्चन के बारे में ?

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : इसी क्वैश्चन के बारे में ।

Shri Verender Singh : I am replying.

Mr. Speaker : You restrict yourself to the question only.

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैंने इनके हर सवाल का जवाब दिया है । हाफ एन आवर डिस्कशन की बात तब होती जब मैं जवाब देने के लिए टाईम मांगू ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप यह बताएं कि माइक्रो हाइडल से बिजली जनरेट करने की आपकी कोई स्कीम है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, दादुपुर में है, लेकिन वह बहुत ही थोड़ी है ।

श्री अध्यक्ष : नहरों में जो फाल्ज हैं, उनके लिए क्या आप प्राइवेट कम्पनियों से कंटैक्ट करते हैं ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : अब तो नहीं । कुछ साल पहले (1978-79 में जब मैं इस महकमे का इन्चार्ज था, तब हमने इस बारे में सर्वे करवाया था । जितनी भी नहरें हैं, उनमें कहीं भी स्कोप नहीं मिला । अगर आप कहते हैं तो हम दोबारा सर्वे करवा सकते हैं ?

सरदार जसविन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, जब जिला करनाल पुराना जिला हुआ करता था, वह सारा पैडी का एरिया हुआ करता था । अब उस जिले में से कुरुक्षेत्र और कैथल जिले अलाहिदा हो गए हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे रिवाड़ी और दूसरे एरियाज को बिजली सस्ते रेट पर दी जाती है, क्या उसी रेट पर हमारे एरिया को बिजली दी जाएगी क्योंकि हमारे एरियाज में भी 100-100 फुट पर बिजली की मोटरें लग रही है ? रिवाड़ी और दूसरे एरियाज में बिजली इसलिए सस्ती दी जा रही है क्योंकि वहां पर पानी बहुत गहरा है । स्पीकर साहब, आपको भी पता है कि हमारे जिले में भी अब बिजली की मोटरें

[सरदार जसविन्द्र सिंह]

100-100 फुट पर लगनी शुरू हो गई हैं । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि चूंकि हमारा जिला भी पैडी सीईन एरिया है, क्या वहां पर किसानों को ट्यूबवैल्ज के बिजली के कनैक्शंज प्रायर्टी बेसिज पर देंगे क्योंकि हमारे यहां पर बिजली की मोटरें 100-100 फुट पर लग रही हैं ? इस तरह से रिवाड़ी और दूसरे एरियाज के बराबर बिजली के रेट भी लिए जाएं । कादमा के लोगों ने अपनी शहीदियां दीं, इसलिए उनके बिजली के बिल कम कर दिए गये। डण्डे वालों का राज है, इसलिए उनके बिल कम कर दिए गए ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने सवाल किया कि जिस प्रकार से रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ जिलों को बिजली देने में कनसैशन दे रहे हैं क्या उसी प्रकार से करनाल, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों को भी बिजली दी जाएगी ? स्पीकर साहब, मैं इनको बताना चाहूंगा कि 7-9-95 को मुख्य मन्त्री जी की, किसान संघर्ष समिति के साथ बात हुई थी, उस समय सारे भिवानी, रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ जिलों की तरह सस्ती बिजली देने की घोषणा की थी यानि उस समय मुख्य मंत्री जी ने सारे भिवानी जिला को कनसैशनल रेट पर बिजली देने की घोषणा कर दी थी । लेकिन दो इलाके फिर भी रह गए थे । एक नाहड़ सब-तहसील का इलाका जहां पर 1970-71 में सस्ते रेट पर बिजली देने का फैसला लागू हुआ था, वह 1971 में सब तहसील का इलाका था, रीआर्गेनाइजेशन के वक्त शायद वह इलाका इधर उधर हो गया होगा; और पिंजौर ब्लाक का इलाका था । इन दोनों एरियाज के बारे में मेरी कल परसों मुख्य मन्त्री जी से बात हुई थी और मुख्य मन्त्री जी ने इन दोनों इलाकों को कनसैशनल रेट पर बिजली देने के लिए स्वीकार कर लिया है ।

Loss of Lives/Damage caused due to floods

*1227. **Prof. Ram Bilas Sharma** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total number of villages affected by the floods in the State during the month of September, 1995 togetherwith the number of persons died and houses damaged due to said floods; and

(b) the total financial loss caused to the cities due to the floods during the period as referred to in part (a) above ?

राजस्व मन्त्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी) :

(क) 25-9-95 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य के 16 जिलों में 2840 गांव सितम्बर 1995 में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं । 2,22,078 मकान क्षतिग्रस्त हुए तथा 167 व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

(ख) इस बाढ़ के कारण शहरों में हुए वित्तीय नुकसान का अभी अनुमान लगाया जा रहा है । क्योंकि अभी तक डी०सी० साहेबान की तरफ से पूरी रिपोर्ट नहीं आई है जो नुकसान हमने दिखाया है, पूरी रिपोर्ट आने पर इससे अधिक नुकसान होने का अंदाजा है ।

प्रो० राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से 6745 गांवों में से 2840 गांवों को बाढ़ से प्रभावित हुआ बताया है । इसमें तकरीबन 42,43 प्रतिशत देहात बाढ़ की चपेट में आये हैं । शहरों में हुए नुकसान का 100 करोड़ रुपये का अंदाजा है और कुल 1425 करोड़ रुपये का नुकसान फसलों का और दूसरा आंकड़ा है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन 2840 गांवों में क्या वे गांव भी शामिल हैं जहां पर बाढ़ का पानी तो नहीं गया लेकिन अधिक वर्षा होने और 2 तारीख को भूकंप के झटके आने के कारण नुकसान हुआ है ? अध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ़ तहसील में 10 गांव ऐसे हैं जहां पर इस भूकंप के कारण हरिजन बस्ती की आबादी के जो कच्चे मकान थे, वे ढह गए । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे नुकसान की लिस्ट भी इन्हीं गांवों में शामिल है या अलग से है ?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ और वर्षा का जो प्रकोप आया, उससे प्रभावित होकर मकानों को क्षति हुई । ये सारे अनुमानित गांव 2840 हैं जहां पर इस तरह की क्षति हुई है । सभी का कम्पलीट रूप से सर्वे करवा लिया गया है और सभी प्रभावित लोगों को मुआवजा देंगे ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सांसद श्री राम बिलास शर्मा जी को बताना चाहूंगा कि महेन्द्रगढ़ के 60 गांव इससे प्रभावित हुए हैं तथा 2849 मकान गिरे हैं, जिनका मुआवजा दिया गया है ।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ से 2840 गांव प्रभावित हुए हैं और 2,22,078 घर डैमेजड हो चुके हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वे इन्टीरियर विलेजिज, जहां अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया है, क्या वे इसमें शामिल हैं ? इसके साथ मैं यह पूछना चाहूंगा कि आज तक बाढ़ से जो नुकसान हुआ है, उसके बदले में सरकार ने क्या राहत दी है, जैसे कि बाढ़ के कारण मरने वाले लोगों के परिवारों को कितनी राशि दे चुके हैं या और क्या-क्या राहत उनको दी गई है ? बाढ़ के कारण लोगों के घरों, खेतों या दुकानों आदि के नुकसान के बदले में आज तक सरकार कितनी राहत दे चुकी है ?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक फसलों, दुकानों और मकानों आदि के नुकसान का ताल्लुक है, यह पूरा नुकसान तो सर्वे करवाने के बाद ही पता लगेगा । अभी कुछ आबादी ऐसी हैं जहां पर पानी खड़ा है, वहां पर अभी नुकसान का सर्वे नहीं करवाया जा सका है । जहां तक फसल की बात का संबंध

[चौधरी आनन्द सिंह डांगी]

है, अभी खेतों में 4-4, 5-5 फुट पानी खड़ा है, इसलिए इनका भी सर्वे नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, जितना नुकसान हुआ है, उसके लिए सर्वे के बाद सरकार के नियमानुसार तथा हिदायतों के मुताबिक प्रभावित लोगों को पेमेंट की जाएगी। बाढ़ के कारण जो मर गए हैं, उनके परिवारों को 50-50 हजार रुपये के हिसाब से अदायगी करवा दी है। जो रिपोर्ट बाद में आई है कि एक-दो आदमी डूबने के कारण मर गए या करण्ट लगने के कारण मर गए हैं, उनको भी 50 हजार रुपये के हिसाब से सभी परिवारों को सहायता दी जाएगी।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मेरे सवाल का जवाब अधूरा रह गया। मैंने इसके स्पष्ट पूछा था कि कुल कितना पैसा बाढ़ राहत कार्यों के लिए दिया गया है और कितने लोगों को बाढ़ का कम्पनसेशन दिया गया। जो लोग मारे गए हैं, उनमें से क्या कुछ लोग या परिवार रह गए हैं जिनको मुआवजा नहीं दिया गया, वे कितने परिवार हैं ? स्टेट खजाने से कितना पैसा इस कार्य के लिए दिया गया है और जिन लोगों को कम्पनसेशन दिया गया है, उनका नम्बर क्या है ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, दो दिन से बाढ़ के बारे में डिस्कशन चल रही है और 15-20 मिनट के बाद मैंने इस डिस्कशन का जवाब देना है। मैं पूरी तफसील के साथ सारे फैक्ट्स बताऊंगा कि सर्वे के मुताबिक कितने लोग बाढ़ से अफैक्टिड हुए हैं और कितना कम्पनसेशन दिया गया है। 23.65 करोड़ रुपया नैचुरल कैलेमिटीज के लिए बजट में रखा गया था, जिसमें से 2/3 पैसा भारत सरकार देती है और एक तिहाई पैसा स्टेट गवर्नमैंट का होता है। हालांकि बजट में 23.65 करोड़ रुपये इसके लिए रखे गए थे लेकिन हम अब तक 29 करोड़ रुपये की राशि रिलीज कर चुके हैं। सभी जिलों के डी0सीज0 को हिदायतें जारी की हुई हैं कि उन्हें जितना भी पैसा चाहिए, उसके लिए फौरन इत्तलाह करें ताकि पैसा रिलीज करके लोगों की सहायता के लिए दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, इस बारे तफसील से आगे इनको बता देंगे।

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि नम्बर आफ पर्सन्ज बताने में क्या दिक्कत है ? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि हम इतना पैसा डी0सीज0 को भेज चुके हैं लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कि डी0सीज0 को डिपार्टमैंटवाईज कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कैटेगोरिकली यह सवाल है कि अफैक्टिड लोगों को कितना पैसा दिया जा चुका है और कहां कितना पैसा खर्च हुआ है ? अगर पैसा खर्च नहीं हुआ तो कितना पैसा खर्च नहीं हुआ है तथा डिस्ट्रिक्टवाईज नम्बर आफ पर्सन्ज कितना है ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पैसा रिलीज किया है वह बता दिया है, ये अपना माईण्ड थोड़ा सा एप्लाई करें। 29 करोड़ रुपये जो अभी हमने रिलीज किए हैं उसके खर्च की लिस्ट हमारे पास नहीं आई है। जब हमारे पास लिस्ट आ जाएगी तभी तो सरकार बता पाएगी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ज्यों-ज्यों मांग आ रही है, त्यों त्यों हम मदद भेज रहे हैं। तकरीबन 177 लोग मारे गए हैं और हमने 50 हजार रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से हर जिले के डी0सी0 को भेज दिए हैं और बहुत सी जगहों पर पैसे दे दिए गए हैं।

Allotment of Plots to SCs and BCs

*1234 **Shri Daryao Singh** : Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any scheme to allot the plots to the persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in village Chhuchhakwas in Jhajjar Tehsil, if so, the details thereof ?

राजस्व मन्त्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी) : जी हां। प्लाट आबंटन हेतु पात्र व्यक्तियों की पहचान के लिए किए गए तीसरे सर्वेक्षण के अनुसार गांव छुछकवास, तहसील झज्जर, जिला रोहतक में 49 पात्र व्यक्ति–40 अनुसूचित जाति, 7 पिछड़ी जाति तथा 2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पाये गये हैं।

श्री बरियाम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि प्लाटों के आबंटन के लिए क्या इन्होंने पटवारी को हिदायतें दी थीं कि किस तरह से सर्वेक्षण किया जाए ? क्या पटवारी ने पैसे खाए हैं और जिन्होंने 150 या पांच सौ रुपए दिए हैं, उनको ही मकानों का आबंटन किया गया है ?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्लाटों के आबंटन के लिए पूछा है और कहा है कि पटवारी ने 150 से पांच सौ रुपए तक लिए हैं। अगर ये चार-पांच आदमियों से इस बारे में ऐफेडैविट दिलवा दें तो हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

Desilting of Canals

*1203 **Prof. Chhattar Singh Chauhan** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state the details of the amount spent on the desilting and maintenance of Canals in each circle of Irrigation Department in the State during the period 1992 to-date ?

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : The Circlewise details of the amount of expenditure incurred on the de-silting and maintenance of canals during the period 1992 to-date, is given in the attached statement.

[Ch. Jagdish Nehra]

STATEMENT

Statement showing Circle-wise Expenditure incurred on Desilting and Maintenance of Canals during the year 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995 to date

Sr. No.	Name of Circle	1992-93			1993-94			1994-95			1995 to date		
		Desilting	Maintenance	Total	Desilting	Maintenance	Total	Desilting	Maintenance	Total	Desilting	Maintenance	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	BWS, Circle-I, Hisar	50.83	75.14	125.97	43.99	54.60	98.67	141.27	63.29	204.56	7.95	66.21	74.16
2.	BWS, Circle-II, Hisar	19.72	20.53	40.25	15.11	48.91	64.02	31.66	62.81	94.47	16.66	38.29	49.95
3.	BWS, Circle, Sirsa	13.63	28.01	41.64	14.55	47.54	62.09	24.24	69.32	93.56	13.93	49.76	63.69
4.	BWS, Circle, Kaithal	29.78	145.47	175.25	16.14	62.84	78.98	30.86	75.36	106.22	8.63	43.81	52.44
5.	SYL W.S. Circle, Ambala	2.32	81.69	84.01	2.38	32.46	34.84	1.60	63.67	65.27	1.18	24.32	25.50
6.	JLN, W.S. Circle, Narnaul	2.44	26.50	28.94	3.71	40.00	43.71	2.09	19.40	21.49	2.16	11.36	13.52
7.	JLN, W.S. Circle, Rewari	7.49	28.66	36.15	1.20	23.14	24.34	0.92	15.61	16.53	—	3.54	3.54
8.	LWS, Circle, Bhiwani	6.53	12.00	18.53	8.89	13.88	22.77	2.06	7.40	9.46	0.50	2.95	3.45
9.	YWS, Circle, Bhiwani	8.85	10.30	9.15	16.00	3.82	21.82	51.28	5.17	56.45	18.55	3.098	[illegible]
10.	YWS, Circle, Rohtak	22.81	55.41	78.22	27.01	41.86	68.87	47.51	31.57	79.08	21.84	10.25	32.10
11.	YWS, Circle, Yamuna Nagar	4.03	14.04	18.07	—	6.79	6.79	4.00	27.78	31.79	4.02	58.50	62.52
12.	YWS, Circle, Karnal	14.53	29.93	44.46	20.91	19.47	40.38	37.53	21.35	58.88	30.18	46.66	76.84
13.	YWS, Circle, Faridabad	6.86	7.82	14.68	8.03	13.03	21.06	6.60	35.58	42.18	1.60	20.25	21.85
14.	YWS, Circle, Jind	3.40	12.19	15.59	5.60	24.20	29.80	24.20	35.00	59.20	16.09	12.01	28.10
15.	YWS, Circle, Delhi	6.70	—	6.70	3.35	—	3.35	24.15	—	24.15	—	19.39	19.39
	Total	199.92	547.69	747.61	186.67	434.62	621.49	429.97	533.31	963.68	142.99	406.29	549.28
	Grand Total	747.61 + 621.49 + 963.88 + 549.28 = 2881.66											

श्री० छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हम पिछले चार साल से लगातार हैड सर्कल में इरिगेशन डिपार्टमैंट से प्रार्थना करते आ रहे हैं कि नहरों की डी-सिल्टिंग की जाए लेकिन यह नहीं हुई और जिस वजह से यह कहर आज हरियाणा पर पड़ा । अगर डी-सिल्टिंग हुई होती तो आज यह तबाही नहीं होती । मैं इरीगेशन मिनिस्टर से पूछना चाहूंगा कि इन्होंने जो डिटेल दी है, उसमें ऐसा मालूम होता है कि उसमें कोई पोलीटीकल बात है । अध्यक्ष महोदय, भिवानी सर्कल, हिसार सर्कल, जींद जिला और दादरी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि भिवानी सर्कल को कितना पैसा दिया है । वहां पर सारी नहरें अटी पड़ी हैं । मिसाल के तौर पर हिसार में 1992–93 में 166 लाख रुपए 1993–94 में 162 लाख रुपए, 1994–95 में 289 लाख रुपए और 1995 में 124 लाख रुपए दिए हैं, जबकि भिवानी में, 1992–93 में 37 लाख रुपए, 1993–94 में 44 लाख रुपए और 1994–95 में 65 लाख रुपए दिए हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इतनी कम राशि क्यों दी है ? इसके क्या कारण हैं ? अध्यक्ष महोदय, भिवानी जिले की नहरों की आठ साल से छंटाई नहीं हुई है । 1987–88 में चौधरी देवी लाल के समय में वह छंटाई हुई थी, उसके बाद नहीं हुई है और इस बात को इनका महकमा भी मानता है । अध्यक्ष महोदय यह छंटाई सिर्फ कागजों में ही हुई है, सारे पैसे को घूना लगा है । वास्तव में हरियाणा में नहरों की डी-सिल्टिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है । क्या ये बताएंगे कि इतने कम पैसों से नहरों की छंटाई हो सकती है ?

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, इन्होंने जो यह कहा है कि भिवानी जिले में पैसा कम लगा है और दूसरी जगहों पर ज्यादा पैसा लगा है या पोलिटिकल बातें हुई और कहीं पर भी नहरों में छंटाई नहीं हुई, ठीक नहीं है । इन्होंने यह भी कहा कि नहरों की छंटाई न होने की वजह से ही यह भयंकर बाढ़ आयी है, तो मैं इस बारे में दो बातें कहना चाहूंगा । पहली बात तो यह कि इस बार जो बारिश हुई, वह इतनी हुई कि हमारे पास जो पिछला रिकार्ड इस बारे में उपलब्ध है, उससे कई गुना ज्यादा बारिश इस बार हुई है । सर, अमूमन तो हरियाणा में 350 मिलीमीटर से लेकर 400 मीलीमीटर तक बारिश होती है लेकिन इस बार 5 सितम्बर को 1200 मीलीमीटर बारिश हुई जबकि हमारे पास पहला उपलब्ध रिकार्ड 750 मिलीमीटर से 800 मिलीमीटर तक का है । इस बार उपलब्ध रिकार्ड से तीन गुना ज्यादा बारिश हुई है और इसी वजह से यह बाढ़ आयी । स्पीकर सर, घग्गर नदी में इस बार एक लाख 52 हजार क्यूसिक्स पानी आया, इतना पानी कभी नहीं आया । इसी तरह से मारकण्डा नदी में 83 हजार क्यूसिक्स पानी आया जो पिछले सौ सालों में इस नदी में इतना पानी कभी नहीं आया था । टांगड़ी नदी में 41 हजार क्यूसिक्स पानी इस बार आया जबकि इससे पहले इतना पानी कभी नहीं आया । इसी प्रकार से यमुना नदी में 5 लाख 36 हजार क्यूसिक्स पानी आया जो पिछले सौ सालों में दूसरी बार इतना ज्यादा पानी आया है । इस बार तीन चार बार बारिश बहुत

[चौधरी जगदीश नेहरा]

तेज हुई । जखेड़ा भी इस बार आया और ऐसा अन्दाजा है कि इस बार कहीं कहीं पर भूकम्प भी आया । इस तरह से सर, जो पानी घग्गर नदी की तरफ जाता था, वह नहीं जा सका और यमुना में भी ड्रेन नं0 आठ, दो और 6 का पानी यमुना के ओवर फलो की वजह से नहीं जा पाया । इन नदियों में पानी बहुत ज्यादा होने की वजह से पचास पचास मील लम्बी और दस दस फुट ऊंची पानी की शीट की शीट बन गयीं और आगे चलकर यह शीट भिवानी में लिफट के एरिया में लगी । सर, यह तो नैचुरल कैलेमिटी हुई जिसका रिकार्ड अभी तक भी हरियाणा में नहीं मिलता । जो हमारे पास रिकार्ड उपलब्ध है और जो सुना गया है, उसके अनुसार 1666 में इस तरह का भूकम्प और इतनी ज्यादा बारिश हुई थी और तभी के जमह पर थेड़ बने हुए हैं । सर, इस बार 500 से लेकर एक हजार उंगल तक बारिश हुई । इस बारिश ने इस बार जानवरों को और मनुष्यों को पटक-पटक कर मारा है और जो थेड़ यमुना एवं घग्गर नदियों के हैं, वह 1666 के ही हैं । स्पीकर सर, मेरे कहने का भाव यह है कि हमारे जो विपक्ष के भाई हैं, उनको ही इस बाढ़ की चिन्ता नहीं है, सरकार को भी इसकी उतनी ही चिंता है और इस बाढ़ के आने में सरकार का ही दोष नहीं है क्योंकि यह तो एक नैचुरल कैलेमिटी है । इस तरह की बाढ़ तो इस सैंचुएरी में एक बार ही आयी है । लेकिन जो इन्होंने सवाल किया है कि डी-सिल्टिंग और मैंटीनेंस नहरों की नहीं करवायी गयी, तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी बात नहीं है । इन्होंने यह भी कहा कि भिन्न भिन्न तरीकों से जो पैसा लगाया गया, वह भी ठीक नहीं लगाया । तो सर, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि हरियाणा में टोटल नहरें 1370 के करीब हैं और ड्रेन करीब 401 हैं । इतनी सारी नहरें और ड्रेनें एक साथ एक साल में ठीक नहीं हो सकती क्योंकि इतने पैसों का प्रावधान ही नहीं है । ये तो फेज वाइज ठीक होती हैं, यानी एक बार तीस चालीस को और दूसरी बार फिर इतनी ही नहरों और ड्रेनों को ठीक कराया जाता है । जहां जहां पर इनको ठीक करवाने की ज्यादा जरुरत थी, वहां पर ठीक किया गया है । इनको यह नहीं सोचना चाहिए कि सरकार भिवानी के खिलाफ है । ये हर बार कह देते हैं कि भिवानी में कुछ नहीं हुआ लेकिन सरकार के मन में इस तरह की कोई बात नहीं है । जहां जहां दिक्कतें हैं, वहां उनको ठीक करने के लिए प्रयत्न किए गए हैं और आगे भी हम प्रयत्न करेंगे । मैंने इस बारे में आंकड़े भी दिए हैं । हम नहरों के बीच में से मिट्टी एवं जाला निकालकर उनको ठीक कराते हैं ।

प्रो0 छत्तर पाल सिंह : स्पीकर सर, ये स्पीच क्यों दे रहे हैं। सप्लीमैंटरी का जवाब सप्लीमैंटरी की तरह से ही दिया जाना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Imprisonment to Police Officers/Officials

*1206 **Shri Karan Singh Dalal** : Will the Chief Minister be pleased to state whether any officers/officials of Police Department have been convicted and sentenced to Jail by the Supreme Court of India during the year, 1995 for Contempt of Supreme Court/ filing of false affidavit in the Apex. Court, if so, the names thereof, togetherwith the action taken or proposed to be taken against them?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : सर्वश्री अनिल डावरा, आई0पी0एस0, श्याम लाल गोयल, आई0पी0एस0 तथा राजेन्द्र सिंह निरीक्षक नं0 45/एच को न्यायालय की अवमानना हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 2–5–95 को क्रमशः 2, 3 और 3 महीने की साधारण कैद की सजा दी गई थी। उन्हें 2–5–95 से निलम्बित किया गया था। उनकी सजा की अवधि पूरी होने पर उन्हें उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही पर बिना किसी प्रभाव के बहाल किया गया था। इन तीनों अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

Opening of College in the State

*1214. **Shri Azmat Khan** : Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a College at Hathin in district Faridabad; if so, the time by which the said College is likely to be opened ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : जी नहीं, प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Supply of Ganga Water to Haryana State

*1232. **Shri Zile Singh** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether any proposal was sent to the Central Govt. for getting water of Ganga River to the State of Haryana; if so, the details thereof together with the action taken thereon by the Central Govt. ?

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा) :

(क) हां श्रीमान जी, गंगा नदी का पानी प्राप्त करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा था।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग ने यह कह कर प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया कि कोई फालतू पानी उपलब्ध नहीं है।

Agricultural Land Affected by Floods

*1228. **Prof. Ram Bilas Sharma** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total area of agricultural land affected by floods in the State during the month of September, 1995; and

(b) the loss of crops in terms of rupees, caused by the floods in the area as referred to in part (a) above ?

राजस्व मन्त्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी) :

(क) 25-9-95 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार सितम्बर, 1995 में आई बाढ़ के कारण राज्य में 17.86 लाख एकड़ कृषि भूमि प्रभावित हुई है ।

(ख) फसलों को हुई अनुमानित क्षति लगभग 142.5 करोड़ रुपये है ।

Providing of Emergency Service in Jhajjar Hospital

*1235. **Shri Daryao Singh** : Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide 24 hours casualty services in the Civil Hospital, Jhajjar ?

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदा मन्त्री (बहन करतार देवी) : यहां पर अलग से आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, झज्जर में 24 घण्टे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Loan given by H.S.I.D.C.

265. **Dr. Ram Parkash** : Will the Minister for Industries be pleased to State—

(a) the districtwise names and addresses of the persons to whom loan has been advanced by HSIDC during the period from April, 1991 to date togetherwith the detail of amount thereof; and

(b) the number of persons out of those referred to in part (a) above belonging to Scheduled Castes and Backward Classes ?

उद्योग मन्त्री (श्री ए ०सी० चौधरी) :

(क) तथा (ख) : सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है ।

सूचना

1-4-95 से 15-7-95 तक दिये गये अवधि ऋण (टर्म लोन) की सूची

क्रमांक	नाम एवं पता	दी गई राशि (रुपये लाखों में)	संस्थापक का नाम	क्या एस० सी०/एस० टी०/बी० सी० द्वारा स्थापित किया गया
1	2	3	4	5
फरीदाबाद				
1.	बी०सी०ए स० इन्टर-प्राइजिज प्रा० लि०, गांव निमका, होडल, फरीदाबाद ।	54.31	श्री डी०पी० वशिष्ट	नहीं
2.	एस०एन०एस० लेबो-रेटरीज लि०, दिल्ली मथुरा रोड, गांव पिरथला, तहसील पलवल, जिला फरीदाबाद ।	20.49	श्री विपिन कुमार सिंगल	नहीं
3.	दिपक इंडस्ट्रीज लि० 14/7 मथुरा रोड, फरीदाबाद ।	30.43	श्री एम०आर० दगा	नहीं
4.	सुपर सीलस इंडिया लि० मथुरा रोड, फरीदाबाद ।	201.28	श्री कमल तलवार	नहीं
5.	सतारवायर लि०, 21/4 मथुरा रोड, बल्लभगढ ।	38.91	श्री एस०आर० गुप्ता	नहीं

[श्री ए0 सी0 चौधरी]

1	2	3	4	5
6.	अर्पणा प्रिंट पैक प्रा0 लि0 23-1, डी0एल0एफ0 इंडस्ट्रियल एरिया, फरीदाबाद।	95.00	श्री डी0के0 महेश्वरी	नहीं
7.	आईशर ट्रैक्टरस लि0, 39, इंडस्ट्रियल एरिया, फरीदाबाद।	108.00	श्री विक्रम पाल	नहीं
8.	ई0सी0ई0 इंडस्ट्रीज लि0 गांव निमका, जिला फरीदाबाद।	150.00	श्री आर0एन0 बजु	नहीं
9.	शिवालिक प्रिंटस प्रा0 लि0, 1297, सैक्टर 15, फरीदाबाद।	34.97	श्री वी0के0 जिंदल श्री महिन्द्र सिंह	नहीं
10.	हिन्दुस्तान लेदर एक्स-पोर्टस लि0, फरीदाबाद	98.00	श्री गुरचरण सिंह	नहीं
11.	सुपर सीलस इंडिया लि0 नजदीक बबरपुर बोर्डर, मथुरा रोड, फरीदाबाद।	19.45	श्री राकेश जैन	नहीं
12.	गुप्ता मशीन टूल्स (प्रा0) लिमिटिड, प्लाट नं0 24 फरीदाबाद।	126.50	श्री मोहन गुप्ता	नहीं
13.	टलबरोस आटोमोबाइल्ज कम्पोनेंटस लिमिटिड 74, सैक्टर 6, फरीदाबाद।	32.28	श्री राजीव कपूर	नहीं

1	2	3	4	5
14.	तौशी याटो इंडिया प्रा0 लिमिटिड 12/2 मथुरा रोड, फरीदाबाद।	97.22	श्री डी0के0 जैन	नहीं
15.	इंडियन एल्यूमिनियम केबल्स लिमिटिड, 12/1, माइल स्टोन, दिल्ली मथुरा रोड, फरीदाबाद।	38.28	श्री एस0एस0 भूवानियां	नहीं
16.	डल्कान टैक्सटाईल्ज लिमिटिड, एच0एस0 आई0डी0सी0, इंडस्ट्रियल एस्टेट, फरीदाबाद।	124.70	श्री एस0एस0 सिंगल	नहीं
17.	खेमका कंटेनरस लिमिटिड, 287, सेक्टर 24, फरीदाबाद।	150.00	श्री शिव खेमका	नहीं
18.	प्रेम सन्ज एम्बरोयडरी लिमिटिड, 17/6 मथुरा रोड, फरीदाबाद।	67.00	श्री रमेश मल्होत्रा	नहीं
19.	ओरियन्ट स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटिड, 20/1, मथुरा रोड, फरीदाबाद।	27.60	श्री पी0के0 राजगरिया	नहीं
	कुल	1514.42		
गुड़गांव				
1.	सपना सेरमिक्स (प्रा0) लिमिटिड, उद्योग विहार, गुड़गांव।	11.00	श्री बी0डी0 अग्रवाल	नहीं

[श्री एम0 सी0 चौधरी]

1	2	3	4	5
2.	इन्टरपोल कम्युनिकेशन्स लिमिटिड, 244–245, उद्योग विहार, गुड़गांव।	19.72	श्री सुरजीत मलिक	नहीं
3.	रिजब फूड्स प्रोडक्टस, रोज-का-मेव, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुड़गांव।	3.77	प्रो0 श्याम सिंह	नहीं
4.	अनेक्सो इंजीनियरिंग, प्रा0 लिमिटिड, उद्योग विहार, गुड़गांव।	150.50	श्री रमेश कपूर	नहीं
5.	पशुपति टेक्नोफैब लिमिटिड, रोज-का-मेव गुड़गांव।	29.85	श्री राजन गुप्ता	नहीं
6.	लेसर लैम्पस (हरियाणा) लिमिटिड, प्लाट नं0 46 सेक्टर 18, मारुति इंडस्ट्रियल कम्पलैक्स, गुड़गांव।	10.00	श्री डी0के0 जैन	नहीं
7.	इनोवेटिव टैक पैक, रोज–का मेव, गुड़गांव।	150.00	श्री के सायजी रॉव	नहीं
8.	न्यु0 एच0 तलब रोज लिमिटिड 400, उद्योग विहार, गुड़गांव।	49.75	श्री नरेश तलवार	नहीं
9.	वाटिका रिसोरटस लिमिटिड फार्म हाऊस सोहना, जिला गुड़गांव।	16.24	श्री अनिल भल्ला	नहीं

1	2	3	4	5
10.	मारूति कंबरो इंडिया (प्रा0) लि0 खांडसा रोड, गुड़गांव ।	123.25	श्री पी0 के0 जैन	नहीं
11.	सन्दार लोकिंग (प्रा0) लिमिटिड उद्योग विहार, गुड़गांव ।	72.30	श्री जयन्त ठाकर	नहीं
12.	क्लासिक डॉयल्स (प्रा0) लि0, 367 फ़ेज 2, उद्योग विहार, गुड़गांव ।	32.22	श्री एस0 सी0 जैन	नहीं
13.	रघबीर मशीनरी लिमिटिड नरसिंगपुर जयपुर हाइवे, गुड़गांव ।	130.92	श्री रघबीर प्रसाद	नहीं
14.	चावला एंटरप्राइजिज लिमिटिड प्लाट नं0 14, सेक्टर 18, मारूती इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स, गुड़गांव ।	53.60	श्री के0 एस0 चावला	नहीं
15.	ओ0 के0 प्ले इंडिया लिमिटिड 17, रोज-का-मेव, इंडस्ट्रियल एस्टेट, सोहना, जिला गुड़गांव ।	108.81	श्री राजन हाण्डा	नहीं
16.	परासा इलैक्ट्रोनिक्स लि0, 249-सी, उद्योग विहार, फेज-4, गुड़गांव ।	102.20	श्री शरद कपूर	नहीं
17.	वलसपन पोली बटन लि0 2/1 ब्रहमपुर रोड, खण्डसा 38 कि0 मी0, नैशनल हाई-वे, गुड़गांव ।	20.50	श्री अंजनी गोनका	नहीं

[श्री एं0 सी0 चौधरी]

1	2	3	4	5
18.	शबस पौलीवलैकल लि0, 2/2 ग्रहमपुर रोड़, खंडसा, 38 कि0 मी0 नेशनल हाईवे, गुड़गांव ।	90.64	श्री अंबनी गोनका	नहीं
19.	फोनिक्स फारमासु-टिकलस लि0, रोजकामेव, गुड़गांव ।	50.00	श्री श्री0 के0 ऋनिक	नहीं
20.	रिसब सिमेंट लिमिटिड, गांव, सुनैरी, सब तहसील तावडू, जिला गुड़गांव।	2.78	श्री राकेश जैन	नहीं
21.	बरलो सेन्ट इन्टरनेशनल लिमिटिड, 260, उद्योग विहार, फेज–1, गुड़गांव ।	49.88	श्री अनुज बोहर	नहीं
22.	एक्स0 ओ0 संटमपींगस लिमिटिड, उद्योग विहार, गुड़गांव ।	47.90	श्री नरेश तलवार	नहीं
23.	मुरजी सुपर टैक इंडसट्रिज लिमिटिड, उद्योग विहार, गुड़गांव ।	109.50	श्री के0 एस0 मुरजी	नहीं
24.	परफैक्ट पैल प्राईवेट लिमिटिड, प्लाट नं0-527, फेज–5, उद्योग विहार, गुड़गांव ।	86.00	श्री अशोक कुमार	नहीं
25.	नरायण ज्वैलस इन्टरनेशनल लिमिटिड, 39–40 उद्योग विहार, फेज–4, गुड़गांव ।	56.00	श्री अमृत नारायण	नहीं

1	2	3	4	5
26.	नीटक्स इंडिया लिमिटिड, एच0 एस0 आई0 डी0 सी0, उद्योग विहार, गुड़गांव ।	50.80	मिस दिल्ली श्रीवास्तवा	नहीं
27.	विमल मोलडरस लिमिटिड, उद्योग विहार, फेज–4, गुड़गांव ।	115.00	श्री अबनेस बतरा	नहीं
28.	मारुती सिनटेक्स (इंडिया) लिमिटिड, मारुती इंडस्ट्रियल कम्पलैक्स, गुड़गांव ।	85.00	श्री वेद मेहता	नहीं
29.	विनायक जक्कार्ड लि0, 216, उद्योग विहार, गुड़गांव ।	12.73	श्री संदीप अग्रवाल	नहीं
30.	ग्लोबल इंडस्ट्रिज लिमिटिड पी0 ओ0 दमदमा, सब तहसील सोहना, जिला गुड़गांव ।	140.00	श्री आर0 पी0 सिंह	नहीं
31.	टेक्नो वेसलैस लि0 रोज–का–मेव, गुड़गांव ।	55.60	श्री कल्याण दत्त राय	नहीं
32.	जीवन फ्लोरा लि0 गांव हरचंदपुर, निमोत, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव ।	30.00	श्री जे0 के0 जैन	नहीं
33.	सर्वप्रिया इंडस्ट्रिज प्रा0 लि0 29 कि0 एम0 स्टोन, दिल्ली–जयपुर हाईवे, गुड़गांव ।	106.00	श्री मदन खिंदल	नहीं
	कुल :	2162.46		

[श्री ए0 सी0 चौधरी]

1	2	3	4	5
यमुनानगर				
1.	प्रकाश सट्रिप्स (प्रा0) लि0 देवी भवन बाजार, जगाधरी-135003।	74.59	श्री जे0 पी0 गोयल	नहीं
2.	शक्तिमान सिमेंट लि0 पुलिस स्टेशन के पीछे, 31, इंडस्ट्रियल एरिया, यमुनानगर।	66.95	श्री अश्वनी कुमार	नहीं
3.	ममता सिमेंटस क0 (प्रा0) लि0 गोबिंदपुरा, यमुनानगर।	26.24	श्री संजय शर्मा	नहीं
4.	अडवांस सिमेंटस लिमिटड मार्फत कृष्णा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, छछरौली रोड, जगाधरी।	20.00	श्री प्रभात चंद्रा	नहीं
5.	कमल इंजीनिरिंग लि0 56-इंडस्ट्रियल एस्टेट, पो0 बा0 न0 – 51, यमुनानगर।	17.28	श्री अनिल कुमार चंद	नहीं
6.	आर0 डी0 एक्सटरूजंस लि0 बी0 पी0 ओ0 उधमगढ़, छछरौली रोड, जगाधरी-135003।	80.70	श्री प्रेम एस0 शर्मा	नहीं
	कुल :	285.76		
अम्बाला				
1.	हरियाणा निटरों केम लि0 गांव, मनका, पी0 ओ0 रामगढ़, जिला अम्बाला।	115.64	श्री संजीव आहलुवालिया	नहीं

1	2	3	4	5
2.	गैल्डस लैमिनेटस लि0 इण्डस्ट्रियल एरिया, पंचकूला ।	132.06	श्री जगदीश गुप्ता	नहीं
3.	कृष्ण कन्हैया मिल्क फुडस लि0, साहा, अम्बाला ।	140.41	श्री अरूण गुप्ता	नहीं
4.	लिलिका सिमेंटस (प्रा0) लि0 गांव जसपुर, तहसील नारायणगढ (अम्बाला)	33.00	श्री दीपक कुमार गुप्ता	नहीं
5.	ए0 एम0 ऑयलस एंड फैटस (प्रा0) लि0 गांव अलीपुर, पंचकूला ।	150.00	श्री अशोक मोहन बंसल	नहीं
6.	अम्बाला सिमेंटस लि0 5204, पहली मंजिल, डी0 सी0 रोड, अम्बाला कैण्ट ।	20.00	श्री सुनील चंद्रा	नहीं
7.	पोलो होटलस लि0 नजदीक घग्घर पुल, पंचकूला ।	120.00	श्री विकास पाल गर्ग	नहीं
8.	पारड़ केम लिमिटड 45-इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2, पंचकूला ।	94.00	श्री अश्वनी सोनी	नहीं
9.	गोल्ड लेमिनेटस लि0 214, एच0एम0टी0 इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-1, पंचकूला ।	74.50	श्री आई0 डी0 कम्बोज	नहीं
10.	पवन एग्रो फूडस लि0 गांव खरावली, (कालका) जिला अम्बाला ।	40.00	श्री रमेश गुप्ता	नहीं

[श्री ए0 सी0 चौधरी]

1	2	3	4	5
11.	स्वास्तिक एग्रो ऑयल लि0 7वां कि0 मी0 माईल स्टोन, गांव व तहसील बलरा, हिसार रोड, अम्बाला शहर ।	140.10	श्री एन0 के0 जैन	नहीं
12.	पूनी रोयल टैक्सटाइलस लि0 406, फेज–2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकुला ।	152.80	श्री अरविन्द महाजन	नहीं
13.	पाम रफिया लि0, गांव कोला, नजदीक पिंजौर, जिला अम्बाला ।	90.00	श्री आर0 एस0 सन्धु	नहीं
	जोड़	1302.51		

सोनीपत

1.	रोजा टैक्सटाइलस लि0, गांव खिड़ाना, जिला सोनीपत ।	45.00	श्री रवीन्द्र गर्ग	नहीं
2.	ज्योति ग्रायल इंडस्ट्रीज लि0 भालगढ रोड, सोनीपत ।	44.90	श्री विजय अग्रवाल	नहीं
3.	पिकनिक इंडिया लि0, जी0टी रोड़, पानीपत ।	150.00	श्री एस0 सी0 वर्मा	नहीं
4.	ज्योति वनस्पति एण्ड अलाइड इंडस्ट्रीज लि0, भालगढ रोड़, सोनीपत ।	150.00	श्री विजय अग्रवाल	नहीं

1	2	3	4	5
5.	भावनी पिगमेंटस लि0, खोक होडा, जिला सोनीपत ।	30.00	श्री ए0 एल0 गर्ग	नहीं
6.	इन्डो एशियन फ्यूजगेर लि0, जी0 टी0 रोड़, मुरथल ।	182.50	श्री वी0 पी0 महेन्द्र	नहीं
	जोड़	602.40		
पानीपत				
1.	प्रवर स्पीनर्ज (प्रा०) लि0, इंडस्ट्रियल एरिया, पानीपत ।	148.98	श्री डी0 पी0 जैन	नहीं
2.	गाबा ओवरसीज लि0, संजय चौक के पीछे, जी0 टी0 रोड़, पानीपत ।	145.50	श्री राजेश गाबा । श्री अनिल गाबा	नहीं
3.	हरियाणा ओरगैनिकस लि0, चुलकाना रोड़, समालखा, जिला पानीपत ।	143.50	श्री अनिल [illegible]	नहीं
4.	उत्तम टैक्सटाईल्ज (प्रा0) लि0, 84वां कि0 मी0 स्टोन, जी0 टी0 रोड़, सिवाह, पानीपत ।	22.00	श्री रघुनन्दन गुप्ता	नहीं
5.	एस0 के0 कोटेक्स लिमिटिड, जी0 टी0 रोड़, पानीपत ।	204.00	श्री रजिन्द्र गर्ग	नहीं
6.	के0 के0 स्पीनर्ज 99वां मील पत्थर, गंजगढ़, जी0 टी0 रोड़, पानीपत ।	99.91	श्री बंसल	नहीं

[श्री ए० सी० चौधरी]

1	2	3	4	5
7.	गाबा होमटेक्स लि०, संजय चौक, जी० टी० रोड़, पानीपत ।	86.30	श्री राजेश गाबा	नहीं
8.	महालक्ष्मी स्पीनर्ज लि० बरसत रोड, पानीपत ।	119.08	श्री एम० पी० जैन	नही
9.	वीर वर्धमान लि० जी० टी० रोड, पानीपत ।	115.86	श्री बिजेन्द्र कुमार जैन	नहीं
10.	डिवाइन स्पीनर्ज लि० 28वां मील पत्थर, गांव चिराना, पानीपत ।	56.00	श्री विनोद भाटिया	नहीं
11.	दिल्ली कूल ड्रिक्स एंड बिवरेजिज लि० गांव अलीअसगर पुर, पानीपत ।	150.00	श्री के० एस० दिल्ली	नही
	कुल	1291.13		

रिवाड़ी

1.	हरियाणा सूरज मालटिंगस लि०, 96वां मील पत्थर, दिल्ली-जयपुर रोड, बावल, जिला रिवाड़ी ।	150.00	श्री मुकेश कुमार अग्रवाल	नहीं
2.	पशुपती स्पीनिंगस मिल्ज लि०, गांव कपरीवास, जिला रिवाड़ी ।	129.50	श्री रमेश कुमार जैन	नही
3.	बाबा रूपा दास स्पीनिंगस एंड वीविंग मिमिटिड, गांव धनजीमस, जिला रिवाड़ी ।	150.00	श्री संदीप भटोटिया	नहीं

1	2	3	4	5
4.	गरूदा फ्ले प्रा0 लि0 गांव जलियावास, जिला रिवाड़ी ।	44.65	कैप्टन आर0 एस0 सिंधु	नहीं
5.	ए0जी0 आर0 स्टील स्ट्रीप्स लि0 धारूहेरा, रिवाड़ी ।	39.00	श्री राजेश जैन	नहीं
6.	चेतक स्पीनटैक्स लि0 7वां मील पत्थर, गढ़ी बोल्नी, रिवाड़ी रोड बिकानपुर, ब्लॉक बावल, जिला रिवाड़ी ।	48.00	श्री जी0 एस0 अग्रवाल	नहीं
7.	हेनन इंडिया लिमिटिड गांव सालावास, महेन्द्रगढ़ ।	60.00	श्री अनिल अग्रवाल	नहीं
	कुल	621.15		
हिसार				
1.	अरावली पाईपस लि0 130 अर्बन एस्टेट–2, हिसार ।	134.00	श्री विनोद के0 बंसल	नहीं
2.	जी0 के0 टैक्सटाईल्ज लि0 1667 अर्बन एस्टेट–2, हिसार ।	87.00	श्री पंकज गुप्ता	नहीं
3.	हिसार स्पीनिंग मिल्ज लि0 गांव डाबरा, जिला हिसार ।	147.86	श्री तरलोकी नाथ शर्मा	नहीं
	कुल	368.86		
जींद				
1.	के0 सी0 टैक्सटाईल्ज लि0 दिल्ली रोड़, जींद ।	130.00	श्री एस0 के0 गोयल	नहीं

[श्री ए0 सी0 चौधरी]

1	2	3	4	5
2.	बी0 आर स्टीनटैक्स लि0 पटियाला रोड, नरवाना ।	150.00	श्री मुकेश गर्ग	नहीं
	कुल	280.00		
सिरसा				
1.	सुन्दर दास सेतिया स्पीनिंग मिल्ज लि0 दिल्ली रोड, सिरसा ।	138.04	श्री राकेश अग्रवाल	नहीं
2.	जगदम्बे पेपरवास इंडस्ट्रीज (प्रा0) लि0 बेगु रोड़, सिरसा ।	272.75	श्री रमेश गोयल	नहीं
3.	जय लक्ष्मी स्पीनिंग मिल्ज गांव मीरोवाला, जिला सिरसा ।	150.00	श्री तोती लाल श्री दिवेन्द्र गुप्ता	नहीं
4.	धाखड़ा एग्री इंडस्ट्रीज लि0 रानिया रोड, सिरसा ।	100.00	श्री सदीप आहुजा	नहीं
	कुल	660.79		
रोहतक				
1.	जोडिएक सिमेंटस (प्रा0) लि0 हिसार रोड, रोहतक ।	29.40	श्री आर0 के शर्मा	नहीं
2.	चौधरी पोलीकोटरस माडर्न इंडस्ट्रियल एस्टेट, बहादुरगढ, रोहतक ।	150.00	श्री अनिल चौधरी	नहीं
3.	सोहना सिमेंटस लि0 नजदीक गांव कामरिया, रोहतक ।	39.83	श्री जितेन्द्र प्रकाश बेरी	नहीं

1	2	3	4	5
4.	भारती सीलवक्स लि0, रोहतक रोड, बहादुरगढ़ ।	62.00	श्री अनिल गर्ग	नहीं
5.	मोदगिल फाईबरस (प्रा0) लि0, 58 मील पत्थर, दिल्ली रोहतक रोड, गंधरा, रोहतक ।	145.00	श्री सुरेन्द्र मोदगिल	नहीं
6.	सिंगल स्ट्रीप्स लि0, सांपला रोहतक रोड, रोहतक ।	57.00	श्री शंकर सिंगल	नहीं
7.	अकान इलैक्ट्रोनिक्स (प्रा0) लि0, गांव जाखोदा, रोहतक रोड, बहादुरगढ़ ।	68.09	डा0 के0 सरीन	नहीं
8.	आर0 एम0 प्लाईवुड लि0, जींद रोड, रोहतक ।	85.50	श्री रमेश कुमार	नहीं
9.	वराइटर हौजरी लि0, रोहतक रोड, बहादुरगढ़ ।	82.85	श्री एस0 एस0 चमारिया	नहीं
	कुल	719.67		
करनाल				
1.	करनाल मिल्क फूडस लि0 134 वां मील पत्थर, पो0 बा0, नं0 155, करनाल ।	94.00	श्री जी0 सी0 गुप्ता	नहीं
2.	तन्ना एग्रो इंपक्स लि0, राय पुरा रोड, घरौंडा, जिला करनाल ।	133.52	श्री दिपक तन्ना	नहीं
	कुल	227.52		

(ब) हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित उद्यमियों द्वारा कोई भी इकाई स्थापित नहीं की गई।

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY

शोक प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही आगे चलने से पहले मुझे एक शोक प्रस्ताव पेश करना है। श्री सुरजीत सिंह मजीठिया, पूर्व केन्द्रीय रक्षा उप मंत्री के 27 सितम्बर, 1995 को हुए दुखद निधन पर यह सदन गहरा शोक प्रकट करता है। 85 वर्षीय श्री मजीठिया योग्य सांसद, शिक्षाविद तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे अनेक सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से संबंधित थे। उन्होंने भारतीय सेना में काम किया। वे 1952 से 1965 तक लोक सभा के सदस्य रहे। उनके निधन से देश एक कुशल राजनीतिज्ञ, योग्य सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जो शोक प्रस्ताव रखा है, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उसका समर्थन करता हूं। सुरजीत सिंह जी मजीठिया हमारे बहुत सीनियर लीडर थे। राजनीति में और समाज में उनका एक प्रमुख स्थान रहा है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उन्होंने सेना में काम किया, रक्षा मंत्रालय में काम किया, ऐसे व्यक्ति के चले जाने से हमें बेहद दुख है। मैं अपनी ओर से अपनी पार्टी की ओर से उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। इसके साथ-साथ यदि हाउस की इजाजत है तो जो प्रस्ताव पहले दिन पेश करने से रह गया था, जैसा कि पहले भी हमने प्रशासनिक व दूसरे अधिकारियों, जिन्होंने स्टेट में बढ़िया काम किया है, उन लोगों को संवेदना प्रकट की थी, वैसे ही विजय कुमार जी, रिटायर्ड आई0ए0एस0 आफिसर के बारे में करना चाहते हैं। विजय कुमार डी0सी0 रह चुके हैं। वे कैंसर से पीड़ित थे और भगवान को प्यारे हो गए। वे एक ईमानदार, निपुण प्रशासनिक अधिकारी थे। उनके चले जाने से हमें बड़ा दुख है। हम उनके परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि हाउस ने जो शोक प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और उस के साथ-साथ लीडर आफ दि अपोजीशन ने श्री विजय कुमार के बारे में कहा है, उसकी ताईद करता हूं। श्री विजय कुमार बहुत ईमानदार और कर्मठ अधिकारी थे। सदन के पहले दिन यह बात मिस हो गई थी। ऐसा ईमानदार व्यक्ति जिसने इतनी लगन से काम किया हो, उनका नाम भी इसमें ऐड कर लिया जाए।

चौधरी भजन लाल : इस नाम को ऐड करने में हमें कोई ऐतराज नहीं है।

प्रो0 राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने शोक प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। प्रो0 संपत सिंह जी ने भी ठीक कहा है। सदन के पहले दिन यह शोक प्रस्ताव नहीं रखा जा सका था। श्री विजय कुमार जी बहुत ही ईमानदार अफिसरों में से थे। रिटायर होने के बाद वे शराबबंदी के आंदोलन में जोर शोर से

लग गए थे। उनके निधन से हमने एक ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी खोया है। मैं उनके निधन पर दुख का इजहार करता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

Mr. Speaker : I also associate myself with the feelings expressed in the House on the sad desmise of Sardar Surjit Singh Majithia and Shri Vijay Kumar IAS, Officer and request the Hon'ble Members to observe two minutes silence.

(The Sabha then stood in silence for two minutes as a mark of respect to the memory of the departed souls).

I will convey the feelings of the House to the members of the bereaved families.

मन्त्री परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अब मुख्यमंत्री जी मोशन अंडर रूल 84 पर बोलेंगे।

(इस समय मुख्यमंत्री जी बोलने के लिये खड़े हुए)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, कल 21 मैम्बर्ज ने हरियाणा की मौजूदा सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव दिया था कि राज्य में कांस्टीच्यूशनल मशीनरी बिल्कुल फेल हो चुकी है। कानून और कांस्टीच्यूशन की कोई कदर ही नहीं रही है और आज आपको पता ही है कि हरियाणा पुलिस में लोगों का विश्वास ही नहीं रहा है। जिस ढंग से पुलिस को सरकार इस्तेमाल कर रही है, जैसे आज एक सवाल के जवाब में यह था कि लोगों का विश्वास बिल्कुल इस सरकार पर नहीं रहा है। कितनी बार लोगों को सी०बी०आई० की शरण लेनी पड़ी और कई ऐसे मामलों में पुलिस अफसरों को सजा भी हुई है। हमारे उस अविश्वास प्रस्ताव का क्या बना ?

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आपने यह नोटिस कितने बजे दिया था ?

प्रो० सम्पत सिंह : कल रात को 9 बजे दिया था, अब तक साढ़े 13 घण्टे हो गये हैं।

Mr. Speaker : Please take your seat. I quote the relevant rule 74 in this regard which is as under :—

> "Every notice required by the rules shall be given in writing, addressed to the Secretary and shall be delivered at the Assembly Office. If it is delivered between 10 a.m. and 3 p.m. on a day when the office is open, it shall be treated as delivered on that day. If it is delivered at any later time or on any holiday, it shall be treated as delivered on the day on which the office next opens. A notice or communication which is not legibly written may, and if it is not signed by the member sending it, shall be rejected."

So the notice given by you is under consideration.

Prof. Sampat Singh : Sir, the no-confidence motion is taken up for discussion immediately. (Interruptions). For how much time, it is under consideration ?

श्री अध्यक्ष : आपको यह पूछने की आवश्यकता नहीं है। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, यह फैसला आपने ही लेना है। (शोर)

You have every right to fix the time for discussion, but you are to take the decision.

Mr. Speaker : It is under consideration.

प्रो० सम्पत सिंह : यह दूसरी बात है कि आप डिस्कशन के लिये कितना टाईम अलाट करते हैं। (शोर) इसका तो आपको पूरा अधिकार है, स्पीकर सर। यह आपका प्रैरोगेटिव है। (शोर) लेकिन इसके बारे में फैसला तो आपको अभी ही करना है।

डा० राम प्रकाश : स्पीकर साहब, मुझे भी बोलने का समय दिया जाए। (शोर)

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, आपको हमने बोलने की इजाजत नहीं दी है। (शोर) आप यूंही खड़े होकर बोलना शुरु कर देते हैं, आप बैठिए। (शोर) पहले आप चेयर से बोलने की परमिशन लें, तब बोलें। (शोर)।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जब हमारा सरकार पर विश्वास ही नहीं रहा तो इस हाउस का अगला काम कैसे हो सकता है। पहले तो आपको नो-कांफीडैन्स मोशन का फैसला करना पड़ेगा। (शोर) इसलिये पहले आप नो-कांफीडैन्स मोशन को टेक अप करें। यह मेरी रिकवैस्ट है। स्पीकर सर, आपने ठीक फरमाया कि हमारा यह नोटिस अगले दिन दिया माना जाएगा, हमें कोई एतराज नहीं। आप इस को आज ही दिया मान लें लेकिन इसको अभी इसी वक्त टेक अप करें। (शोर) जब एक बार नो-कांफीडैन्स मोशन आ गया है तो पहले उसका फैसला होगा, तब अगला काम होगा। जब हमारा इस सरकार पर विश्वास ही नहीं रहा तो अगला काम कैसे हो सकता है ? पहले इस मोशन का जवाब आ जाए, इसका फैसला हो जाए कि हाऊस का विश्वास इस मौजूदा सरकार पर है या नहीं है। उसके बाद ही आगे की कार्यवाही होनी चाहिये।

Dr. Ram Parkash : Mr. Speaker Sir, I seek your permission to quote Rule 65, which is mentioned at page 41 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Legislative Assembly. The Rule says—

"(1) A motion expressing want of confidence in, or disapproving the policy in a particular respect of a Minister or the Ministry as a whole, may be made, subject to the following restrictions, namely :—

(a) leave to make a motion must be asked for after questions and before the business on the list for the day is entered upon ;

(b) the member asking for leave just before the commencement of the sitting of the day leave with the Secretary a written notice of the motion which he proposes to make."

सर, रूल के मुताबिक नोटिस हम पहले ही दे चुके हैं। इन दोनों रिस्ट्रिक्शंज के मुताबिक इसको आज लिया जा सकता है। तीसरी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस पर कोई डिविजन भी नहीं होती। जो दो रिस्ट्रिक्शंज हैं वे सिर्फ यह हैं कि क्वैश्चन आवर के बाद और बिजनैस लेने से पहले । नोटिस के बारे लिखा है "just before the commencement of the sitting." जो लिख कर देना था वह 21 सदस्यों ने दे रखा है और उस पर 21 सदस्यों के दस्तखत हैं। उसके बाद आप हाउस में पूछेंगे कि क्या 18 सदस्य उसका समर्थन करते हैं ? अगर करते हैं then it has to be discussed and it will have to be taken. मैं समझता हूं कि जिस मन्त्रिमंडल के अन्दर अविश्वास का प्रस्ताव आ जाए, उसे अगला बिजनैस करने का हक नहीं होता। (शोर) इसीलिये ये जो दो रिस्ट्रिक्शंज हैं, उस पर हम आपकी रूलिंग चाहते हैं कि क्या यह नोटिस इन कंडीशनज को पूरा करता है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। श्री सतबीर सिंह कादयान बोलेंगे।

श्री सतबीर सिंह कादयान : स्पीकर साहब, कल हमने एक एडजर्नमैंट मोशन दिया था। उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जब हमने वह मोशन दे रखा है तो सरकार को कोई और कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। इसलिये उस पर बोलने का हमें मौका मिलना चाहिये। उसके अलावा मैंने कल पानीपत शूगर मिल के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, आप बैठिए।

चौ० बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी में कुछ परम्पराएं हैं.....(शोर)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मेरी आपसे हम्बल सबमिशन है कि आप हाउस को 15 मिनट के लिये एडजर्न कर दें और इस मामले पर विचार कर लें। (शोर)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, हाउस को एडजर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, हाउस की कार्यवाही नहीं चल रही है इसलिये आप हाउस को 15 मिनट के लिये एडजर्न कर दें। आप 15 मिनट में इस बारे में फैसला करके फिर हाउस को चला लें। (शोर)

श्री अध्यक्ष : चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी क्या आपने अपना प्वायंट बता दिया है ? (शोर)

चौ० बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैंने अपना प्वायंट कहां कह लिया। (हंसी)

श्री अध्यक्ष : अब कह दें।

चौ० बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी किन्हीं मान्यताओं पर, किन्हीं कनवैनशंज पर फंक्शन करती है। उनमें यह मान्यता भी सबसे जरूरी है कि सरकार को हाउस का विश्वास प्राप्त रहे। इसको पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी में निभाना पड़ता है। मैं यह बात लीडर आफ दि हाउस को नहीं बताना चाहता, आपको यह बात इसलिये कहना चाहता हूं कि पिछले 13 साल से मैं भी इस हाउस का सदस्य हूं और मैंने पार्लियामैंट में भी पांच साल देखे हैं। ज्यों ही, कभी भी नो-कांफीडैन्स मोशन हाउस में लाया जाता है तो परम्परागत तरीके से लीडर आफ दि हाउस इस को कंसीड करता है और हाउस का बाकी का सारा बिजनैस बंद करके नो कांफीडैन्स मोशन को टेकअप किया जाता है। मैं आपके जरिए लीडर आफ दि हाउस को याद दिलाना चाहता हूं कि 1991 से 1995 के बीच जब दो बार नो कांफीडैन्स मोशन आया था तो आपने अपनी छाती ठोक कर यह कहा था कि मैं हाउस का सारा काम बन्द करके पहले नो कांफीडैन्स मोशन को टेक अप करना चाहता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इतने लम्बे समय से मुख्य मंत्री हैं। आप कुछ तो परम्पराओं का ख्याल रखो। कुछ तो इन बातों को मान्यता दो जिन पर यह प्रजातान्त्रिक आधार टिका हुआ है। आप मौका दो ताकि यह पता लगे कि पब्लिक के रिप्रैजैंटेटिव्ज का आप में विश्वास प्राप्त है या नहीं। स्पीकर साहब अगर मोशन आर्डर में है तो इसे एडमिट करें और अगर आर्डर में नहीं है तो भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि हम पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी को मान्यताओं को नहीं निभाएंगे तो वह ठीक नहीं होगा और पौने दो करोड़ हरियाणा की जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे, तो हाउस के सामने यह बात आएगी कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है और सरकार उसको स्वीकार नहीं करती और न ही उस पर बहस करवाती है। इसलिए स्पीकर साहब, मैं आप से कहूंगा कि आप बुद्धिजीवी आदमी हैं, आपका भी बहुत लम्बा लैजिस्लेचर का कैरियर है, आप मान्यताओं को निभायें।

चौधरी मजन लाल : अध्यक्ष महोदय, कल सदन ने एक बात को यूनानीमसली एग्री किया था कि दो दिन फ्लड पर बहस हो जाए और कल दो दिन पूरे हो गए। रात को नौ बजे तक आपने सैशन चलाया और एक एक मैम्बर को बोलने का मौका दिया। जब मैं इनकी बातों का जवाब देने के लिये खड़ा हुआ तो चौधरी बंसी लाल और चौधरी सम्पत सिंह जी ने कहा कि आप कल ठीक 10.30 बजे बाढ़ के बारे में जो मुद्दे उठे हैं, उनका जवाब दें और आज जितने मैम्बर बोलने वाले रहते हैं उनको बोलने दें। ये बहुत सीनियर लीडर हैं। चौधरी सम्पत सिंह जी हाउस के अन्दर सारा समय बैठे रहे। आज 10.30 बजे जवाब देने की बात तय हो गयी थी। इस बाढ़ की स्थिति पर पूरे दो दिन बहस चली। चूंकि आज मुझे जवाब देना था इसलिये इन्होंने रात लिख कर दे दिया और मुझे ऐसे समय पर नहीं बोलने दिया जबकि बोलना बहुत जरूरी था। कल भी इन्होंने यही किया था कि मैं जवाब न दे सकूं, टालने की कोशिश की और आज भी इन की वही कोशिश है। अगर कल मैं जवाब दे देता तो सैन्टर की आंखें और कान हरियाणा की तरफ अधिक खुलते। आज फिर ये नहीं चाहते कि

मैं जवाब दे सकूं जबकि आज केन्द्र में 4.00 बजे बाढ़ के बारे में कैबिनेट मीटिंग होनी है। इनकी हमदर्दी हरियाणा के प्रति नहीं है। मेहरबानी करके मुझे अपना जवाब देने दीजिए और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो जायेगी। बाढ़ की डिबेट के बाद फौरन हम नो कांफीडैन्स मोशन पर डिस्कशन के लिये आपको इंवायट करेंगे। पहले हम विश्वास लेंगे और फिर उसके बाद कोई सरकारी कार्य करेंगे लेकिन मेहरबानी करके बाढ़ पर जो दो दिन बहस हुई है, उस पर बोलने दीजिए।

बिजली मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, सदन में नो-कांफीडैन्स मोशन आया जैसा कि आपने बताया कि रात के 9–10 बजे सरकार के खिलाफ नो–कांफीडैन्स मोशन दिया है। Sir, you need the time to form your opinion on it. Speaker, Sir, Prof. Sampat Singh has not read sub-rule 2 of rule 65. You have to form the opinion and you need time for it. जैसा कि संपत सिंह जी ने कहा कि आया इस पर तुरन्त बहस हो इस बारे में मैं आपको रूल्ज आफ प्रौसीजर एण्ड कण्डक्ट आफ बिजनैस का रूल का भाग दो पढ़ कर सुनाता हूं उसमें लिखा है। "If the Speaker is of the opinion that the motion is in order he shall read the motion" So Sir, as per this sub-rule, you have to still form your opinion. You will take your own time. पिछले साल 15 तारीख को नो-कांफीडैन्स मोशन सरकार के खिलाफ आया था और अगले दिन यानि 16 तारीख को उस पर बहस हुई थी, न कि उसी दिन, जैसा अब आप चाह रहे हैं, इसीलिये मैं आपसे पूछता हूं कि You will get your time to form the opinion on this motion, only then it can be discussed. If you think it is proper and the Government is prepared, as the Chief Minister has assured, you can proceed with this motion. (Noise & Interruptions.)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। (शोर)

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने रूल दो का कुछ भाग पढ़कर सुनाया। इसी रूल को मैं पढ़ कर सुनाता हूं। इसमें साफ लिखा है—

> "(2) If the Speaker is of the opinion that the motion is in order he shall read the motion to the Assembly and shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places, and if not less than eighteen members rise accordingly, the Speaker shall intimate that leave be granted and that the motion will be taken on such day, not being more than ten days from the day, on which the leave is asked, as he may appoint...."

स्पीकर साहब, सवाल यह नहीं कि इस पर डिस्कशन कब होगी। डिस्कशन की बात तो बाद में आती है। पहला सवाल तो इस मोशन के एडमिशन का है। इसमें यह नहीं लिखा कि इस के एडमिशन के लिये समय चाहिये। 18 मैम्बरों की तरफ से लिख

[प्रो० सम्पत सिंह]

कर दिया जाना चाहिये, यह हमने लिख दिया है। हमारा कहना तो यह है कि पहले यह नो कांफीडैन्स मोशन मूव हो जाए और एडमिट हो जाए, उसके बाद फिर ये जवाब दे देंगे।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि वे पांच साल पार्लियामैंट में रहे हैं, उससे ज्यादा और लम्बा तजुर्बा सियासी तौर पर मेरा है। (विघ्न)

चौ० बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट में यह प्रैक्टिस है कि जब अविश्वास प्रस्ताव दिया जाता है तो वह ऐसे नहीं आता। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का दिन तय होता है कि बहस फलां तारीख को होगी। स्पीकर सर, मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है आप इसको आज एडमिट कर लिजिए, लेकिन इस पर बहस कल होगी। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मुख्य मंत्री जी को इस पर कोई एतराज नहीं है, इसलिये मेरी आपसे यह रिक्वैस्ट है कि आप इसको आज एडमिट कर लें। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर इस पर आज डिस्कशन होगी तो मैं कल इसका जवाब दूंगा। इस पर जो डिस्कशन होगी मुझे उसका जवाब देना है। अविश्वास प्रस्ताव पर पहले डिस्कशन हो जाए तो पहले हम सदन का विश्वास हासिल करेंगे, उसके बाद ही कोई आगे की कार्यवाही करेंगे। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मेरी सबमिशन है कि जैसे मुख्य मंत्री जी ने कहा है, सरकार पहले विश्वास का मत प्राप्त कर ले, आगे की कार्यवाही बाद में करेंगे, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। गवर्नमैंट आफ इण्डिया से मीटिंग है, वहां बाढ़ के बारे में मुख्य मंत्री जी ने अपना पक्ष रखना है और गवर्नमैंट आफ इण्डिया से ऐड लेनी है। हाउस की डिस्कशन का जवाब मुख्य मंत्री जी ने देना है। कल और परसों लम्बी डिस्कशन हो इसलिये आप हमारा मोशन एडमिट करें। बाढ़ पीड़ितों के लिये जो सहायता चाहिये, उस पर पहले डिस्कशन होनी चाहिये क्योंकि ऐसा करने से हाउस की प्रोसीडिंग्ज में यह बात आ जाएगी कि गवर्नमैंट आफ इण्डिया से हमें कितनी सहायता चाहिये। स्पीकर सर, मेरी सबमिशन है कि आप नो कांफीडैन्स मोशन को आज ही एडमिट कर लें। (विघ्न एवं शोर) (इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिये खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष : पहले मुझे इसके बारे में बताने दीजिए। (विघ्न एवं शोर) सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न एवं शोर)

Prof. Sampat Singh : Whether No Confidence Motion is being admitted, Sir ? (Interruptions).

Mr. Speaker: Please take your seat. You have already said enough. रणवीर सिंह जी, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है (विघ्न) आप अपनी सीट पर बैठें। सभी लोग अपनी सीटों पर बैठें, पहले मुझे अपनी आब्जर्वेशन देने दीजिए।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप पहले मेरा सुझाव सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसमें सुझाव की जरूरत नहीं है, आप सभी अपनी सीट पर बैठें। इसमें पहली बात तो यह है कि इस मोशन को कल 10 बजे से 3 बजे के बीच दिया जाना चाहिये था। रूल्ज के मुताबिक वह कल आना चाहिये था लेकिन आपने जो दी है, वह आज 10 बजे समझी जाएगी।

11.00 बजे | In 2nd part of Practice and Procedure of Parliament book, written by Shri M.N. Kaul & Shri S.L. Shakdhar, it is mentioned—

> "The Speaker is vested with the power of deciding whether a motion is in order or not. He may not bring a notice before the House, if it is not properly worded or on any other ground considered sufficient by him, or he may bring it before the House after objectionable matter, if any, has been deleted therefrom or the notice has been suitably edited."

यह डिस्क्रीशन स्पीकर की है। 15-9-83 को जो नोटिस आफ नो-कांफीडैन्स मोशन दिया था, उसकी स्थिति भी ऐसी ही थी। A notice of motion of no-confidence in the Council of Ministers Haryana was received from Shrimati Chandrawati and Sarvshri Verender Singh, Mangal Sein and Nihal Singh, M.L.As. on the 15th September, 1983 and its decision was kept for the observation and consideration of the Speaker. और 16 तारिख को उन्होंने उसका जवाब दिया था।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन है कि यह जो आपने 15-9-83 का जिक्र किया है, उस वक्त मैं भी इस हाउस में बीरेन्द्र सिंह जी के साथ था। हर नो-कांफीडैन्स मोशन की पोजीशन एक सी नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष : यह तो हमने देखना है कि यह रूल के मुताबिक है? अगर आप कुछ लिख कर पिछले कल, 10 बजे से 3 बजे तक, दे देते तो आज इस पर बहस हो सकती थी लेकिन यह लेट आया है जिस वजह से हमने इसको अभी देखा नहीं और आज यह सैशन चल रहा है।

प्रो० सम्पत सिंह : सर, आपने किताब के मुताबिक देखा है लेकिन हमने शाम 9 बजे उसे सैक्रेटरिएट पहुंचा दिया था। यह नहीं हो सकता है कि इतना सीरियस मैटर हो और आपने न पढ़ा हो। अध्यक्ष महोदय, यह नो-कांफीडैन्स मोशन है, कोई और मोशन नहीं।

श्री अध्यक्ष : अगर यह इन-आर्डर है तो जैसा कि चीफ-मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम इसको कल की कार्यवाही में लगाएंगे तो कल आयेगा।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, आप आज इसको एडमिट तो कर लें और यह विदइन आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : हमने इसको अभी देखा ही नहीं है तो एडमिट कैसे कर लें ?

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, सारा हाउस इस विषय में कह रहा है और आपको इसे देखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यह तो हमें देखना है कि यह कैसे होगा।

Prof. Sampat Singh : When Leader of the House agrees and all the opposition members agree, then it means the whole House agrees.

Mr. Speaker : We have to see whether it is in order or not ? (Interruptions)

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। जैसा कि आपने किताब का हवाला दिया और व्यवस्था में प्रैक्टिस भी है कि अगर 10 बजे से 3 बजे तक इसका लिखा हुआ यह आता तो आप इसे आज कंसीडर करेंगे। कल हाउस सवेरे साढ़े ग्यारह बजे से रात नौ बजे तक चला है। It means the motion which you have accepted has been given at 10.00 A.M. today और 11.03 बजे के बाद यह * * * हुआ है। (Interruptions).

Prof. Sampat Singh : How he is speaking ? He does not deserve to be a Parliamentary Affairs Minister. These words****** should be expunged from the proceedings of the House, Sir.

श्री अध्यक्ष : नेहरा जी ने जो शब्द कहे हैं इनको कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब यह था कि यह गलत एलायंस है और इन्होंने जो मुद्दा उठाया है, उसका मकसद यह है कि ये हमारी बात नहीं सुनना चाहते। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर इन का लिखा हुआ कल 10 बजे से 3 बजे तक आया होता तो ही आप इसको आज कंसीडर कर सकते हैं।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, it has already been decided that the Leader of the House will reply on the motion raised under rule 84, after the Questions Hour. I have already called upon the Chief Minister to reply on the debate.

---

*Not recorded as ordered by the Chair.

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप बड़ी तेजी से पढ़ने में लगे हुए हैं लेकिन आपका ध्यान हमारी तरफ नहीं है । मैं एक बात कह रहा हूं लेकिन आप हमारी बात को सुन ही नहीं रहे हैं। (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यहां से उठकर भागना है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने एक बात कही है कि मेरे पास तीन बजे के बाद यह नो-कांफिडैन्स मोशन आया है । मैं जानना चाहूंगा कि जब विधान सभा इन-सैशन हो तो क्या इसके लिए टाईम की कोई पाबन्दी है ? रात को 9 बजे के बाद भी हाउस तो चल ही रहा था ..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका यह मोशन रात को दस बजे आया है । It is being examined by the office.

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : लेकिन आपने यह रिसीव तो किया है । जब लीडर आफ दी-हाउस मान रहे हैं, सारा हाउस मान रहा है तो आप कहते हैं कि मुझे पता नहीं है । आपने ऐडवोकेट जनरल साहब को यहां पर बुलाया है तो क्या यह गलत परम्परा नहीं है ? क्या इससे पहले भी कभी ऐडवोकेट जनरल हाउस में आया है ? क्या आपने इसे बाद पर डिस्कशन करने के लिए बुलाया है ? आप अपने पद की गरिमा को तो कम से कम बरकरार रखें । (शोर)

श्री अध्यक्ष : आपका यह मोशन दस बजे आया है ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : क्या उस समय हाउस इन सैशन नहीं था ? अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

Mr. Speaker : I have already given my ruling.

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अगर यह मोशन 9 बजे के बाद आया है तो 9 बजे के बाद भी विधान सभा तो सैशन में ही है । आपको अपने पद की गरिमा को बनाकर रखना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह मोशन सैशन के बाद आया है ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप तो रोजाना नये नये कानून बना रहे हैं, नयी प्रथाएं बना रहे हैं लेकिन आप ऐसा न करें, क्योंकि आप एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जिसका इतिहास लिखा जाएगा और आपकी तस्वीर टांगी जाएगी तथा जब दूसरे लोग आएंगे तो वे कहेंगे कि * * * * * *

---

*चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[चौधरी ओम प्रकाश चौटाला]

* * अध्यक्ष महोदय, हम हाउस के मैम्बर हैं और हमें बोलने का अधिकार है। (शोर एवं व्यवधान) हम इस बात को नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर आज हम विपक्ष में हैं और हमारी स्ट्रैंग्थ कम है तो आप हमें बोलने से नहीं रोक सकते। (शोर) हमारा बोलने का अधिकार है। आप विपक्ष के * * । * * * * * * * * * * * * । * * * * *

श्री अध्यक्ष : जो भी चौटाला साहब बोल रहे हैं, उसको रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : * * *

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : * * *

श्री अध्यक्ष : हम इस मोशन को पहले ऐग्जामिन करेंगे और जैसा सी0 एम0 साहब ने ऐश्योर किया है, हम इसको कल टेकअप करेंगे।

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, जब आपने एक बार अपनी रूलिंग दे दी तो आप उसी के हिसाब से हाउस की कार्यवाही चलाएं।

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही तो यही है कि अब सी0 एम0 साहब बोलें। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : चौटाला साहब आप सुनिए तो। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर)

चौधरी भजन लाल : मैं चेयर के आदेश से ही खड़ा हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि मैंने आपको यह पढ़कर सुनाया है। अगर तीन बजे के बाद कोई मोशन दिया जाएगा तो वह आज ही के लिए समझा जाएगा। (शोर एवं व्यवधान) चौधरी साहब जो कह रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाये।

प्रो0 सम्पत सिंह : सर, मेरी सबमिशन है।

श्री अध्यक्ष : मैंने अपनी रूलिंग दे दी है। आप बैठिए।

*Not recorded as ordered by the Chair.

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने उसको पढ़ा नहीं। 27-9-95 को 8.45 पी0एम0 पर आपके सैक्रेटेरियट ने इसे रिसीव किया है जब हाउस इनसैशन था, आपका सैक्रेटेरियट बंद नहीं था। जब छुट्टी हो, बंद हो तो आप कह सकते हैं कि मोशन इतने बजे दिया होगा। हाउस चल रहा था। उस टाइम अगर आपको मिल गया, इसका मतलब यह है कि * * * * * । स्पीकर सर, हैल्दी ट्रेडीशनज आप डालिये। * । जो बात हमारी सही है, मोशन आर्डर में है इसलिए इसको आप ऐडमिट करें।

श्री अध्यक्ष : अब मुख्यमंत्री जी बोलेंगे।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

चौ0 बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई 20 बार खड़ा हुआ हूं। क्या आप इतना डिस्क्रिमनेशन कर सकते हैं ? Speaker, Sir, I tried to catch your eyes so many times but you have ignored me every time (Noise & Interruptions).

Mr. Speaker : No, please take your seat. Now I have allowed the Chief Minister to speak. (Noise & Interruptions).

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जिस किस्म की भाषा का प्रयोग किया, वह बड़ा भारी निंदनीय है। ऐसी बात से हाउस के अंदर हम सब का सर शर्म से झुक जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

डा0 राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय ...... (शोर)

श्री अध्यक्ष : राम प्रकाश जी, आपकी यह आदत गलत है, आप बिना मतलब खड़े होते हैं ? दूसरों को तो आप कायदे कानून बता रहे हैं और खुद कायदे कानून तोड़ रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप हमें कह सकते हैं। हम आपकी चेयर का ऐहतराम करते हैं लेकिन आप ट्रेजरी बेंचिज के लोगों को भी कह सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपका फैसला तो कोट होना है और रहती सृष्टि तक रहना है। यह तो चार महीने के हैं। आपकी तस्वीर छपेगी, आपने तो इस चेयर की गरिमा को बरकरार रखना है। आपको यह नहीं कहना चाहिए कि 10 बजे मेरे पास मोशन आई है। आपके सैक्रेटेरियट ने रिसीव किया है। जब विधान सभा इनसैशन होती है तो स्पीकर का सैक्रेटेरियट इनवर्किंग होता है। ये लोग जो मन में आए कह दें लेकिन हमें भी लोगों ने चुनकर भेजा है। (शोर एवं व्यवधान)

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो इनकी बातों पर रहम आता है। जवाब उसे दिया जाता है जिसके पास जवाब को समझने की शक्ति हो। ये कहते हैं कि 4 महीने की तो बात है। चार महीने के बाद तो श्रीमान जी, आप नहीं आएंगे। अगर आप अगली बार एम0 एल0 ए0 भी बनकर आ जाएं तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा। (शोर एवं व्यवधान) (इस समय बहुत से मैम्बर बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष : साहेबान, आप सभी बैठिये। (शोर) ऐसा है, मैंने पहले ही अपनी रूलिंग दे दी है और वह यह है कि 10 से 3 बजे तक यह रूल के अनुसार मोशन देना चाहिये और अगर तीन बजे के बाद दिया जाता है तो इसको अगले दिन दिया गया माना जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस बारे में स्पीकर का अपना ओपीनियन है, उसको ही इसका फैसला करना है कि क्या प्रोपरली ड्राफ्टिड है या नहीं है। इसको डिसाइड करने का हक केवल स्पीकर का है। जहां तक 10 बजे के बाद की बात है, हाउस अभी सैशन में है, हमने इसका फैसला करना है। जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि अगर स्पीकर की ओपीनियन में यह मोशन इन आर्डर है तो आप इस पर बहस करवा लें। चूंकि इस वक्त हाउस सैशन में है, इसलिये मैं इसका जवाब आपको कल क्वैश्चन आवर के फौरन बाद ही दूंगा। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : नहीं जी। (शोर)

Mr. Speaker : You cannot force me to give any decision just now.

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं और साथ में इस हाउस के सभी मैम्बर्ज साहेबान से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर इन का नो-कंफीडैन्स मोशन इन आर्डर है या नहीं भी है, उसमें अगर कोई कमी रह गई है तो भी मेहरबानी करके आप उसे इससे ठीक करवा लीजियेगा। (शोर) हम आपसे हाथ जोड़ कर बेनती करते हैं कि आज सदन उठने से पहले आप इस बारे में कल के लिये अनाउंसमैन्ट कर दें और कल ये बोल लें, हम इसका जवाब दे देंगे। हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। हम अपना सारा सरकारी काम काज बाद में करेंगे। आज मैंने मोशन अंडर रूल 84 की डिबेट का जवाब देना है। उसके लिये मैं हाउस से इजाजत चाहूंगा कि इसका मैं जवाब दे दूं। आप आज हाउस उठने से पहले कल के लिये इस बात की घोषणा कर दें।

श्री अध्यक्ष : अगर इसका मोशन इन आर्डर हुआ तो एडमिट होगा। अगर उसमें कमी हुई तो उसे ठीक करवा के एडमिट कर लेंगे। जैसाकि चीफ मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि आप इस पर कल बहस करवा लें.....
(शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, आपने शायद इसको देखा नहीं है। एडवोकेट जनरल साहब भी आए हुए हैं। मैं किसी दूसरी बात पर नहीं जाना चाहता। मैं मानता हूं कि आपने नहीं देखा होगा, लेकिन यह तो एक अहम मुद्दा है। आप पहले हाउस को एडजर्न करें और फिर इसको लीगली एग्जामिन करवाएं, उसके बाद हमें बताइए कि यह एडमिट होने के काबिल है या नहीं है। इसकी एडमिशन पहले होगी, बहस के लिये आप जो चाहें समय निर्धारित कर दें, हमें कोई एतराज नहीं है। यह आपका अधिकार है लेकिन नोटिस आफ नो-कॉन्फीडैन्स जब आ जाता है तो सब से पहले उसकी एडमिशन जरूरी है। इसलिये आप हाउस को एडजर्न कीजिये और इसको लीगली एग्जामिन करवाइये। आप अपने सलाहकारों से पूछिये और बड़े वकीलों को बुला लीजियेगा। हम लीडर आफ दा हाउस की अनाउंसमेंट को नहीं मानेंगे। एश्योरेंस आपको हाउस में देनी होगी। आप इस हाउस को एडजर्न कर, इसको एग्जामिन करवाएं और इसका पहले फैसला कीजियेगा। एडमिशन अब हो जाए, उसके बाद आप डिबेट के लिये फैसला करें।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप बैठिये। इसके लिये आप मेरे चैम्बर में 1 बजे के लगभग आ जाएं। अगर यह प्रोपर्ली वरडिड नहीं भी होगा तो मैं आपसे ठीक करवा लिया जाएगा उसके बाद यह एडमिट होगा। (शोर) कोई कमी रहती होगी तो आपसे ठीक करवा लेंगे।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, आप हाउस को पहले एडजर्न कीजिये और एग्जामिन करवा लीजियेगा। एडमिट होने के बाद आप जो भी तारीख डिबेट के लिये देना चाहें, दे दें। (शोर) आप अपने चैम्बर में चले जाएं, साथ ही एडवोकेट जनरल को ले जाएं। आप सलाह करलें और इस बीच हाउस को 15 मिनट या आधे घण्टे के लिए एडजर्न कर दें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इतनी अश्योरेंस देने के बाद भी इनका यह रवैया है। ये अब तक तीन बार अविश्वास का प्रस्ताव ले कर आए हैं, तीनों बार इनको पटका गया। फिर ये भाग जाते हैं। जब हमने कह दिया कि आपका अविश्वास प्रस्ताव मन्जूर है और उस पर कल डिस्कशन होगी, कल हम फिर आपको पटकेंगे। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आपके जो लीडर हैं, जिन्होंने दस्तखत कर रखे हैं, उनमें से दो व्यक्ति अभी मेरे चैम्बर में चलें, इस बीच डिप्टी स्पीकर साहब चेयर पर आ जाएंगे।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : जब तक इस मोशन पर कोई फैसला नहीं लिया जाता, तब तक कोई कार्यवाही नहीं होगी।

चौधरी भजन लाल : कार्यवाही एक मिनट के लिए भी बन्द नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : हाउस एडजर्न नहीं होगा, मेरी गैर हाजिरी में डिप्टी स्पीकर साहब चेयर पर बैठेंगे ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, अब बात तैरी डाउन हो गई है । मुख्य मन्त्री जी ने मान लिया कि इसको एडमिट करेंगे और इस पर कल बहस करा ली जाएगी । इतनी देर में तो मुख्य मन्त्री जी का आधा जवाब आ जाना था । आप इसको एडमिट कर लें और कल बहस हो जाएगी । मुख्य मन्त्री जी ने बात मान ली है, मैं इस पर कोई आपत्ति नहीं समझता । इतनी देर में इनका आधा जवाब आ जाता ।

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी) : स्पीकर साहब, चौधरी बंसी लाल जी ने जो सुझाव दिया है, उस पर गौर करने वाली बात है । आपने पहले ही कह दिया है कि यदि इसकी वर्डिंग ठीक होगी तो आप इसे एडमिट करेंगे । ये कहते हैं कि पहले एडमिट करें । कल भी इनका यही रवैया था । आज तक किसी भी अधिवेशन में इन्होंने सही बात सुनने का कष्ट नहीं किया और न अब सुनना चाहते हैं । ये बाढ़ का बहाना बना कर अपनी राजनैतिक रोटियां सेकना चाहते हैं । मैं चाहती हूं कि मुख्य मन्त्री जी को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए । ये सिर पर चढ़ते जा रहे हैं, किसी की औकात नहीं समझते । (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप ऐसा करें कि इस मामले के बारे में एक बजे हाउस में आ कर अनाउंस कर दें । अगर इनके मोशन में कोई कमी होगी तो उसे पूरा करवा लें । ऐसा नहीं हो सकता कि अभी ही इस बात को करो, इस बात को हम नहीं मानेंगे । आपकी रूलिंग आ गई है कि आप इसे एग्जामिन करेंगे । ये नहीं हो सकता कि आप इसका फैसला अभी करें । आप इसको एग्जामिन करें और अगर कोई कमी है तो इनसे ठीक करवा लें । हम भी कहते हैं कि आप इसको एडमिट करें, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कानून के मुताबिक करें । किसी के दबाव में आ कर कोई अनाउंसमैंट नहीं होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि हमने यह देख लिया है कि यह प्रस्ताव परोपर फौर्म में है and it is admitted यह कल की लिस्ट औफ बिजनैस में लिया जाएगा । इसको कल दिनांक 29-9-1995 को बहस के लिए मूव किया जाएगा । (व्यवधान)

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : अब प्रदेश में आई बाढ़ पर हुई बहस का जवाब मुख्य मन्त्री जी दें ।

खेल मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस हाउस में बाढ़ के बारे में दो दिन से माननीय सदस्यों की तरफ से बहुत ही सुबांधार तकरीर की गई है। यह बात ठीक है कि प्रदेश के अन्दर यह जो फ्लड आया इससे जितनी बरबादी हुई है शायद उतनी बरबादी पिछले 100 सालों में भी नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, कभी आपको इतनी बरबादी देखने को नहीं मिली होगी। प्रदेश के अन्दर बहुत भयंकर बाढ़ आई और उससे प्रदेश का बड़ा भारी नुक्सान हुआ है। किसानों की फसलों का बड़ा भारी नुक्सान हुआ है। हरिजनों और दूसरे भाईयों के मकान गिर गए। पशु मर गए। इस बाढ़ के कारण हरियाणा प्रदेश का बहुत बुरा हाल हो गया। प्रदेश का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां पर बाढ़ के कारण नुक्सान न हुआ हो। माननीय सदस्यों की बातें सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। अध्यक्ष महोदय, अपोजिशन का भी एक रोल होता है। अगर अपोजिशन न हो तो भी कोई अच्छी बात नहीं है। अपोजिशन का होना भी उतना ही जरूरी है जितना सरकारी बैंचिज का है लेकिन प्रदेश की इतनी भयंकर तबाही होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी राजनैतिक रोटियां सेकने की कोशिश की और इन्होंने कहा कि प्रदेश की यह तबाही इस सरकार की नालायकी की वजह से, नासमझी की वजह से और सरकार द्वारा ठीक काम न करने की वजह से हुई है। अपोजिशन के भाईयों ने इस तरह के इल्जाम सरकार पर मढ़ दिए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि कहीं पर कोताही हो सकती है। हम यह बात नहीं कहते कि सरकारी अधिकारियों की तरफ से कोई कोताही नहीं हुई है। उससे भी जरूर कहीं पर कोताही हुई है। हमने तीन चार अधिकारियों को सस्पैंड भी किया है। हमने सीनियर आफिसर्ज डी० सी० और एस० पी० तक ट्रांसफर भी किए हैं। इस मामले को और भी जांच करायेंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय, बाढ़ ने प्रदेश के अन्दर जो कहर ढाया उसके बारे में इन्होंने कम बातें की और सरकार को जो बातें नहीं कहनी थीं वह कहीं। सरकार को पूरी तरह से डाउन करने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से पूरी कोशिश रही है कि प्रदेश के अन्दर किसी तरह से बाढ़ न आए। यदि बाढ़ आए तो उसका पहले इन्तजाम किया जाए। स्टेट का जो फ्लड कंट्रोल बोर्ड है उसने फरवरी के महीने में और जून के महीने में मीटिंगें की हैं। उन मीटिंग्ज में हमने डी० सी० ज० और एस० पी० ज० को बुला कर यह कहा है कि जहां कहीं भी ड्रेन की सफाई करने की जरूरत है और नहरों की मुरम्मत करने की जरूरत है, वह जरूर करें और जहां कहीं भी बरसात का पानी आने की सम्भावना है उसको रोकें और उसके लिए पूरा बन्दोबस्त करने की कोशिश करें ताकि प्रदेश में कहीं पर बाढ़ का पानी न आए। उन अधिकारियों ने जो भी पैसा मांगा था उनको वह दिया गया अध्यक्ष महोदय, यह कोई नैचुरल बाढ़ नहीं थी। कई दफा ऐसा होता है कि बरसात किसी एक एरिया में हो जाए, एक जिले में हो जाये, दो जिलों में हो जाए लेकिन 17 के 17 जिलों में पूरी बाढ़ आई है। कहीं अधिक आयी है कहीं कम आयी है। कहीं पर तो इतनी विनाशकारी बाढ़ आयी है जिसका वर्णन करना भी मुश्किल है। कहते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। आम तौर पर साल में

[चौधरी भजन लाल]

300-350 मिलीमीटर वर्षा आती है लेकिन इस बार इन दिनों में 1200 से ज्यादा मिलीमीटर वर्षा हुई । अध्यक्ष महोदय, आखिर ड्रेन्ज की पानी निकालने की कोई न कोई कैपेसिटी होती है । यदि उसमें कैपेसिटी से ज्यादा पानी आता है तो फिर पानी ने तो कहीं न कहीं जाना है । इसलिए कैपेसिटी से ज्यादा पानी लेने में वे असमर्थ थीं । इसलिए पानी नीचे जायेगा और जहां से रास्ता मिलेगा वहीं जायेगा । वह यह नहीं देखता कि किसका खेत, मकान, शहर या गांव है । पानी ने तो अपना प्रभाव दिखाना ही है । उसको रोक नहीं सकते । जब यह घटना हुई तो मैं, कृषि मंत्री और पावर मन्त्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह, हम सभी ने हैलीकाप्टर से सारी स्टेट का सर्वेक्षण किया । फिर हवाई जहाज से किया । फिर तीसरी बार हैलीकाप्टर से सर्वेक्षण किया । हमने समय पर प्रधानमंत्री, भारत सरकार, वहां के कृषि मंत्री से बात की, वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी से बात की कि हरियाणा प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा मदद दी जाये क्योंकि हरियाणा प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा बाढ़ आयी है । आप जानते हैं कि स्टेट के साधन बहुत सीमित हैं । लेकिन एक बात बड़े दुख के साथ कहनी पड़ रही है कि इस दो दिन की डिबेट में इनकी तरफ से यह बात नहीं आयी कि भारत सरकार को हरियाणा प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए ।

प्रो० सम्पत सिंह : कल हमने कहा था । (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : आप कैसे कह रहे हैं कि हमने यह बात नहीं कही । कल कहा था कि भारत सरकार से ज्यादा से ज्यादा मदद ली जाये ।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी ने कल कहा था ।

चौधरी भजन लाल : यदि कहा था तो अच्छी बात है । अध्यक्ष महोदय, श्री बलराम जाखड़, जो भारत सरकार में कृषि मंत्री हैं, जिनके नीचे यह बाढ़ का मामला भी आता है, मैं भी सेन्टर में कृषि मंत्री रहा हूं और मुझे पता है कि कैसे मदद की जा सकती है किसानों की, गरीब लोगों की, आम आदमियों की, साधारण आदमियों की । जाखड़ साहब, चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला , राम सिंह, दूसरे मंत्री, हमारे चीफ सैक्रेटरी, एफ० सी० आर०, प्रिंसिपल सैक्रेटरी आदि हम सब लोगों ने यह दृश्य देखा और देख कर हमारी आंखों में आंसू आ गए । इस टीम में सैन्टर के एक सैक्रेटरी भी थे । सभी ने उस वक्त यह महसूस किया कि बड़ी भारी भयंकर आपदा हरियाणा पर आ पड़ी है और सभी ने कहा कि बाढ़ ग्रस्त लोगों की पूरी मदद करेंगे । प्रधान मंत्री जी ने जाखड़ साहब से कहा । प्रधान मंत्री ने भी कहा कि हम पूरी मदद करेंगे । सैन्टर की एक 10 लोगों की टीम यानि सीनियर आफिसर्ज की टीम आयी । टीम ने भिवानी, रोहतक तथा अन्य जिलों का जहां पर भी वे जा सकते थे, जैसे जा सकते थे जायें । जमीन के रास्ते से गये, हवाई सर्वेक्षण के रास्ते या पैदल चल कर, जीप में बैठकर, ट्रैक्टरों में बैठकर, गए । इस टीम ने सब कुछ देखने के बाद कहा

कि इतनी भयंकर बाढ़ हमने आज तक कभी किसी प्रदेश में नहीं देखी । उस टीम ने अपनी रिपोर्ट भी भारत सरकार को दी । टीम ने यह भी कहा कि अधिकारियों का इन्तजाम शानदार है, जहां कहीं भी वे गए, एडमिनिस्ट्रेशन भी रात दिन बाढ़ राहत कार्यों में जुटा हुआ है और ये श्रीमान जी कह रहे हैं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया, पैसा खा गए, कमीशन खा गए, पैसा लूट लिया । अध्यक्ष महोदय, इनको सिवाय पैसा और कमीशन खाने के और कोई बात नजर ही नहीं आती क्योंकि ये खुद ऐसे रहे हैं । इन्होंने बंसी लाल जी को भी यह कह दिया कि नहर में कमीशन खा गए । अध्यक्ष महोदय, कमीशन खाने के अलावा इनको और कुछ नजर ही नहीं आता । जो जैसा आदमी खुद होता है, दूसरे भी उसको अपने जैसे ही नजर आते हैं। चौटाला साहब ने कमीशन खाने के अलावा और कुछ किया ही नहीं । अध्यक्ष महोदय, हमें तो मर्यादा में रहना पड़ता है । अध्यक्ष महोदय, मुझे राजनीति में आए एक लम्बा अर्सा हो चुका है और इतने लम्बे अर्से में मैंने कभी भी हार का मुंह नहीं देखा । हमेशा जीत कर आए हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं इनके बाप के जोड़ का हूं । अपने बाप के जोड़ के पहलवान को ये "तू" कह कर बात करते हैं । अध्यक्ष महोदय, आदमी को बोलते समय इतना ध्यान तो रखना चाहिए कि वह किससे बात कर रहा है । मैं इतने लम्बे अर्से से राजनीति में हूं और ये मुझे "तू" कह कर बात करें, क्या यह ठीक बात है ? इनको * * आनी चाहिए, जब भी ये बोलते हैं, 'तू' कह कर बात करते हैं । मेरे बेटे को तू कह कर बात करें तो कोई बात नहीं परन्तु इस प्रकार की बात मेरे लिए कहें इन्हें इसके लिए * * आनी चाहिए ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह व्यवस्था चाहूंगा कि क्या अनपार्लिमैंटरी अल्फाज का इस्तेमाल इस प्रकार से किया जा सकता है ? (विघ्न एवं शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो रिकार्ड की बात है । (विघ्न)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप इनसे कहिए कि ये सीमा में रह कर बात करें । अगर ये इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इससे तल्खी पैदा होगी और कटुता बढ़ेगी । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि आप इन्हें पाबन्द कीजिए कि ये अनपार्लिमैंटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल न करें । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अनपार्लिमैंटरी वर्डज की लिस्ट बनी हुई है । अगर उसमें इसे अनपार्लिमैंटरी दिया हुआ होगा तो इसको एक्सपंज कर देंगे ।

---

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे बेटे को ये "तू" कहें तो समझ में आता है, इनको भी मर्यादा में बोलना चाहिए । (विघ्न) मैं चौधरी बंसी लाल जी को "तू" कहूं तो क्या बात जंचती है ? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ये जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वह सब को पता है । अध्यक्ष महोदय, ये आपके बारे में किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इस प्रकार की अन-पार्लियामैंटरी भाषा इस्तेमाल करने का इनको लाईसैंस मिला हुआ है ? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन लोगों को पता होना चाहिए कि किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, बाकायदा भारत सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए और उन्होंने खुद सब कुछ देखा । हाई पावर्ड टीम आई, उसने भी देखा । उसके बाद माननीय प्रधान मन्त्री जी से दो बार बात हुई और मैंने उन्हें सारी स्थिति के बारे में बताया, मैं प्रधान मन्त्री जी का अत्यन्त आभारी हूं । उन्होंने सहायता के लिए आश्वासन दिया है । नैचुरल कैलेमिटी के लिए 4 किश्तों में, 3-3 महीनों में पैसा मिलता है परन्तु उन्होंने एक साथ 23.65 करोड़ रुपये की राशि दे दी और कहा कि जरूरत के मुताबिक खर्च करो, अगर और राशि की आवश्यकता होगी और भी दी जाएगी । अध्यक्ष महोदय, 4 दिन पहले प्रधान मन्त्री जी से मीटिंग हुई । कृषि मन्त्री, वित्त मन्त्री, प्लानिंग मन्त्री और मैं; तथा हमारे चीफ सैक्रेटरी, हमारे फाईनैंशियल कमिश्नर श्री जे0 डी0 गुप्ता, प्रिंसिपल सैक्रेटरी और भारत सरकार के फाईनैंस सैक्रेटरी, एग्री-कल्चर सैक्रेटरी, एक्सपैंडिचर सैक्रेटरी, यानि सारे सैक्रेटरीज उस मीटिंग में शामिल हुए । पूरा एक घण्टे तक, मीटिंग में मैंने पूरी तफसील के साथ, एक एक बात को विस्तार से बताया कि हमारी स्टेट में कितना नुकसान हो गया है । प्रधान मन्त्री जी से हमने कहा कि किसानों की करीब 1500 करोड़ रुपये की फसल बरबाद हो गई है । इस फसल का पूरा मुआवजा तो हम नहीं दे सकते लेकिन किसानों का जो बीज और खाद का नुकसान हो गया है, उसमें हमें कुछ मदद किसानों की करनी चाहिए और वह हम तभी कर पाएंगे, जब आप हमें मदद करेंगे । हमने उनको बताया कि प्रदेश में 27 लाख एकड़ जमीन में पानी आ गया है और 18 लाख एकड़ की फसल तबाह हो गई है । अगर हम चार सौ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दें तो हमें आपको 72 करोड़ रुपया फौरी तौर पर देना पड़ेगा । हमारे यहां पर 80 हजार ट्यूबवैल्ज ये जो पानी में डूबने की वजह से खराब हो गए हैं । अगर हमें एक ट्यूबवैल पर पांच हजार रुपये देना पड़े तो इसके लिए 40 करोड़ रुपए चाहिए । आज धूप कम पड़ रही है, जब धूप ज्यादा पड़ेगी तो जिन मकानों में तरेड़ें आ गई हैं, वे गिर जाएंगे । जिन मकानों में तरेड़ें आई हैं, वे 2 लाख 22 हजार हैं और जो पक्के और कच्चे मकान गिरे हैं, वे कम से कम 3 लाख हैं । मैंने वहां पर मौके पर जाकर देखा है, मेरे साथ चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी भी थे । वहां पर जो बड़ी बड़ी हवेलियां थीं उनमें 4-4, 5-5 इंच मोटी तरेड़ें आ गई हैं । अगर हम उनकी रिपेयर करवाएंगे तो पक्के मकानों के लिए 5 हजार और कच्चे मकानों के लिए अढ़ाई हजार रुपये देंगे । जो मकान गिर गए हैं, उनमें पक्कों के लिए 10 हजार

रुपए और कच्चों के लिए 5 हजार रुपए देंगे । हमारी एमरजैंट नीड 225 करोड़ रुपए की है और यह फौरी तौर पर जरूरत है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्दिरा आवास और प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 10 लाख मकान बनते हैं । मैंने प्रधान मंत्री जी से कहा कि आप उनमें से 3 लाख मकान हरियाणा में बनवा दें । आपने जो साढ़े 14 लाख का नार्मज रखा है, उसमें से आप हमें 3 लाख मकान दे दें । इससे हम गरीब लोगों की मदद कर सकेंगे । इसी तरह से शहरों में जो दुकानों का नुक्सान हुआ है, वह लगभग 10 करोड़ रुपय का हुआ है । दादरी, भिवानी, रोहतक, बरवाला और जो भी बड़े-बड़े कस्बे शहरों जैसे हैं, उनको हम पैसा देंगे । उनकी हालत देखकर रोना आता है । चाहे किसी भी चीज की दुकान थी, उस में लोगों का सामान सड़ गया है । लोग बाढ़ के पानी से बचने के लिए छतों पर चढ़ गए लेकिन छतों तक भी पानी पहुंच गया है । मैंने उनसे कहा कि शहरों में 12–12 फुट पानी आ गया है । अगर हम 25–25 हजार रुपये प्रति दुकानदार दें तो हमें इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए फौरी तौर पर चाहिएं । पीने का पानी भी वहां पर खराब हो गया, उसमें सिवरेज का पानी मिल गया है, सिवरेज की सारी स्कीमें ठीक करनी पड़ेंगी । उसके लिए हमें 10 करोड़ रुपए फौरी तौर पर चाहिएं । सारी सड़कें और रेलवे लाईनें भी बर्बाद हो गई हैं । कोई भी सड़क ठीक नहीं बची है । 6 हजार किलोमीटर सड़कें बर्बाद हो गई है । हमने प्रधान मंत्री जी से कहा कि हमें इसके लिए ज्यादा पैसा चाहिए और आप हमें 80 करोड़ रुपए सड़कों के लिए दे दें । अध्यक्ष महोदय, हमने उन्हें कहा कि बिजली के सारे के सारे पावर स्टेशनों में पानी घुस गया है । बिजली के पोल गिर गए हैं और ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं । पेड़ गिरने से सारी लाईनें खराब हो गई हैं, इनके लिए भी हमने 15 करोड़ रुपए फौरी तौर पर मांगे हैं । नहरों और ड्रेनज के लिए हमने 30 करोड़ रुपए फौरी तौर पर मांगे हैं ताकि उनकी सफाई और मुरम्मत हो सके, इनके बैंक्स को ठीक किया जा सके तथा पटरियों को बनाया जा सके । इसके लिए हमने भारत सरकार से तीस करोड़ रुपये मांगे हैं । इसी तरह से लोकल बॉडीज के लिए हमने भारत सरकार से 25 करोड़ रुपयां मांगा है क्योंकि शहरों में सिवरेज की हालत, गलियों की हालत बहुत खराब हो गयी है । इसी तरह से अस्पताल और दवाईयों के लिए भी हमने 26 करोड़ रुपया मांगा है । इसी तरह से वैटेनरी में पशुधन के लिए भी हमने उनसे पैसा मांगा है । अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आज एक भैंस बीस हजार रुपये से कम में नहीं आती और दस या बारह हजार रुपये से कम में गाय भी नहीं आती । इस बाढ़ में भेड़ और बकरी जैसे छोटे छोटे जानवर भी बह गए क्योंकि वे तैर नहीं सकते थे । यानी बहुत ही भयंकर नुक्सान पशुधन का हुआ है जिसके लिए हमने भारत सरकार से 11 करोड़ रुपये मांगे हैं । इसी प्रकार से सरकारी भवनों और दूसरी बिल्डिंग्ज के लिए हमने 20 करोड़ रुपये मांगे हैं । इसी तरह से जो सरकारी कर्ज हैं, उनको हम शौर्ट टर्म और मीडियम टर्म में बदलेंगे और इन कर्जों की वसूली ब्याज सहित 6 महीने के लिए मुलतवी करेंगे ताकि लोग अगली फसल आने पर इन कर्जों को आराम से दे सकें । इसके लिए हमने भारत सरकार से तीस करोड़ रुपये मांगे

[चौधरी भजन लाल]

हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आज हर जगह पर पशुओं के चारे की बहुत दिक्कत है। सारी तूड़ी बर्बाद हो गयी है और बहुत बुरी हालत हो गयी है। इसलिए हमने भारत सरकार से इसके लिए दस करोड़ रुपये मांगे हैं।

चौधरी बंसी लाल : आप चारा लाने का प्रबन्ध कहां से करोगे ?

चौधरी भजन लाल : पूरे देश के अन्दर जहां जहां भी चारा मिलेगा, हम वहीं से मंगवाएंगे। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, 2840 गांव पानी से बुरी तरह से खराब हुए हैं। उन गांवों की गलियां खराब हो गयी हैं। अगर हम इन 2840 गांवों में से एक एक गांव को दो दो लाख रुपये भी देंगे तो हमें 57 करोड़ रुपये चाहिएं। हमने भारत सरकार से इतने ही रुपये मांगे हैं। इसी तरह से हमने गांव के जो रिंग बांध हैं, उनको मजबूत करने के लिए एवं जो चौपाले बरबाद हो गयी हैं, उनके लिए हमने 30 करोड़ रुपये मांगे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार लोगों को रोजगार देने के लिए, आप जानते हैं कि सब जगहों पर फसलें बरबाद हो गयी हैं। पहले तो फसलों की कटाई के दौरान गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी कमाकर खा लेता था लेकिन अब उसके पास कोई भी काम नहीं रहा। इसलिए हमने उनको रोजगार देने के लिए भारत सरकार से सौ करोड़ रुपये मांगे हैं। इसी तरह से जो पशु मर गए हैं, उनके लिए हमने दस करोड़ रुपये मांगे हैं। इसी प्रकार से बाढ़ की वजह से जो 170 आदमी मारे गए हैं, उसके लिए हम प्रधान मन्त्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने प्रधान मन्त्री राहत कोष से प्रति व्यक्ति पचास हजार रुपये के हिसाब से चैक भेज दिए हैं और हमने वह चैक डी0सी0 को भेज दिए हैं ताकि उनके परिवार वालों को सहायता दी जा सके।

चौधरी बंसी लाल : आप इसमें पचास हजार रुपये हरियाणा की तरफ से भी ऐड कर दो।

चौधरी भजन लाल : इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, रैवेन्यु का जो नुकसान हुआ है, सेल्ज टैक्स का जो नुकसान हुआ है, आबियाना का जो नुकसान हुआ है, कुल मिलाकर आप जानते हैं कि 1005 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसका जो टोटल जोड़ लगाया है, वह एक हजार चार करोड़ रुपये है, इस में से एक हजार पांच करोड़ रुपये हमने प्रधान मन्त्री जी से मांगे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक एक चीज का जिक्र भी अभी यहां पर किया कि हमने प्रधान मन्त्री जी के साथ मीटिंग में, इन इन चीजों पर इतने इतने रुपये मांगे हैं।

चौधरी बंसी लाल : आप इस राशि को दो हजार करोड़ रुपये कर लो क्योंकि एक हजार पांच करोड़ रुपये उस वक्त मांगे गए थे जब नुकसान का सही सही अन्दाजा नहीं लगा था, अब तो काफी नुकसान हो गया है।

चौधरी भजन लाल : नुक्सान तो प्रदेश के अन्दर दो हजार करोड़ रुपये का ही हुआ है । हमने उनको नुक्सान की लिस्ट दे दी है । जैसे मैंने कहा कि 1500 करोड़ रुपये की फसलें बरबाद हो गयी तो वह सब उसी पैसे में आ गया जो हमने प्रधान मन्त्री से मांगा है ।

श्री सतबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, 135 करोड़ रुपये सेल्ज टैक्स और मार्किटिंग फीस के भी जोड़ लें आपने थोड़ा जोड़ा है ।

चौधरी भजन लाल : वह भी हमने जोड़ लिया है । अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं और बंसी लाल जी भी जानते हैं क्योंकि ये तो स्वयं मुख्य मन्त्री रहे हैं । भारत सरकार की भी अपनी मजबूरी होती है और स्टेट के बारे में तो आप जानते ही हैं कि उस के पास अपने कितने साधन होते हैं, लेकिन हमने फैसला किया है कि हम लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे और भारत सरकार ने भी हमारी भारी सहायता करने का वायदा किया है । जैसा आप जानते हैं, जिन शहरों में फ्लड आ गया था, वहां आर्मी को फौरी तौर से भेजा । जहां-जहां हमने कहा, फौरन आर्मी भेजी । साथ में उन्होंने पानी में चलने की किश्ती, मोटर बोट, दी और बांध बांधने के लिए जहां-जहां भी हमने आर्मी मांगी, सभी जगह आर्मी आई । हमने उनसे कहा कि हमें इतने हैलीकौप्टर चाहिए । ऐयर फोर्स को प्राइम मिनिस्टर साहब ने आर्डर किया कि हरियाणा प्रदेश को जिस जिस सामान की जरूरत हो, चाहे वह किश्तियों की हो .....(विघ्न)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आर्मी ने बड़ा ही सराहनीय काम किया है लेकिन आज जहां पानी खड़ा है । वहां रबी की फसल काश्त होने के आसार नहीं हैं, उसके लिए बड़े बड़े पम्प खरीदकर चौधरी साहब, वह पानी निकाल दो ताकि रबी की फसल काश्त हो जाए ।

चौधरी भजन लाल : चौधरी साहब, मैं इसी बात पर आ रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, हमने इसी तरह से पूरा बन्दोबस्त किया है । छत्तर पाल जी, आपने जो बात कल कही थी, उसका जवाब भी दे देंगे ।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, दो हजार करोड़ रुपये का नुक्सान हरियाणा प्रान्त के लोगों का हुआ है । कल भी भिन्न भिन्न फ्लड अफैक्टिड एरिया से बोलने वाले अनेक लोग थे जिन्होंने कहा कि इसके लिए रिस्पौंसिबल हरियाणा सरकार रही है । डीसिलटिंग नहीं हुई । क्या मुख्य मन्त्री जी इसके बारे में कोई इंक्वायरी कमेटी बैठाने का फैसला कर चुके हैं ? यदि आप साफ हैं तो निश्चित तौर से यह फैसला करेंगे, यह हम समझते हैं ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों की कोताही हमें फौरी तौर पर मिली, बाकायदा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक

[चौधरी भजन लाल]

कार्यवाही की गई और जिन अधिकारियों को वहां से बदला है, उनकी मामूली गलती थी, उनमें एक एस0ई0 था । जिनकी ज्यादा गल्ती थी जैसे सिंचाई विभाग का एक एस0ई0, ऐक्सीयन, एस0डी0ओ0, उनको बाकायदा हमने सस्पैंड किया है और भी हम इस बात की जांच करेंगे कि किस अधिकारी का फाल्ट कहां है, उनके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात बड़े दुःख के साथ कहनी पड़ती है कि बार-बार श्री छतर सिंह चौहान बोलते हैं, खड़े हो जाते हैं । राम भजन जी अग्रवाल बैठे हुए हैं, हम भिवानी जिले में गए । चौधरी बंसी लाल जी भी बैठे हैं, मेरे से पहले न चौधरी बंसी लाल जी वहां गए थे, न कोई और लीडर वहां गया था । हम गए वहां से, हमने बाकायदा सारे मंत्रियों को, सारे एम0एल0एज0, सब एम0पीएज0 की ड्यूटी लगाई कि आप मौके पर जाएं और लोगों का हालमें-हाल लें । लोगों की मुसीबत में शामिल हों । हमारे सारे मंत्री और एम0एल0एज0 अपने अपने क्षेत्रों में रहें और लोगों के बीच में जाकर जो भी लोगों की मदद वे कर सकते थे, इस दुख की घड़ी में, वह मदद करने की कोशिश की । इसी तरह से सारे सीनियर आफीसर, चीफ सैक्रेटरी से लेकर सारे सैक्रेटरीज, हैड आफ दि डिपार्टमैंट्स, सबको फील्ड में भेजा । फील्ड में, एक-एक जिले में, जहां ज्यादा बाढ़ आ गई थी, वहां एफ0सी0आर0 रैंक के अफसर मौके पर थे । कमिश्नर, डी0आई0जी0, आई0जी0 आदि भी सब मौके पर थे ताकि कानून और व्यवस्था भी ठीक रहे और जो लोग मदद कर सकते हैं, वे भी पूरी मदद करें । रात दिन छह-छह फुट पानी में खड़े रहकर हमारे अधिकारियों ने बहुत शानदार काम किया है, अगर मैं उनकी सराहना नहीं करूंगा तो अपने फर्ज से कोताही करूंगा ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, जब मैंने दो तारीख को भिवानी शहर का दौरा किया तो सारा शहर पानी के अन्दर डूबा पड़ा था । भिवानी शहर में घरों के अन्दर चार-चार, पांच-पांच फुट पानी खड़ा था (शोर)

चौधरी भजन लाल : जब बाढ़ पूरी तरह से नहीं आई थी, आप तब वहां पर गये होंगे ?

चौधरी बंसी लाल : भिवानी के अन्दर 25 व 26 अगस्त को बाढ़ आ चुकी थी और दो तारीख को, जब मैं वहां पर गया तो वहां की हरिजन बस्तियों में चार पांच फुट पानी भरा पड़ा था । वहां के हस्पताल के पास चार चार फुट पानी था और हम लोग ट्रैक्टर में बैठकर गये थे । (शोर)

चौधरी भजन लाल : बंसी लाल जी, मैं आपको गुमराह नहीं देता हूं । मुझे तो जो लोगों ने बताया है, वही बता रहा हूं । (शोर)

चौधरी बंसी लाल : लोग तो पता नहीं आपको क्या कुछ कहते होंगे । (शोर) मैं कहता हूं कि मैं भिवानी में मुतवातर गया लेकिन न आपके डी0सी0 वहां पर थे,

और न ही वहां के पुलिस कप्तान ही वहां मिले। उनका आपस में कोई कोआपरेशन ही नहीं है। आपस में उनकी स्पीकिंग टर्मज हो नहीं है। अगर उनका आपस में सहयोग होता तो शहर की ऐसी हालत न होती। (शोर)

प्रो0 छत्तर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा कि मैंने एस0ई0 और एक्सीअन को सस्पैन्ड कर दिया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की है ....(शोर)

श्री अध्यक्ष : छत्तरपाल जी, यह कोई कर्वश्चन आवर नहीं है। आप इस तरह से बीच में इंट्रप्ट न करें। आप बैठिये। (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हम भिवानी में गये। मैं इनको बताता हूं कि इन्होंने हमारे साथ वहां पर क्या करवाया ? (शोर) जरा सुनने की हिम्मत करिये। अध्यक्ष महोदय, इन्हें इस तरह से बीच में इंट्रप्ट नहीं करना चाहिए। यह बड़ी सीरियस डिबेट हो रही है, कोई मजाक की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि हम भिवानी में फ्लड सिचुएशन का जायजा लेने के लिये गये। लाला राम भजन जी और छत्तरपाल सिंह जी भी वहां होंगे, मुझे दिखाई तो नहीं दिये। पता नहीं कहीं खड़े होंगे। बड़े-बड़े अधिकारी लोग भी हमारे साथ थे। इन के यहां के 70,80 या शायद 90 लड़के होंगे, जिन्होंने हमारे खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिये। भजन लाल मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। मेरी गाड़ी तो थोड़ी सी आगे निकल गई थी। उन बच्चों ने हमारे ऊपर पत्थर फेंके जिससे हमारे कुछ अफसरों को चोटें आईं। यह कितनी शर्म की बात है इन लोगों के लिये कि इन्होंने यह सारी लीला रची। वहां के लोगों ने इन के इस काम को बड़ा कण्डम किया। इनको लज्जा आनी चाहिये। लोगों ने कहा कि सी0एम0 आयें, मन्त्री आयें हमारे इस हल्के की सुध लेने के लिए और आप लोगों ने उन पर पथराव किया ? वे लोग तो सरकार की तरफ से हमारे लोगों की मदद के लिए आए हैं और आप लोगों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करवाया है। हम आपके इस ऐक्शन को कंडम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, फिर आप ही बताएं कि ये लोग किस मुंह से यहां खड़े होकर बोलते हैं। क्या यह इनके बोलने का तरीका है ? राम भजन जी, आप तो जिम्मेवार लोग हैं। आप लोगों का यह कर्त्तव्य बनता था कि आप उन्हें ऐसा करने से रोकते। पर ये लोग खुद मिलकर यह करवा रहे थे। अगर यह बात झूठ हो तो यह कह दें, हम इस्तीफा देकर घर चले जाएंगे। इस तरह से हम तो सभी शहरों में बारी बारी गये हैं और लोगों के साथ पूरी हमदर्दी से उनकी सारी बातें सुनीं और फ्लड की स्थिति का जायजा लिया और राहत कार्यों के लिए पूरे प्रबन्ध करने को कहा।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, भिवानी में जो कुछ हुआ, वह सब अनफारचुनेट था और मैं उसको कंडम करता हूं। मेरा इतना ही कहना है कि अगर

[चौधरी बंसी लाल]

मुख्य मन्त्री महोदय गाड़ी रोककर लोगों की दो मिनट बात सुन लेते तो ऐसी सिचुएशन अराइज ही न होती । अगर आपके अधिकारियों ने ओवरली सहानुभूति से कार्य किया होता तो यह सिचुएशन अराईज न होती । जहां तक केसिज रजिस्टर्ड होने का सम्बन्ध है, वह तो शायद रजिस्टर हो चुके हैं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन अगर ये गाड़ी खड़ी करके लोगों की बात सुन लेते और कह देते कि 12.00 बजे मैं पूरा प्रबन्ध करूंगा तो ऐसी बात नहीं होनी थी ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, वे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे । यदि वहां के एम0एल0एज0 मुझे ईशारा कर देते कि गाड़ी रोक कर बात सुन लें तो मैं गाड़ी रोक लेता । मैं डरने वाला नहीं हूं । बनारसी दास गुप्ता को जब ****** ने गोली मरवाई थी, तब भी सब से पहले वहां भजन लाल ही गया था ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, अनर्गल बात की जा रही है । हाउस को गुमराह किया जा रहा है । आप एफीडैविट लिख कर दें कि ओम प्रकाश ने बनारसी दास गुप्ता को गोली मरवाई थी । इस केस का अदालत में फैसला हो चुका है । मुजरिम को सजा हो चुकी है, इसलिए इन्होंने जो बात कही है, वह एक्सपंज की जाए ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, बनारसी दास गुप्ता ने कोर्ट में ब्यान दिया था कि चौटाला के इशारे पर मुझे गोली मारी गई ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : वे भी आप जैसे ही हैं । अध्यक्ष महोदय, इसे एक्सपंज करवाया जाए । ये गलत ब्यानी कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि बनारसी दास गुप्ता का अदालत में ऐसा कोई ब्यान नहीं आया । ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं । अदालत में उस केस की सजा का फैसला हो चुका है और मुलजिम को सजा भी मिल चुकी है जो वह काट रहा है । इसलिए ये लफ्ज एक्सपंज किये जाएं ।

चौधरी भजन लाल : गुप्ता जी ने कोर्ट में यह कहा था कि मुझे गोली ओम प्रकाश चौटाला के ईशारे पर मारी गई । अगर उस ब्यान की कापी हमें मिल गई तो कल को वह दिखा देंगे ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री कह रहे हैं कि ओम प्रकाश 307 का मुलजिम है । इन्होंने कहा कि मैंने बनारसी दास गुप्ता को गोली मरवाई है । आप रिकार्ड से चैक कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : जो मुख्य मन्त्री जी ने अपने मुंह से कहा था, वह एक्सपंज किया जाता है । जो बनारसी दास जी की कोर्ट में ब्यान देने की बात है, वह रिकार्ड में रहेगी ।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, आदरणीय मुख्य मन्त्री जी वहां पर 12 तारीख को गए । उससे पहले भिवानी के विधायक लाला राम भजन जी ने 10 तारीख को मुख्य मन्त्री जी को टैलीफोन किया था कि भिवानी की यह हालत है । भिवानी डूबा जा रहा है । शहरों और देहातों की भी बहुत बुरी हालत है । आपके जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, वे इन-एक्टिव हैं और वे देहात में नहीं गए । मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि मैं इस पर कार्यवाही करूंगा । इन्होंने उनको कहा कि आप मेरे से फिर बात करना । उसके बाद 11 तारीख को फिर उन्होंने चीफ मिनिस्टर के रेजीडैंस पर फोन किया । वहां से पता लगा कि मुख्य मन्त्री जी बाथ रूम में हैं, नहा रहे हैं या पूजा कर रहे हैं । वे सारा दिन इन्तजार करते रहे । हम उनको बताना चाहते थे कि हम किस दुख की घड़ी में से गुजर रहे हैं । चीफ मिनिस्टर आज छाती ठोक कर कहते हैं कि सरकारी अधिकारियों ने लोगों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी । स्पीकर साहब, मैं यह बात ऑन ओथ कहता हूं कि बौंद गांव आज भी 8-9 फुट पानी में डूबा हुआ है । मिथी और जयथी गांव भी 8-8 फुट पानी में डूबे हुए हैं । आज तक उन गांवों में इनका डी०सी० नहीं गया है । स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ऑन ओथ यह कह दें कि क्या उन गांवों में कोई सरकारी अधिकारी या कोई कर्मचारी गया है ? उन गांवों में कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं गया और सरकार की तरफ से उन गांवों के लोगों की कोई मदद नहीं की गई । स्पीकर साहब, 12 तारीख की बात है, भिवानी के लोगों ने कोशिश की कि चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, उनसे मिल कर उनको दुख की बातें बतानी चाहिएं लेकिन लोगों को चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने नहीं दिया गया । जो लोग धरने पर बैठे थे, वे चीफ मिनिस्टर साहब को बताना चाहते थे कि आज भिवानी की क्या हालत है । आज भिवानी में 9 फुट पानी खड़ा है । चीफ मिनिस्टर साहब भिवानी गए और इनसे लोगों को मिलने नहीं दिया गया । चीफ मिनिस्टर साहब उदारता दिखाते और वहां पर खड़े होते और लोगों की बातें सुनते ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ये सारी बातें अपनी स्पीच में कह दी थीं ।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : आपने वहां पर खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा और कह दिया कि लोगों ने पत्थर फैंके ।

चौधरी भजन लाल : यह आप ही बता दें कि लोगों ने पत्थर फैंके थे या नहीं ? (शोर)

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : किसी ने कोई पत्थर नहीं फैंका । आप अपनी विफलताओं को छिपा रहे हैं । (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, फ्लड के दौरान हमने लोगों की हर तरह से मदद करने की कोशिश की । अध्यक्ष महोदय, जब 1988 में फ्लड आया था, उस समय मेरे सामने बैठे भाईयों की सरकार थी । इस फ्लड में जो कोई भाई मर गया था, उसको इन्होंने 10-10 हजार रुपए दिए थे और आज ये कहते हैं दो लाख रुपए दिए जाने चाहिएं । (शोर)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि बाढ़ के दिनों में जिस अर्से में लोगों को बिजली नहीं दी गई, क्या उसके बिल माफ होंगे ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो भी मुद्दे उठाए हैं, उन सभी का जवाब दूंगा । बंसी लाल जी, इस बारे में भी आपको बताऊंगा । अध्यक्ष महोदय, जो लोग 1993 में मरे थे, उनको हमने 50-50 हजार रुपए दिए और आज भी हम 50-50 हजार रुपए दे रहे हैं । इन्होंने उस समय पक्के मकान गिरने पर लोगों को 1200 और कच्चे के 600 रुपए दिए थे ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : उस समय सीमेंट का थैला 118 रुपए का था और आज 160 रुपए में मिल रहा है । स्पीकर साहब, पंजाब के स्वर्गीय मुख्य मंत्री सरदार बेअंत सिंह ने फ्लड आने से पहले एक हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा तय किया था । रूप 1988 की तुलना में आज कह रहे हैं, उस समय खाद का एक थैला 180 रुपए का था, आज उसका कितना रेट है ? (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने उस समय पक्के मकान गिरने के 1200 रुपए प्रति मकान के हिसाब से दिए थे लेकिन हमने 10 हजार रुपए प्रति मकान के हिसाब से लोगों को देंगे और पांच हजार रुपए पक्के मकानों की मुरम्मत के देंगे । इसके अलावा, कच्चा मकान गिरने के पांच हजार रुपए और उसकी रिपेयर के 2500 रुपए देंगे । जो भैंस और गाय मर गई है, उसके लिए भैंस के पांच हजार रुपए और गाय के 4 हजार रुपए देंगे । इसी तरह से भेड़ बकरियों के लिए 1500-1500 रुपए दिए हैं ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : सूअर के मरने पर कितना मुआवजा देंगे ?

चौधरी भजन लाल : आप बता देना आपने कितने सूअर पाले थे और उनमें से कितने मर गए । आपको भी पैसा दिलवा देंगे । (हंसी) अध्यक्ष महोदय, सारी स्टेट में बहुत भयंकर तबाही हुई है । जैसे मैंने आपको बताया कि हरियाणा प्रदेश में 2840 गांवों में बाढ़ का पानी आया और टोटल 22 लाख एकड़ जमीन बाढ़ के पानी के नीचे आई, जिसमें से 18 लाख एकड़ जमीन की फसल बाढ़ के पानी से बह गई है । इसके अलावा 29 लाख आबादी बाढ़ के पानी के नीचे आ गई ।

मकानों के बारे में भी बताया है कि तीन लाख मकान गिर गए । अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बाकायदा एक टीम के माध्यम से राशन, मिट्टी का तेल, खाने की चीजें या दूसरी सुविधाएं लोगों को दीं । स्पीकर साहब, यहां पर यह बात भी आई कि जो राशन बांटा जा रहा था, उसमें पर्ची हमारी डाल दी गई । इस बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि सरकार ने बाकायदा पूरी टीम तैयार करके इलाकों के लिए दवाईयां, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था आदि टीम के थ्रू की है ।

चौधरी बंसी लाल : मुख्य मन्त्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीन्द में एक रघुनाथ मंदिर है । वहां लोगों को जो खाना उस मंदिर की तरफ से दिया जा रहा था, उसमें वहां की रैडक्रास ने आकर अपनी मोहर लगा दी । यदि आप चाहें तो बेशक इस बात की जांच करवा लें कि ऐसा हुआ है या नहीं ।

चौधरी भजन लाल : ऐसा आपकी पार्टी ने किया होगा । (विघ्न)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने तो बाकायदा दवाइयां, खाने की चीजें आदि लोगों को मुहैया करवाई हैं । यह सारा काम हमने पोलिटिक्स से हटकर किया है ।

चौधरी भजन लाल : अच्छा किया । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पशुओं को जहां बीमारी का डर था, वहां पशुओं को टीके लगवाए हैं । स्टेट में ऐसी कोई जगह नहीं रही जहां पर पशुओं के टीके नहीं पहुंचे हों । टीम ने दिन रात काम किया ताकि पशुओं में बीमारी न फैले ।

चौधरी बंसी लाल : यह बात ठीक है, हमने भी पता किया है, टीके लगे हैं । अब एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पशुओं को गलघोटू और पानी में खड़े रहने से जो खुर और मुंह आ जाता है, वह टीके नहीं लगे । कृपया मेहरबानी करके ये टीके भी जल्दी से जल्दी लगवा दें ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, स्टेट के अन्दर 98 लाख पशु हैं । इनमें से 62 लाख 72 हजार 64 पशुओं को टीके लगाए जा चुके हैं । इसी तरह से मुंह आने के टीके एक लाख लगे और पेट में कीड़े पड़ने व खुर आदि आने के 4 लाख 80 हजार टीके लगाए गए । जहां जहां पर पानी उतर रहा है, वहां पर पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए पूरी टीम तैयार की हुई है ताकि गलघोटू आदि की बीमारी न फैले ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह भी नोटिस में लाना चाहता हूं कि जो बारिश का पानी खड़ा है, वह हरा हो गया है और पशु उसको पी रहे हैं । उसमें क्लोरिन व दूसरी दवाई डाली जाये ताकि पशुओं में हैजा आदि न फैले । पशु जो पानी पियेंगे उसका असर फिर आदमियों पर भी पड़ेगा जिससे पीलिया आदि फैलने का डर है ।

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, भिवानी में 50 गायें एक साथ मारी गई हैं, क्या उन लोगों को भी कुछ राहत दी जाएगी ? (शोर)

कंवर राम पाल सिंह : साथ ही आप यह बता दें कि वे गायें कैसे मरी हैं। बारिश के कारण अनाज सड़ गया था और बाहर डाल दिया गया था जिसमें दवाई पड़ी थी। उसको उन गायों ने खा लिया जिस कारण उनकी मृत्यु हुई। यह खबर भी अखबार में आयी थी।

प्रो0 छत्तर सिंह चौहान : वहां पर बड़ी भारी चिन्ता है, मुझे पता नहीं कि क्या कारण है परन्तु 15-20 गायें एक ही दिन में मरी हैं। हो सकता है किसी बीमारी के कारण ही मरी होंगी। क्या इन लोगों को कोई राहत सरकार देगी ?

चौधरी भजन लाल : बाढ़ की वजह से जो पशु मरे हैं, जैसे भैंस के लिए 5000 रुपए प्रति भैंस के हिसाब से मदद जरूर दी जाएगी। हालांकि पूरी मदद तो नहीं हो सकती लेकिन फिर भी जितनी मदद सम्भव हो सकती है, वह सरकार जरूर देगी। (विघ्न)

प्रो0 छत्तर सिंह चौहान : एक ही दिन में इतनी गायें मर जाएं, यह बहुत चिन्ता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे संबंधित मिनिस्टर से कह कर इन्क्वायरी करवाएं कि इतनी गायें मरने का क्या कारण था ? (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हमने हर विभाग से टीमें भेजी हैं। चीफ सैक्रेटरी के साथ भी मीटिंग हो चुकी है और उन्हें हिदायतें हैं कि जिस जगह जिस चीज की जरूरत हो, फौरन भेजें। जितने पैसे की मांग जहां से आए, वह फौरन रिलीज किया जाए। लोगों को पूरी मदद करने की हमने कोशिश की है। सारी स्टेट के अन्दर जो पम्प लगे हुए हैं, सिंचाई विभाग के जो पम्प हैं, उनसे काम हो रहा है और जो पब्लिक हैल्थ के 700 के करीब पम्प लगे हुए हैं उनसे सभी जगहों से पानी निकाला जा रहा है। (विघ्न)

प्रो0 सम्पत सिंह : क्या हर जिले में पम्पों से पानी निकाला जा रहा है ? (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : जिन जगहों से मांग आ रही है वहां से पानी निकालने का हम प्रबन्ध कर रहे हैं। (विघ्न)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्य मन्त्री जी डिस्ट्रिक्टवाईज रकमों की ब्रेकअप बता सकेंगे कि ब्रेकअप क्या है ?

चौधरी बंसी लाल : जी हां, भिवानी जिले में 35 पम्प पब्लिक हैल्थ के और 28 पम्प इरिगेशन डिपार्टमैंट के हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं डिस्ट्रिक्टवाईज भी बता देता हूं भिवानी में 78, हिसार में 63, जींद में 115, कैथल में 105, रोहतक में 200, सोनीपत में 200, अम्बाला में 26, फरीदाबाद में 33, गुड़गांव में 40, नारनौल में 8 पम्प लगे हैं। (विघ्न)

श्री बलवन्त सिंह मायना : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्य मन्त्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि 200 पम्प जो रोहतक में बताए हैं, क्या वे रोहतक शहर में हैं या सारे रोहतक जिले में हैं ?

चौधरी भजन लाल : ये पम्प इरीगेशन के हैं जो शहर और गांवों में चल रहे हैं और पब्लिक हैल्थ के शहरों में हैं।

श्री बलवन्त सिंह मायना : इनमें से कितने पम्प चल रहे हैं ?

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, पम्पों में से जो डी-वाटरिंग हो रही है, प्लास्टिक के लिफाफे उसमें बड़ी भारी रुकावट डाल रहे हैं, क्या इस बारे सरकार कुछ कर रही है या इन पर पाबन्दी लगाने के बारे में सरकार का कोई विचार है ? (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहता हूं कि मेरे पास जिले के आंकड़े हैं।

चौधरी ओम प्रकाश जेरी : इसमें इलैक्ट्रीसीटी और डीजल पम्प कितने-कितने हैं ?

श्री बलवन्त सिंह मायना : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पूछा है उसकी जानकारी तो दें।

चौधरी भजन लाल : आप बैठ जाएं। हम आपका जवाब भी दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्राईवेट संस्थाओं का धन्यवादी हूं जिन्होंने हमारी अपील पर बाढ़ से घिरे लोगों की मदद की है और हमने भी उनको कपड़े भेजे हैं।

प्रो० राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मन्त्री जी ने माना कि सामाजिक संस्थाओं ने और प्राईवेट संस्थाओं ने सबसे पहले लोगों के पास जाकर उनकी मदद की है। उसमें राष्ट्रीय संस्थाएं, हिन्दू परिषद, आर्य समाज और जितनी भी पार्टियां जैसे एस०जे०पी०, बी०जे०पी० आदि थीं, इन्होंने वहां पर जाकर उन लोगों की सहायता की है। मैं मुख्य मन्त्री जी से यह कहूंगा कि ये उन सबके नाम तो नहीं ले पाएंगे, इसलिए ये एक लिस्ट बनाकर उन सभी संस्थाओं आदि का धन्यवाद कर दें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने यही तो किया है। मैं इसलिए भी उनको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी अपील पर आगे आकर बाढ़ से घिरे लोगों की मदद करी है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रावती : अध्यक्ष महोदय, मदद तो सब ने करी है। उसमें कांग्रेस पार्टी ने भी करी है, कई संस्थाओं ने मदद करी है। उन संस्थाओं में गांवों के भी लोग हैं जिन्होंने मदद करी है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मुख्य मन्त्री जी कह रहे हैं कि हमने अपील की है और बाद में इन्होंने अपनी बात सुधार ली कि सबने मिलकर अपील की है।

चौधरी भजन लाल : सभी ने मिलकर आपने नहीं करी है, ऐसा मैंने नहीं कहा है।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, सभी लोगों ने बिना कास्टीज्म को मद्देनजर रखते हुए लोगों की मदद की है। जहां तक मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि इन्होंने अपील की है, आप इस बारे में रिकार्ड देख लें, अगर इन्होंने एक बार से ज्यादा अपील की हो। इनकी जो अपील है, वह पंजाब केसरी में छपी थी कि पंजाब केसरी मुख्य मन्त्री के फंड में सहायता करने वाले का नाम छापेगा। लेकिन लोगों ने इनको पैसा नहीं दिया क्योंकि लोग इनको इसके लिए फिजिबल (योग्य) नहीं समझते हैं, उनका इन पर विश्वास नहीं है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी ने जो 'फिजिबल' वाली बात कही है, मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या कह रहे हैं। पंजाब केसरी अपने हिसाब से काम करता है। हमने पंजाब केसरी से नहीं कहा कि आप हमारे लिए चन्दा इकट्ठा करो। लेकिन हमें उनके आभारी हैं कि वे एक लाख रुपये खुद हमें देकर गए। इसलिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। मैंने तो यह पेपर में ही पढ़ा है कि उन्होंने लिखा है कि हरियाणा में भयंकर बाढ़ आ गयी है, इसलिए चन्दा इकट्ठा करके सहायता करनी चाहिए। हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि चन्दा कम आया था या लोगों ने हमारी अपील पर कम मदद की है, ठीक नहीं है। हमने सबसे अपील की थी कि यदि आप मदद दे सकते हैं तो अवश्य दें। हम तो आपसे भी कहते हैं कि हमने जो आपको बीस या चालीस लाख रुपए दिए हैं, वह आप प्लेड के लिए दे दो।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, हमने वह पैसा नहीं लिया है।

चौधरी भजन लाल : लेकिन सरकार ने तो सबको पैसा दिया है, अगर आपकी इजाजत हो तो हम उस पैसे को फ्लड के एरिये में लगा दें । (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जो पैसा एम०एल०एज० की डिस्क्रीशन पर दिया गया है और जो प्रोपोजल सभी एम०एल०एज० ने बनाकर देनी थी वह तो टाईम बाउंड थी कि इतनी इतनी तारीख को आप अपनी अपनी स्कीम्ज भेज दें । सर, वह सारी स्कीम्ज तो सरकार के पास जा चुकी हैं । जिन गांवों में यह पैसा लगना है, उनको अनाउंस किया जा चुका है और सरकार की तरफ से भी अनाउंस किया जा चुका है कि चालीस चालीस लाख रुपए उनके डिस्क्रीशन पर सरकार छोड़ती है । सर, पहले वाला पैसा तो आलरेडी ही स्कीम्ज में जा चुका है लेकिन ये कहते हैं हैं कि अब हम वह पैसा फ्लड के लिए दे दें । आप हमें चालीस चालीस लाख रुपए और दे दो तो हम वह पैसा फ्लड के लिए दे देंगे । (विघ्न)

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा) : अगर आगे और पैसा आपको मिल गया तो क्या आप फ्लड के लिए दे देंगे ?

प्रो० सम्पत सिंह : वह पैसा हम फ्लड के लिए दे देंगे । (विघ्न) लेकिन हम यह पैसा आप लोगों को नहीं देंगे ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां जहां पर जरूरी था वहां पर हमने मोटर बोट, किश्तियां एवं लोगों को राशन पहुंचाने की पूरी कोशिश की है । इसी तरह से श्रीमान ओमप्रकाश चौटाला जी ने यहां पर बोलते हुए कह दिया कि लोग तो बाढ़ में मर रहे थे । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आप छत्तर पाल सिंह को बीच में ही बोलने से रोकिए, वरना फिर वही पहले वाली कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : स्पीकर सर, मुख्य मन्त्री महोदय ने चालीस चालीस लाख रुपये की चर्चा की है.....

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं ? इनको हाउस का कायदा सिखाना चाहिए (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आप इनको बीच में बोलने से रोकिए ।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : स्पीकर सर, सरकार ने सभी एम०एल०एज० को बीस बीस लाख रुपए दिए थे । हमने सरकार को अलग अलग काम करवाने की लिस्ट बनाकर दी थी लेकिन सर, मेरी कांस्टीच्यूएंसी में सिर्फ 9.5 लाख रुपए ही अब तक लगे हैं, बाकी कोई पैसा वहां पर नहीं लगा है । सर, सरकार ने जो पैसा एम०एल०एज० की डिस्क्रीशन पर छोड़ा है कि वह अपनी मर्जी से अपनी कांस्टीच्यूएंसी में काम करवा सकता है, लेकिन इस प्रोपोजल को लागू करने के लिए तो कंडीशन है ।

श्री अध्यक्ष : छत्तर पाल सिंह जी, आप अभी बैठिए । यह आपके बोलने का ओकेजन नहीं है ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला जी ने बोलते हुए कहा कि भजन लाल का बेटा रैड बिशप में एक तरफ तो जन्म दिन की खुशी मना रहा था और दूसरी तरफ बाढ़ से लोग मर रहे थे तथा दो हजार लोगों की वहां पर पार्टी थी । वहां पर लोग शराब पी रहे थे और शराब दी जा रही थी । अध्यक्ष महोदय, 13 तारीख को बाकई में उसका जन्मदिन था । उस दिन जब मैं पूजा पाठ करने नीचे आया तो मैंने देखा कि पंचकूला के तीन सौ या चार सौ लोग वहां पर खड़े थे और चन्द्रमोहन को मुबारकबाद दे रहे थे । मैं तो उस दिन दिल्ली चला गया था लेकिन बाद में मैंने पता किया कि वहां पर चार बजे एक ऐसी पार्टी थी जिसमें बेसहारा लोगों को कपड़ा बांटा जाना था । लेकिन ये तो सबको अपने जैसा ही समझते हैं, चाहे कोई भी मरा पड़ा रहे, लेकिन इनको तो केवल अपना अपना ही चाहिए कि इनको कुछ भी दे दो । अध्यक्ष महोदय वहां पर कोई भी पार्टी नहीं थी, कोई फंक्शन नहीं था । वहां एक ऐसा फंक्शन था जिसमें ब्लड डोनेशन की बात थी और शाम को गरीब लोगों को कपड़ा बांटने की बात थी किन्तु ये तो उसको भी पार्टी कहते हैं । (विघ्न)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक रिकार्ड की चीज बता रहा हूं । मैं अपनी बात को पुनः दोहरा ही नहीं रहा हूं बल्कि जोर देकर कह रहा हूं कि 13 तारीख को बी0आर0 वशिष्ट नाम का एक वेयर हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन था, उसकी मियाद खत्म हो रही थी और उसने मुख्य मन्त्री के साहबजादे को राजी करने के लिए ब्लड डोनेशन का ढोंग रचा था । अगर ऐसा नहीं था तो मुख्य मन्त्री का बेटा स्वयं इस हाउस में बैठा है, वह बताए कि क्या इसने ब्लड दिया या नहीं दिया ? अध्यक्ष महोदय, इसके बाद जो नया के0सी0 पैलेस का मालिक पवन बंसेचा है, वह वेयर हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनना चाह रहा था, उसने रैड बिशप के अन्दर दो हजार लोगों की पार्टी की थी । अध्यक्ष महोदय, वहां पर शराब ही नहीं चली, बल्कि अब मैं हाउस के अन्दर ओन ओथ कह रहा हूं कि वहां पर लड़कियों का डांस भी हुआ है, लड़कियां नचायी गयी हैं । अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो बाढ़ से लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ ये लड़कियों का डांस करवा रहे हैं । यह एक रिकार्ड की बात है कि ये वहां पर लड़कियां नचा रहे थे । स्पीकर सर, आप रिकार्ड मंगवा कर देखिए । (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर सर, मैं इनका इस बात का चैलेंज कबूल करता करता हूं । आप हाउस की कमेटी बना दें और वह कमेटी इस बात की इंक्वायरी कर ले । रात 8 बजे लड़कियां नाचने के वक्त मेरा बेटा अगर वहां होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, या ये इस्तीफा दें । (शोर एवं व्यवधान)

मैं कहता हूं कि होटल में डांस रोज होते होंगे, सारी रात डांस होते होंगे लेकिन इस बात की मेरी ठेकेदारी नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : आपके बेटे के जन्म दिन की पार्टी के मौके पर डांस चले हैं। (शोर)

चौधरी भजन लाल : इस बात पर नहीं चले हैं। (विघ्न) मेरा बेटा तो छः बजे शाम घर वापस आ गया था।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, इस पार्टी की पेमन्ट उन्होंने की है जो चेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन के चेयरमैन बनना चाहते हैं, उन्होंने दी है। आप इंक्वायरी कर लें। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर सर, ये कहते हैं कि चेयरमैन, चयरमैन को बने हुए 8 महीने हो गए हैं, कितनी गलत बात ये कहते हैं? तीन साल के लिए चेयरमैन बनता है। आपकी तरह से थोड़ी कि बिना एम0 एल0 ए0 बने पैसा लेकर मंत्री बना दो। ऐसा काम भजन लाल नहीं करता।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, इन्होंने कहा है कि बिना एम0 एल0 ए0 पैसे लेकर मन्त्री बनाया है, क्या यह जायज बात है? आज यह बात हाउस की प्रोसीडिंग में आएगी और अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति का ये जिक्र कर रहे हैं, (शोर एवं व्यवधान) वह आज की कांग्रेस का, पार्लियामैन्ट का मैम्बर है। क्या इन्होंने पैसे लेकर टिकट दिया है, क्या उस व्यक्ति को पैसे लेकर बनाया है? (शोर एवं व्यवधान) इस तरह से जो जी में आए, कह देते हैं, यह कोई तरीका थोड़ी है? कांग्रेस की पार्लियामैन्ट की टिकट उसको आपने पैसे लेकर दी है? (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, टिकट हाई कमान देता है और वह आदमी कांग्रेस में था, उसे टिकट दी है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, प्राईम मिनिस्टर जिसके बुलावे पर आता हो और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी जिसके नीचे पटक दी जाती हो, उस व्यक्ति के मुतल्लक यह कहा जा रहा है। चीफ मिनिस्टर नीचे फर्श पर पड़े हुए हैं और वह पार्लियामैन्ट का मैम्बर जो कांग्रेस टिकट पर जीतकर गया, वह प्राइम मिनिस्टर के बराबर बैठा है, उस व्यक्ति को क्या पैसे लेकर टिकट दिया था। यह इनकी केडेबिलिटी है, यह हालत है, यह नरसिंहा राव से पूछिए? (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल ही गलत और बेबुनियाद बात इन्होंने कही है। आप हाउस की एक कमेटी बना दें यह बात साबित हो जाए तो ये इस्तीफा दे जाएं या मैं दे दूंगा। इंसान को ठीक बात कहनी चाहिए। जैसी आदमी की शक्ल हो, वैसी बात करे ? अगर आदमी के हाथ पांव ठीक न हों तो बात तो ठीक करे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ऐसी बात न कहें, प्लीज।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप इनको रोकिए चौटाला साहब, आप क्यों पर्दे खुलवाते हो, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : यह शक्लें कहां से आई हैं, कैसे आई हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगा।

श्री सतबीर सिंह कादवान : अध्यक्ष महोदय, इनकी कांग्रेस पार्टी का प्रैजिडैन्ट आज का प्रधान मन्त्री एम० पी० नहीं था, जब वह प्रधान मन्त्री बना। बोलो किस-किसने कितने कितने पैसे लिए, बताओ आप ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री कैसे प्रधान मन्त्री बन गया। सारी पार्टी ने सर्वसम्मति से उनको चुना। इनके पिता श्री ने भी यह कहा कि सबसे बढ़िया अगर कांग्रेस में कोई व्यक्ति है तो वह पी० वी० नरसिंहा राव हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, सारी कांग्रेस पार्टी का राव साहब के बारे में यूनैनीमस फैसला हुआ था। माइनारिटी की सरकार होते हुए भी कितना शानदार काम उन्होंने सरकार का चलाया है और चला रहे हैं और देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। ऐसे बढ़िया आदमी के बारे में वह यह जो कह रहे हैं, इनको * * आनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अभी चर्चा में इन की तरफ से भाग लेते हुए श्रीमान ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि आज हरियाणा के अन्दर प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। साथ में कहा कि जमीदारों से बिल भी गलत ले लिये और प्राईवेट संस्थाओं से बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सामान लिया गया था। अभी तक तो कुछ हुआ भी नहीं और प्रशासन के खिलाफ इन्होंने कितनी कितनी बातें कह दीं। मैं कहता हूं कि हरियाणा के प्रशासन पर तो इन्हें गर्व होना चाहिए (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : पैकेट खूराक के लोगों में बांटे गये। जो रिलीफ दी गई लोगों को उसकी तीन लाख की तो जींद में रेड काल की पर्चियां निकली हैं जोकि समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से हैं। (शोर)

---

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : स्वयं गुप्ता जी ने उन समाज सेवी संस्थाओं को इस के लिये मजबूर किया और वहां पर झगड़ा भी हुआ। व कहने लगे कि नहीं हम आपको नहीं देंगे हम अपने लैवल पर ही सहायता भेजेंगे। पंचियां जगह जगह निकली हैं। (शोर)

वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : चौटाला साहब, कुछ तो सच बोला करो। (शोर)

चौधरी भजन लाल : सच तो ये तब बोलें जब सच बोलने का इनको पता हो। (शोर) गलत बोलते हुए कभी उन्होंने मसानी ब्रांच के बारे में कह दिया और कभी बंसी लाल जी के ऊपर इलजाम लगा दिया। चौटाला साहब, यह मसानी ब्रांच तो आपके पिता श्री के वक्त में बनी थी। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : हमारे वक्त में यह लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये बनी थी लेकिन उसके शटर भी आप आज तक नहीं लगा सके। (शोर) अगर उस वक्त इसके शटर लग गये होते तो आज 20—25 गांवों का नुक्सान न होता। इससे पहले अधिवेशन में भी यह बात चली थी, आप दोनों ही पूर्व मुख्य मन्त्री यह कह रहे थे कि मसानी नदी कोई है नहीं मसानी क्रिज कोई नहीं है और इसीलिए वह शटर नहीं लगाये गये जब कि इसके लिए लोगों की मांग थी। अगर वे शटर लग गये होते तो रिवाड़ी जिले के जो 30 गांवों हैं। उनकी तबाही नहीं होनी थी। आपके अपने मन्त्री ने ही यह कहा था कि हमारा नुक्सान हो गया। उस पानी से तो नुक्सान की बजाये लाभ मिलना था, पर सरकार की नाएहलीयत की वजह से यह नुक्सान हुआ है। (शोर)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर सर, इन्होंने जो जो बातें कहीं उनका कोई सार नहीं है, इनकी इन बातों का मैं जवाब दूंगा। ये किसी सच बात को तो कह नहीं सकते। (शोर) अध्यक्ष महोदय, पानी निकालने का जहां तक सम्बन्ध है, उस बारे में चौधरी बंसी लाल जी ने बिल्कुल सही जवाब दिये हैं। मैं उनकी तारीफ किये बगैर नहीं रह सकता।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : जिसकी आप तारीफ करोगे उसका बेड़ा ही बैठ जाएगा।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, कभी तो ये कह देते हैं कि भजनलाल बंसी लाल से मिला हुआ है और कभी बंसी लाल जी बोलेंगे कह देंगे कि भजन लाल ओम प्रकाश चौटाला से मिला हुआ है। (शोर)

प्रो० छत्तर पाल सिंह : आप खुद ही इस तरह की बातें बनाते रहते हो (शोर)

चौधरी भजन लाल : छोड़ो स्पीकर साहब, * * * * * जो बिना आपकी इजाजत के बोले तो उसको * * * ही कहना पड़ेगा (शोर)

प्रो० छत्तर पाल सिंह : * * * * * * (शोर)

चौधरी भजन लाल : मैं मिला हुआ किसी से नहीं हूं। झगड़ा इनका आपस का है। अब बंसी लाल जी तो कहते हैं कि मेरी सीटें फालतू आएंगी और ये कहते हैं कि मेरी फालतू आएंगी। झगड़ा 17 जमा 7 यानी 24 सीटों का है मैं कहता हूं कि 24 नहीं बल्कि दोनों की मुश्किल से 20 सीटें आएंगी। अब सवाल यह है कि बीस में से मैजोरिटी में ज्यादा कौन लेगा ? इसके अलावा और कोई झगड़ा नहीं है।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, अच्छी बात यह होगी कि मुख्य मन्त्री जी एक तो हमें यह बताएं कि जे० एल० एन० की कैपेसिटी जो 32 सौ क्यूसिक की थी आज 12 सौ क्यूसिक रह गई है, उसको कब तक ठीक करवाया जाएगा हांसी ब्रांच की कैपेसिटी 56 सौ क्यूसिक की थी जो आज चार हजार क्यूसिक रह गई है। नरवाना ब्रांच पंजाब में करीब 50 कि० मी० है, उसमें सिल्ट भरने से उसकी कपैसिटी चार हजार क्यूसिक की बजाए हमें पंजाब से तीन हजार क्यूसिक पानी मिलता है। इसके अलावा जो पेड़ सड़कों पर कटे पड़े हैं, उनको कब तक उठा दिया जाएगा ? एक बात यह है कि जिस अर्से में बिजली बन्द रही, उसके बिल किसानों को न दिए जाएं। आज जगह जगह नहरें कटी पड़ी हैं। पीने का पानी अगले दो महीने तक कहीं से नहीं आएगा। जो नहरें कटी पड़ी हैं, उनका इलाज किया जाए। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर का प्रबन्ध कब तक हो जाएगा ? अब आगे सर्दी आएगी, उसके लिए आप गरीब आदमियों के लिये प्रबन्ध करें। गरीब लोगों के बच्चों को दूध देने का भी प्रबन्ध करें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने अच्छी बातें कही हैं। इन्होंने कहा कि एक तो मास्टर प्लान बनाना चाहिए। मैं इनको बताना चाहता हूं कि पूरा मास्टर प्लान हमने पहले ही बना लिया है। उसके लिए बाकायदा चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है। वह मास्टर प्लान हमारी अकेली स्टेट से काम नहीं करेगा। उसमें बाकायदा राजस्थान और पंजाब को भी शामिल करना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहां पानी राजस्थान और पंजाब से ही आता है। हम ठीक तरीके से मास्टर प्लान बनाएंगे ताकि राजस्थान और पंजाब के

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

पानी को रोका जाए, वह हरियाणा में न आए। ऐसा करने के बाद हमारी प्लानिंग ठीक होगी। हम इस बारे में चीफ मिनिस्टर लैवल और मिनिस्टर लैवल पर उनसे बात करेंगे। हम चाहते हैं कि भविष्य में बाढ़ न आए। फिर आपने पूछा कि पानी कब तक निकल जाएगा। हमारी कोशिश यह होगी कि 15 अक्तूबर तक पानी जरूर निकल जाए। मैं समझता हूं कि अगर 15 अक्तूबर तक सारा पानी न निकला तो 75 परसैन्ट खेतों का पानी जरूर निकाल देंगे। हमारी कोशिश होगी कि 31 अक्तूबर तक सारी स्टेट में कहीं भी पानी न रहे।

चौधरी बंसी लाल: आप एक कमिटमैन्ट कर दें कि 31 अक्तूबर तक सारा पानी निकाल देंगे।

चौधरी भजन लाल: ठीक है, हम 31 तक टोटल पानी निकाल देंगे सिवाए उन जगहों के जो झील की तरह बनी हुई हैं या नीची हैं। झील की तरह से कोई जगह हो उसको छोड़ कर बाकी सभी जगहों का पानी 31 अक्तूबर तक निकलवा दिया जाएगा। हम किसानों की अगली फसल बुआएंगे और उसके लिए बीज और खाद का बंदोबस्त करेंगे। किसानों को बाकायदा बीज और खाद सबसीडाइज्ड रेट पर मुहैया कराएंगे और कैश की बजाय इन-काइंड भी देंगे।

चौधरी बंसी लाल: 80 हजार के करीब ट्यूबवैल्ज बाढ़ के पानी में बैठ गए, क्या आप नए ट्यूबवैल्ज लगाने के लिये किसानों को कर्जा देंगे?

चौधरी भजन लाल: अगर भारत सरकार ने फालतू पैसा दिया तो जरूर देंगे लेकिन पांच हजार रुपए जरूर देंगे।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अगर इस बात के लिये आप पूरी तरह से तैयार हैं कि 31 अक्तूबर तक चप्पा चप्पा जमीन से बाढ़ का पानी निकाल दिया जाएगा और रबी की फसल की बुआई हो जाएगी तो ठीक है क्योंकि इसी बात को ले कर हरियाणा प्रदेश में बहुत से लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हाउस का एक माननीय सदस्य भी मरण व्रत पर बैठा हुआ है। उनका सिर्फ यही कहना है किसानों की खरीफ की फसलें खराब हो गई हैं, बरबाद हो गई हैं लेकिन रबी की फसलों की मुकम्मल तौर पर बिजाई हो जाए। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने यकीनी तौर पर यह कहा है कि वे 31 अक्तूबर तक बाढ़ का सारा पानी निकलवा देंगे तो मेरा आपसे निवेदन है कि हाउस की तरफ से उन लोगों को सामूहिक तौर पर यह कहा जाए कि जो मरण व्रत पर बैठे हैं, कि आप अपना व्रत तोड़ दें, सरकार 31 अक्तूबर तक बाढ़ का सारा पानी निकलवा कर किसानों की रबी की फसल बुआ देगी। अध्यक्ष महोदय, उनके प्राण बचना जरूरी है। इस हाउस के एक सम्मानित सदस्य भी मरण व्रत पर बैठे हैं।

चौधरी भजन लाल : न तो उनके कहने से कोई बात सरकार करने वाली है और न ही उनके कहने से सरकार का पाया हिलने वाला है।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : वह लोग हरियाणा प्रदेश के लोगों के इन्ट्रस्ट में अपने प्राणों की बाजी लगा कर, एक अच्छे काज के लिये मरण व्रत पर बैठे हुए हैं। आज सरकार कहती है कि सरकार किसान की रबी की फसल बुआएगी तो हाउस को उन्हें यह कहने में क्या ऐतराज है कि सरकार रबी की फसल की बुआई कराएगी इसलिये आप अपना मरण व्रत तोड़ दें? इस हाउस के एक सम्मानित सदस्य भी मरण व्रत पर बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह आपकी भी और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उस माननीय सदस्य को यह बात कही जाए और उनको मरण व्रत से उठाया जाए।

चौधरी भजन लाल : आप जा कर बता दें, हाउस कोई बात नहीं कहेगा।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : आप इस बात पर कायम हैं कि 31 अक्तूबर तक बाढ़ का सारा पानी हरियाणा प्रदेश के गांवों से निकाल दिया जाएगा तो हाउस को यह बात कहने में क्या आपत्ति है। उनको यह बात कही जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, हाउस का एक माननीय सदस्य मरण व्रत पर बैठा है, उनको मरण व्रत से उठाने के लिये कोई रास्ता निकाला जाए।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, किसानों के कर्जे की वसूली भी अगली फसल तक के लिए मुलतवी कर दी है।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस हाउस के एक सम्मानित सदस्य के प्राणों को बचाने के लिये कोई रास्ता जरूर निकाला जाए।

श्री अध्यक्ष : चीफ मिनिस्टर साहब ने अश्योरैन्स दी है, आप उनको जा कर बता दें और उनको जूस पिला कर उठा दें।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, इसमें सवाल किसी पोलिटिकल पार्टी का नहीं है, सवाल इस हाउस के एक माननीय सदस्य का है। जो मरण व्रत पर बैठे हुए हैं धीर पाल जी भी इस हाउस के सम्मानित सदस्य हैं। उनको मरण व्रत पर बैठाने का किसी का इशारा नहीं है। जब उन्होंने सारे प्रदेश में बाढ़ के कारण हुई तबाही को अपनी आंखों से देखा तो वे भावुक हो कर मरण व्रत पर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि कल को इन लोगों का क्या होगा क्योंकि लोगों का सब कुछ तबाह हो गया। इन बातों को देखते हुए वह विक्षिप्त हो कर मरण व्रत पर बैठ गए। आज उनको मरण व्रत पर बैठे आठवां दिन है। स्पीकर साहब, उनका वेट घटता जा रहा है और आज उनकी स्थिति चिंताजनक है। स्पीकर साहब, आप हाउस के

कस्टोडियन हैं आपका वह एम0 एल0 ए0 है । वह हमारी बात नहीं मानता । सरकार उनको आश्वासन दे । (शोर) यदि सरकार आश्वासन नहीं देती तो वह हाउस के कस्टोडियन हैं, आपका वह मैम्बर है, एक मैम्बर की जान को खतरा है । आप अपनी तरफ से अपील कर दें । (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप साइड टॉक न करें, सी0 एम0 साहब को जवाब देने दो ।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, आप कह सकते हैं, आपकी बात वे मान सकते हैं । (शोर) यदि कोई पोलिटिकल वाली बात होती तो हम फिर आपसे क्यों यह रिक्वेस्ट करते कि आप उनसे भूखहड़ताल से उठने की अपील करें ? स्पीकर साहब, आप हाउस के कस्टोडियन हैं । (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, लगता है कि मानवता ही समाप्त हो गई है । ये आपको कुछ सुझाव देंगे, आप उसको कानून मान लेंगे । मेरी प्रार्थना है कि उनकी जान को खतरा है । आपके परिवार का वह सदस्य है उसकी जान खतरे में है । (शोर)

बिजली मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : यहां पर पानी को निकालने के बारे आश्वासन देने की बात है । बाकायदा गवर्नमैंट ने कमिटमैंट की है कि हर कीमत पर साढ़ी की फसल बचाएंगे । चौधरी सम्पत सिंह जी ने कहा कि वे भावना में बह गये हैं, यदि इनको उनकी इतनी चिन्ता है तो सम्पत सिंह जी उनको उठा दें और खुद भूख हड़ताल पर बैठ जाएं । (शोर)

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मिनिस्टर इस मसले को बहुत लाईटली ले रहे हैं । इसको इतना लाईटली ना लें । आज उनको भूखहड़ताल पर बैठे हुए 8वां दिन हो गया है । उस आदमी ने घूम घूम कर सारे हरियाणा को देखा और जब यह महसूस किया कि वाकई बाढ़ के कारण हालत बहुत खराब हैं तो वे इसी बात से परेशान होकर भूखहड़ताल पर बैठे हैं कि सरकार इन आदमियों की अधिक से अधिक सहायता करे । हम कोई पोलिटिकल बात यहां पर नहीं कह रहे । (शोर)

श्री बीरेन्द्र सिंह : मुख्य मंत्री जी ने पानी निकालने का आश्वासन दे दिया है ।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, आप पोलिटिकल पार्टीज से ऊपर हैं । जब आप इस सीट पर आ गए हैं तो आपका किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं है । इसलिए हम चाहते हैं कि आप उनसे अपील करें कि वे भूखहड़ताल पर से उठ जाएं ।

श्री अध्यक्ष : क्या आप अपील कर चुके हैं सम्मत सिंह जी ?

प्रो0 सम्मत सिंह : स्पीकर साहब, हम तो बार बार अपील कर चुके हैं । हमने तो भूखहड़ताल पर बैठने से पहले कहा था कि आप इतना बड़ा कड़ा कदम न उठाएं । लेकिन वे हमारी बात नहीं मान रहे । वे सारे हरियाणा प्रदेश के हित के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं । आप अपील करें तो शायद व मान जाएं । आपका वह मैम्बर है, स्पीकर साहब, सरकार अपील नहीं करती तो आप अपील करें कि वे भूख हड़ताल से उठ जाएं । (शोर) हमारे एक मैम्बर की जान को खतरा है । आप अपील करें, इसमें आपकी प्रैस्टीज का कोई सवाल नहीं है ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये रोहतक में चौधरी धीरपाल सिंह जी भूख हड़ताल पर बैठा बता रहे हैं । रात के 9 बजे ये अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत करवाते हैं । जब वह यहां पर है तो भूख हड़ताल पर कैसे है ? (शोर) अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि या तो के दस्तखत फर्जी हैं या के भूखहड़ताल पर नहीं हैं । (विघ्न एवं शोर)

प्रो0 सम्मत सिंह : स्पीकर सर, ऐसी कोई बात नहीं है । ये दस्तखत रोहतक जा कर करवा कर लाए हैं । (विघ्न एवं शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हाउस को गुमराह किया है । चौधरी धीरपाल सिंह जी के दस्तखत जाली हैं, ऐसा प्रतीत होता है । (विघ्न एवं शोर)

प्रो0 सम्मत सिंह : स्पीकर सर, रोहतक जा कर उनसे दस्तखत करवाए गए हैं । ये इस बात को झूठ मानें, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है ? (विघ्न एवं शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, वे आमरण अनशन पर हैं, यह सही बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है । अध्यक्ष महोदय, ये तो हर बात को तोड़-मरोड़ कर कहने के आदी हो गए हैं । (विघ्न एवं शोर) यह एक मैम्बर की जिन्दगी का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : यह कागज मेरे पास है । इस पर चौधरी धीरपाल जी के दस्तखत सीरियल नं0 3 पर हैं । आम तौर पर जब कहीं दस्तखत होते हैं तो जो लोग बैठे होते हैं, वे सीरियलवाईज दस्तखत करते हैं । उस लिहाज से उनके दस्तखत या तो पहले नम्बर पर करवाए जाने चाहिएं या लास्ट में होते । (विघ्न एवं शोर)

प्रो0 सम्मत सिंह : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी की बात करते हुए अपना ध्यान आपकी तरफ न जा कर, कहीं और चला जाता है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है, आप बैठें । (विघ्न एवं शोर) पहले आप बैठिये (विघ्न)

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मन्त्री जी ने चैलेन्ज आफर की है कि धीरपाल सिंह जी के ये दस्तखत जाली हैं। आप चाहें तो इस बारे में इन्क्वायरी करवा लें, सारे फैक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे । स्पीकर सर, ये चैलेन्जबाजी की बात नहीं है । (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि ऐसा लगता है कि या तो ये दस्तखत फर्जी हैं या ये मूवहड्डताल पर नहीं हैं। चौधरी धीरपाल जी के दस्तखत लिस्ट में या तो पहले नम्बर पर होने चाहिए थे या फिर सब से लास्ट में होने चाहिए थे । (विघ्न एवं शोर)

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके दस्तखत तीन नम्बर पर क्यों नहीं हो सकते हैं । स्पीकर सर, नम्बरिंग के हिसाब से नम्बर एक पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के दस्तखत हैं, नं0 2 पर मेरे दस्तखत हैं और नम्बर तीन पर चौधरी धीरपाल सिंह जी के दस्तखत हैं जो रोहतक जा कर करवाए गए हैं । इसके बाद बाकी मैम्बरज के दस्तखत हैं, इसमें क्या दिक्कत आ गई है ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हम कब कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता ? (विघ्न)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी जो कहते हैं, उस पर हमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि इनकी तो यह आदत है लेकिन * * * * * * * (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको यह दिखाया है कि सीरियल नं0 3 पर चौधरी धीरपाल सिंह जी के दस्तखत हैं । दस्तखत कनविन्स करवाने के लिए करवाए जाते हैं । वैसे मेरा यह अन्दाजा है कि या तो उनसे दस्तखत पहले करवाए जाते या लास्ट में होते, लेकिन बीच में दस्तखत होने का मतलब यही है ।

Prof. Sampt Singh : * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : आपका क्या मतलब है ? It is not politics (Interruptions)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप जज हैं, आप आब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं । आप जज हैं इसलिए आप फैसला कर सकते हैं । (विघ्न एवं शोर)

*चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

13.00 बजे

श्री अध्यक्ष : आपके कहने से कुछ नहीं होगा । (शोर एवं व्यवधान)

प्रो0 सम्पत सिंह : यह पोलिटिक्स नहीं चलेगी । (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय बहुत से मैम्बर बोलने के लिए खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष : इसमें जो दस्तखत हैं, इन में श्री धीरपाल जी के दस्तखत तीसरे नम्बर पर हैं ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह कंटम्पट आफ स्पीकर है, इनको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए । इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

प्रो0 सम्पत सिंह : आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ? आप जो कार्यवाही करना चाहते हैं, कर लें ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम गैर कानूनी तरीके से इस हाउस को नहीं चलने देंगे । आप जो कार्यवाही करना चाहते हैं, आप करें । (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये जो इन्होंने फर्जी साईन किये हैं .... (शोर एवं व्यवधान)

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये कोई फर्जी साईन नहीं हैं और न ही ये हमें सीधे बोल सकते हैं । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने जो मंशा जाहिर की है, वह आपको वापस लेनी चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये जिस तरह से जोर-जोर से बोल रहे हैं, क्या इस तरह बोलने से काम चलेगा ? (शोर एवं व्यवधान) यह इन का बोलने का ठीक तरीका नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह जो इन्होंने दस्तखत वाली बात कही है कि उसके दस्तखत नहीं है, यह एक मैम्बर की इन्सल्ट है ।

श्री अध्यक्ष : मैंने यह नहीं कहा कि ये दस्तखत उनके नहीं हैं, इस बारे में तो दस्तखत मिलाने से ही पता चलेगा । लेकिन सवाल तो यह है कि उनके तीसरे नम्बर पर दस्तखत कैसे हैं ? आम तौर पर ऐसा होता है कि जो आदमी हाजिर नहीं होता, उसके दस्तखत या तो शुरू में होते हैं या आखिर में होते हैं और इसके अलावा इस पर 27 तारीख पड़ी हुई है । हो सकता है आप वहां पर जाकर करवा लाए हों लेकिन दस्तखत के लिए क्या कोई व्यक्ति बीच में जगह छोड़ता है ?

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने बीच में जगह नहीं छोड़ी है ।

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं और आप भी इनको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, यह ठीक नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगर ये हाजिर होते तो अलग बात होती, लेकिन जिस तरीके से यह दस्तखत हुए हैं तो आप यह बताएं कि इसमें फर्क क्या पड़ गया ?

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । इनका जो बोलने का रवैया है और जो ये हालात पैदा कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है । जिस तरीके से ये बात कह रहे हैं, हम उसको कंडम करते हैं । अध्यक्ष महोदय, धीरपाल जी भी भूखहड़ताल पर बैठे हैं और यहां पर उनके दस्तखत तीसरे नम्बर पर हैं । इससे शंका पैदा होती है । दूसरे ये जिस तरह से स्पीकर साहब आपसे बात कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नेहरा साहब, आप बैठिए । (विघ्न) मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि इससे आपका क्या मतलब है ? यह नो कॉन्फीडेन्स मोशन तो एडमिट हो चुका है, अब इससे आपका क्या ताल्लुक है ? (शोर एवं व्यवधान)

प्रो0 सम्पत सिंह : सर, आपको मैं बताना चाहता हूं ....

डा0 राम प्रकाश : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । (शोर)

श्री अध्यक्ष : आपसे कौन पूछ रहा है ? आपको बोलने की इजाजत नहीं है, आप बैठिए ।

डा0 राम प्रकाश : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । * *

श्री अध्यक्ष : जो भी रामप्रकाश जी बोल रहे हैं, उसको रिकार्ड न किया जाए । (शोर)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, 17 मैम्बर यह हैं और चार दूसरे हैं । इसलिए उनके बिना तो 21 मैम्बर हो ही नहीं सकते । (शोर)

डा0 राम प्रकाश : * * * * * *

श्री अध्यक्ष : इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए । इनकी तो बार बार खड़े होकर बोलने की आदत है । ये बगैर इजाजत के ही खड़े हो जाते हैं । (शोर)

प्रो0 सम्पत सिंह : सर, आपने मुझसे सवाल पूछा है और मैं उसका जवाब देना चाहता हूं । सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ बोलूं । मेरा तो सर, सर कहकर गला सूख गया है । (व्यवधान)

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, मेरा भी प्वायंट आफ आर्डर है । मेरा एक सुझाव है और मुख्य मन्त्री जी से तथा सारे हाउस से एक प्रार्थना भी है कि बीरपाल जी शरीफ आदमी हैं, उनके चार-चार लड़कियां हैं और वे अभी अनमैरिड हैं, इसलिए उनकी जगह पर अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और सम्पत सिंह हड़ताल पर बैठ जाएं तो ज्यादा अच्छा है । मेरी इनसे प्रार्थना है कि ये उनको उठ दें और खुद वहां जाकर बैठ जाएं ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : इनका सुझाव तो ठीक है कि हमने बच्चे पालने हैं लेकिन बहिन चन्द्रावती जी इस मामले से बरी हैं । (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, आपने मुझसे कहा कि इस बात का आपको क्या ऐतराज है । मैं अपना ऐतराज रजिस्टर्ड इसलिए करवाना चाहता हूं क्यों कि आपने डा० साहब की बातों को तो रिकार्ड से निकलवा दिया । मेरा ऐतराज यह है कि मुख्य मंत्री जी को यह कैसे पता लगा कि बीरपाल सिंह के ये दस्तखत हैं । इसका मतलब तो यह हुआ कि हाउस की कार्यवाही भी कांफीडैंशियल नहीं है और आपके सैक्रेटेरिएट की कांफीडैंशियल बातें भी इन तक पहुंचती हैं । इसका मतलब तो यही है कि सैक्रेटेरिएट को इन्होंने सी० आई० डी० से घिरवा रखा है, इसलिए इस बात को जितना कंडैम किया जाए, थोड़ा है । सर, यह आज की ही बात नहीं है, जब से ओमप्रकाश चौटाला जी हाउस में आए हैं, उसके बाद से हर मोशन पर बीरपाल जी नं० तीन पर ही साईन करते हैं लेकिन जब चौटाला साहब हाउस में नहीं थे, तब वे नं० 2 पर साईन किया करते थे । आप हमारे पिछले किसी भी मोशन का रिकार्ड उठाकर देख लें । हर मोशन पर उनके नं० तीन पर ही साईन मिलेंगे । हमने इस बारे में अपना एक डैकोरम बना रखा है इसलिए स्पीकर सर, जो शंका सरकार व्यक्त कर रही है, वह करे, हमें कोई ऐतराज नहीं है । इनको तो पोलिटिक्स खेलनी है तो खेलें, हमें कोई ऐतराज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, मैं तो भ्रम में नहीं पड़ा । यह सारा मामला देखकर ही तो हमने ऐडमिट किया था । अब आप क्या कहना चाहते हैं ? यह तो प्वाईंट ही नहीं था, प्वाईंट तो आपका दूसरा था । (शोर एवं व्यवधान) आपकी बात अब हो ली है ।

प्रो० सम्पत सिंह : नहीं हुई सर ।

श्री अध्यक्ष : कैसे नहीं हुई ? (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, मेरा प्वाईंट आफ आर्डर है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेहरा साहब, आप बैठ जाइए । सम्पत सिंह जी आप क्या कहना चाहते हैं ?

प्रो० सम्पत सिंह : सर, मैंने अभी प्वाइंट आफ आर्डर अभी कन्क्लूड नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : आपका ऐम क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं ?

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि मुख्य मंत्री तथा अन्य ट्रैजरी बैंचिज के सदस्यों का यह कहना है कि हस्ताक्षर का क्रम इस प्रकार होना चाहिए था आदि आदि । होना यह चाहिए था कि जैसे उन्होंने अपनी राय दी थी, इसका मतलब यह है कि * * * * इसलिए मेरा कहना यह है कि आप * * * ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से एक-एक, डेढ़ डेढ़ घंटे तक ये हाउस की प्रोसीडिंग को स्टाल कर रहे हैं । बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आपके खिलाफ बड़े नामाजिब ढंग की भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं, थ्रेट करते हैं, धमकियां देते हैं, बेइज्जती करते हैं, यह हाइली कंडमनेबल है। यही अकेली पार्टी नहीं है । यहां दूसरी, समता पार्टी भी है, विकास पार्टी भी है, बी० जे० पी० भी है, सिखों के लीग भी बैठे हैं ।

एक आवाज : यह पार्टियां तो आपसे मिली हुई हैं ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : आप इनको कह रहे हैं कि ये मिले हुए हैं । कितनी इररिलेवेंट बात करते हो । आपको ** आनी चाहिए । विपक्ष के लोगों को कहते हो कि ये मिले हुए हैं, यह बात अनटोलरेबल है । स्पीकर सर, मैं चाहता हूं कि इनको रोका जाना चाहिए । आगे से इसका कोई इन्तजाम होना चाहिए ताकि इस तरह की लैंग्वेज ये इस्तेमाल न करें । (शोर एवं व्यवधान)

अध्यक्ष द्वारा निरूपण—

सदन में मर्यादा बनाये रखने सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble members, we all here are to serve our masters, the electorates. They are very closely watching our conduct and deliberations. I owe it to the House that the discussions are held in a free and frank manner and are not interrupted on trivial and irrelevant grounds. This I wish to ensure to the best of my ability and, I am open for suggestions from senior Legislators and even from others to ensure the achievement of this object but I do except the members should also observe the high standard of conduct which helps to maintain the highest traditions of this House, and raise its dignity. I, therefore, ap cal especially to the Leaders of all the parties and various groups in this House that they should ensure that our deliberations are conducted in accordance with the spirits of the rule and members of their parties or groups to maintain decorum, decency and discipline in the House.

---

*चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : अब वॉक मिनिस्टर साहब अपना जवाब पूरा करें ।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर सर, 5-7 मिनट में मैं अपनी बात पूरी करता हूं । (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, हम चेयर की और आपकी पूरी रिस्पैक्ट करते हैं । अध्यक्ष महोदय, इस सारे बखेड़े में आपसे जो बात कही गई थी उस पर गौर करें । आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं । इस हाउस का एक सम्मानित सदस्य हरियाणा प्रदेश के लोगों के इन्ट्रैस्ट के लिए मरण-व्रत पर बैठा है । हम आपसे कह रहे हैं कि जब सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि 31 अक्तूबर तक सारे हरियाणा प्रदेश का पानी निकाल दिया जाएगा तो फिर आप उनसे स्वयं अपने तौर पर, हाउस की तरफ से अपील करके उसके प्राण बचाएं । असल बात यह थी, इस बात को बीच में रखकर, ये और कुछ ले आए । जो असल बात थी , जिस पर आपने फैसला देना था अध्यक्ष महोदय, उसी के बारे में मैं केवल आप से अनुरोध कर रहा हूं, आपको हमारी यह बात सुननी भी चाहिये और अपना फैसला देना भी चाहिये । क्या आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि आप अपने इस हाउस के एक सम्मानित सदस्य के प्राण बचाएं जोकि मरण व्रत पर बैठे हुए हैं ? क्या यह जिम्मेवारी आपकी नहीं बनती ? आप इस बात का निर्णय लें । (शोर)

श्री अध्यक्ष : ओम प्रकाश जी, क्या आप समझ रहे हैं कि यह जो कार्यवाही हाउस में हो रही है, क्या यह अखबारों में रिपोर्ट नहीं की जाएगी ? क्या वह माननीय सदस्य जो मरणव्रत पर बैठे हैं, क्या वे अखबारों को नहीं देखेंगे ? क्या वे इन अखबारों को नहीं पढ़ेंगे । उनका और काम क्या है सिवाये अखबार पढ़ने के ?

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या हम अखबारों को ही आधार मानकर चलेंगे ? हम हाउस में बैठे हैं और विधान सभा इन-सैशन है । वे माननीय सदस्य हरियाणा के किसी खास काज के लिये मरणव्रत पर बैठे हैं । अध्यक्ष महोदय, आप हाउस के कस्टोडियन हैं और इसलिए आपकी यह जिम्मेवारी बनती है कि आप इस हाउस के सभी माननीय सदस्यों को प्रोटैक्शन दें । इस हाउस के एक सम्मानित सदस्य के प्राण खतरे में हैं, उसकी जान बचाने की जिम्मेवारी इस हाउस के साथ साथ आपकी भी बनती है । हमारी अखबारों की सस्ती पब्लिसिटी से कोई सम्बन्ध नहीं है । आपकी जिम्मेवारी बनती है कि जो सम्मानित सदस्य अपने प्राणों को त्याग कर हरियाणा के हितों की रक्षा के लिये मरणव्रत पर बैठे हैं, उनके प्राणों की रक्षा की जाए ।

वाक आऊट

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, पूरा हाउस किसी बात के लिये ऐसी करता हो, तब तो बात भी है लेकिन हम इस बात को ऐसी नहीं करते कि हाउस की तरफ से सरकार छुड़वाने के लिये अपील की जाये ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब है कि इनका विश्वास झूठा है (शोर) यह सरकार किसी का कुछ भला नहीं करना चाहती । यह सरकार रबी की फसल बुवाना नहीं चाहती । रबी की फसल बुवाने में इस सरकार की कोई दिलचस्पी ही नहीं है । (शोर) अध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टर ने जो कहा है, हम इसके विरोध में सदन से वाक आऊट करते हैं । (इस समय जनता पार्टी के उपस्थित सभी सदस्य सदन से वाक-आऊट कर गये)

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अब मैं नहरों की कैपेसिटी पूरी करने के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं । चाहे जूई कैनाल हो, लोहारू कैनाल हो सभी नहरों की सफाई करवाई जाएगी और उनमें कपैसिटी के अनुसार पानी छोड़ा जाएगा । जहां तक गांव में पानी खड़ा रहने का सवाल है, उस बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि 31 अक्तूबर तक नीचे की जगहों का पानी छोड़कर सारा पानी निकाल दिया जाएगा ।

इससे आगे चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी, धर्मपाल, श्री राम बिलास शर्मा, चौधरी लहरी सिंह, कैप्टन अजय सिंह, मास्टर अजमतखां, श्री कटियाल, श्री सूरजभान, श्री लछमन दास अरोड़ा, श्री वीरेन्द्र सिंह जी और बहुत सारे अन्य माननीय सदस्यों ने जो अपने-अपने सुझाव दिये हैं, वह हमने नोट कर लिये हैं । इसी तरह से करतार देवी जी ने, जिले सिंह जी ने, पीर चन्द जी ने और जय पाल सिंह जी ने अपने विचार रखे । जितने भी महानुभावों ने अपने-अपने सुझाव रखे हैं, हम उन सारी बातों का निवारण करेंगे और 31 अक्तूबर तक पानी निकाल कर सारे प्रदेश में किसानों की फसलें बचाएंगे । हम एक ही बात कहते हैं कि इन बातों में बहुत वजन है । अगर इनकी कोई बात रह गई हो तो उसे हमारे पास लिख कर भेज दें, हम उस पर कार्यवाही करके इनको बता देंगे ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हैल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि हमने भिवानी में दवाइयां भेजने के लिए दो हजार टीमें बना रखी हैं । अगर दो हजार टीमें बना रखी हैं तो एक एक टीम तो रोजाना हर गांव में जा सकती है, लेकिन बहुत सी जगहों पर ये टीमें नहीं पहुंची हैं, इसलिए दवाई पहुंचाने का प्रबन्ध आप जरूर करें ।

चौधरी भजन लाल : हमने टीमें भी बना दी हैं और हमें जितनी दवाई चाहिए, उतनी पहुंची है । फिर भी हम चैक कर लेंगे कि जहां कहीं दवाई नहीं गई है, वहां कल तक भेज देंगे ।

चौधरी बंसी लाल : आप ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन पहुंचाने का भी इन्तजाम करें । दूसरी बात यह है कि लोहारू कैनाल में ओवर फ्लो हो रहा है । उसमें उतना ही पानी छोड़ा जाए जितना पम्प उठा सकें, वरना यह नहर भी टूट जाएगी ।

चौधरी भजन लाल : इस बारे में भी हम कोशिश करेंगे ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां बिजली बहाल नहीं हुई है । आज बारिश बन्द हुए 24 दिन हो गए हैं, लेकिन कुछ गांव अब भी ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं । उनमें बिजली अब तक भी नहीं गई है, लोगों को बिजली के बगैर बड़ी परेशानी है । दूसरी बात यह है कि जहां जहां पानी उतर गया है, वहां घरों की आबादी के साथ लगती बस्तियों में दवाई का छिड़काव अभी तक नहीं हुआ । ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिजली के बारे में चिन्तित हैं । जब बाढ़ आ जाती है तो पावर हाउसिज में पानी भर जाता है । आपको पता है जैसे लुक और पानी का मेल नहीं है, इसी तरह से बिजली और पानी का भी मेल नहीं है । पानी आने से वहां पर करन्ट आ जाता है । यहां तक कि बिजली के पोल में भी करन्ट आ जाता है । हमारे बिजली बोर्ड ने बहुत तेजी से काम किया है और लगभग सारी स्टेट में बिजली चालू कर दी है । टोटल 235 के करीब ऐसे गांव हैं जहां अभी तक वाटर सप्लाई स्कीमों की सफाई न होने की वजह से बिजली नहीं दी गई है । मैं बताना चाहता हूं कि दो दिन के अन्दर अन्दर सभी जगहों पर बिजली चालू हो जाएगी ।

चौधरी बंसी लाल : कई जगहों पर जहां दो दो फुट गाद अभी भी पड़ी है, उसको कब तक निकाल देंगे ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जो गाद जम गई है, उसके लिए हमने एक एक शहर में बीस बीस ट्रैक्टर लगाए हुए हैं । उन ट्रैक्टरों में गाद डाल कर लोग बाहर फैंक रहे हैं । यह काम रोहतक, भिवानी, बादली तथा बरवाला में हो रहा है । हम चाहते हैं कि प्रदेश में किसी प्रकार की बीमारी न फैले, लेकिन यह बड़ी आपदा है, इसलिए सरकार को सभी महानुभावों का सहयोग चाहिए, अकेली सरकार भी कुछ नहीं कर सकती ।

चौधरी बंसी लाल : जो बाढ़ का पानी लोगों के घरों में खड़ा था, जब वह पानी निकल जाएगा तो लोग अपने घरों में चले जाएंगे । अगर आप लोगों के अपने-अपने घरों में जाने से पहले दवाई का छिड़काव नहीं कराएंगे तो बीमारी फैलेगी और लोग बीमार होंगे । इतना पैसा दवाई छिड़कने पर खर्च नहीं होगा जितना बीमारी को रोकने पर खर्च होगा । इसलिए आप लोगों के घरों में जाने से पहले दवाई का छिड़काव कराएं ।

चौधरी भजन लाल : दवाईयों का छिड़काव शुरू कर दिया है और सभी गली-मोहल्लों में छिड़काव कराया जाएगा । जहां जहां खड़े पानी में बदबू हो गई और मच्छर पैदा हो गए, वहां पर दवाईयों का छिड़काव जरूर कराया जाएगा । प्रदेश में बाढ़ की सादूर इंसीडैंट से भी ज्यादा भयंकर स्थिति है ।

चौधरी बंसी लाल : जिन जिन गांवों में बाढ़ का पानी आया है, उन में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए आप उन गांवों में पीने के पानी के टैंकर भिजवाएं क्योंकि आपकी वाटर सप्लाई स्कीम ठीक काम नहीं कर रही हैं और उनमें पानी ठीक नहीं है ।

चौधरी भजन लाल : जहां जहां वाटर सप्लाई स्कीमें ठीक काम नहीं कर रही, वहां पर हम पीने के पानी के टैंकर भिजवा रहे हैं ।

चौधरी बंसी लाल : जितने टैंकर आप भिजवा रहे हैं, वे सफीशिएंट नहीं हैं ।

चौधरी भजन लाल : पूरे कर देंगे और जहां जहां पर जरूरत है, वहां पर भिजवा रहे हैं ।

प्रो० राम विलास शर्मा : स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं । ये यमुना नदी के सरप्लस पानी को दोहान नदी में डाल सकते हैं । आज सभी स्कूल बाढ़ के पानी के कारण बंद पड़े हैं । उनको आप कैसे चालू कराएंगे ?

चौधरी भजन लाल : सब को चालू कराएंगे ।

वर्ष 1989-90 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion and voting on the Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1989-90 will take place. As per the past practice, in order to save the time of the House, the demands over grants on the order papers will be deemed to have been read and moved. The

[Mr. Speaker]

Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 19,74,69,624 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1989-90 in respect of *Finance*.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 77,17,820 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1989-90 in respect of *Other Administrative Services*.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 7,00,90,342 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1989-90 in respect of *Buildings and Roads*.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,20,836 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1989-90 in respect of *Urban Development*.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,67,37,694 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by Legislative Assembly for the year 1989-90 in respect of *Irrigation*.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,38,25,681 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1989-90 in respect of *Transport*.

(No member rose to speak.)

Mr. Speaker : Now, I shall put he various demands to the vote of the House.

Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 19,74,69,624 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1989-90 in respect of *Finance*.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 77,17,820 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1989-90 in respect of *Other Administrative Services*.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 7,00,90,342 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1989-90 in respect of *Buildings and Roads*.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,20,836 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1989-90 respect of *Urban Development*.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,67,37,694 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by Legislative Assembly for the year 1989-90 in respect of *Irrigation*.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

> That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,38,25,681 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1989-90 in respect of *Transport*.

The motion was carried.

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर सदन चाहे तो हाऊस का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है जी, एक घंटा बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : हाऊस का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

बिल्ज—

1. दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 1995

Mr. Speaker : Now, the Development and Panchayats Minister will introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 1995 and also move the motion for its consideration.

Development and Panchayats Minister (Rao Bansi Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 1995.

Sir, I also move—

> That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

> That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Development and Panchayats Minister will move that the Bill be passed.

Development and Panchayats Minister (Rao Bansi Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

वाक आऊट

प्रो० छतरपाल सिंह : स्पीकर साहब, मैं इस बिल पर . . . . . .

श्री अध्यक्ष : नो, अब आप नहीं बोल सकते क्योंकि बिल पास हो चुका है। आपको पहले बोलना चाहिए था।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : अगर आप मुझे टाइम नहीं देंगे तो मैं एज ए प्रोटेस्ट वाक-आउट करता हूं।

(इस समय प्रो० छत्तरपाल सिंह सदन से वाक-आऊट कर गये)

बिल्ज (पुनरारम्भ)

2. दि पंजाब विलेज कौमन लैण्डज (रेगुलेशन) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1995

Mr. Speaker : Now, the Development and Panchayats Minister will introduce the Punjab Village Common Lands (Regulations) Haryana Amendment Bill, 1995 and move the motion for its consideration.

Development & Panchayats Minister (Rao Bansi Singh) : Sir, I beg to introduce the Punjab Village Common Lands (Regulations) Haryana Amendment Bill, 1995.

Sir, I also move—

That the Punjab Village Common Lands (Regulations) Haryana Amendment Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Village Common Lands (Regulations) Haryana Amendment Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister for Development & Panchayats will move that the Bill be passed.

Development & Panchayats Minister (Rao Banai Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

3. दि पंजाब टाऊन इम्प्रूवमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1995

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Local Government will introduce the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Bill, 1995 and also move the motion for its consideration.

Minister of State for Local Government (Shri Dharambir Gauba) : Sir, I introduce the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Bill, 1995.

Sir, I also move that—

> The Punjab Town & Improvement (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

> That the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

> That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

> That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

> That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Local Government will move that the Bill be passed.

Minister of State for Local Government (Shri Dharambir Gauba): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

4. वि हरियाणा स्कूल एजुकेशन बिल, 1995

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will introduce the Haryana School Education Bill, 1995 and also move the motion for its consideration.

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) : Sir, I introduce the Haryana School Education Bill, 1995.

Sir, I also move —

That the Haryana School Education Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana School Education Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana School Education Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will take up the Bill clause by clause.

Sub-clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause (3) of clause 1

That Sub-clause (3) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 25

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 25 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause 1 of clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री जिले सिंह जाखड़ (साल्हावास) : अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा के सरकारी स्कूलों के अन्दर एजुकेशन सिस्टम खत्म खराब हो गया है कि आज बच्चे सरकारी स्कूलों से प्राईवेट स्कूलों में जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकारी स्कूलों के अन्दर गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को सस्ती और अच्छी एजुकेशन दी जा सकती है। प्राईवेट स्कूलों में एजुकेशन बहुत कोस्टली है। प्राईवेट स्कूलों में बच्चों के जाने का कारण यही है कि सरकारी टीचरों की एजुकेशन के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है। स्कूलों में हैडमास्टर वगैरा नहीं हैं, और न ही कहीं पर कोई इन्सपैक्शन किया जाता है। रिजल्ट्स के बारे में किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। स्पीकर सर, प्राईमरी स्कूलों में बच्चों को अच्छी प्रकार से एजुकेशन दी जाए। आज विचार करने की बात यह है कि जिन स्कूलों का ढांचा बिगड़ चुका है, उनको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है? सरकारी स्कूलों में प्राईमरी लैवल पर नाममात्र की भी एजुकेशन नहीं दी जाती, परिणामस्वरूप पांचवीं कक्षा तक बच्चों को कोई ज्ञान ही नहीं होता। सरकारी स्कूलों में छठी कक्षा से अंग्रेजी की ए, बी, सी, सिखानी शुरू की जाती है। आज यह चिन्ता का विषय है कि हमारी शिक्षा का स्तर प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में बहुत गिर गया है। इसका एक मुख्य कारण तो यह है कि आज डी0 ई0 ओ0 वगैरा अधिकारी कोई इन्सपैक्शन नहीं करते और न ही स्कूलों में कोई टैस्ट वगैरह ही होता है। इसलिए मेरा सरकार से सुझाव है कि सरकारी स्कूलों, प्राईवेट, स्कूलों और दूसरे स्कूलों में रूल्ज और रैगुलेशंज अच्छे होने चाहिएं और सलेबस को जॉब-ओरियंटिड बनाएं। आज जो हमारी ऐजुकेशन है, उसमें इंडिपैंडेंस के वक्त के शहीदों श्री भगत सिंह वगैरह के बारे में भी नहीं पढ़ाया जाता। अध्यक्ष महोदय, कोई भी स्कूल हो, उसमें शहीदों के बारे में रीलिजन के बारे में, पढ़ाया जाना चाहिए ताकि हमारे बच्चों के मन में देश के प्रति अच्छी भावनाएं पैदा हों और धर्म के प्रति आस्था बने। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि चाहे सलेबस सी0 बी0 एस0 सी0 का हो, गवर्नमेंट स्कूलों का हो या प्राईवेट स्कूलों का हो, वह एक सा होना चाहिए और उसमें राष्ट्रीयता के बारे में पढ़ाना चाहिए। दूसरे, आज स्कूलों में ऐजुकेशन का स्तर गिरता ही जा रहा है। आज हर टीचर की अपनी अपरोच हो गई है। वह अपनी बदली किसी अच्छे स्कूल में करवा लेता है। आज कई टीचर्ज तो पढ़ाने के मामले में निल हैं। मैं आपको बताऊं कि नाल गांव के अन्दर एक हैडमास्टर की बदली हुई है। वहां पर गांव के लोगों ने यानी 22 अध्यापकों ने हड़ताल भी की कि इसको यहां पर न लगाएं। यह हैड मास्टर बच्चों से पैसा मांगता है। यह स्कूल का फंड भी खा गया है लेकिन फिर भी उसको वहां पर लगा दिया। इस वजह से आज ऐजुकेशन का स्तर गिरता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो वहां पर एस0 डी0 ओ0 लगे हैं, इनको स्कूलों का दौरा करना चाहिए, बच्चों के टैस्ट लेने चाहिएं और हर सब्जैक्ट-वाईज टैस्ट होने चाहिएं। इतना ही

रिजल्ट निकले, उसे डी० ई० ओ० के पास भेजना चाहिए और रिजल्ट के हिसाब से ही टीचर्ज को इन्क्रीमैंट और परमोशन देनी चाहिए । लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है । आज जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करते हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर शिक्षा में आपको सुधार करना है तो आज हमारे सरकारी स्कूल्ज हैं, उनमें टाईम फिक्स करें कि इतने बजे स्कूल लगेगा और इतने बजे छुट्टी होगी । सरकारी स्कूलों में आधे बच्चे जा रहे हैं आधे नहीं जा रहे हैं । मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यह क्या तरीका है ? इसको सब जगह पर एक ही सिस्टम कर देना चाहिए । किसी स्कूल में छुट्टी हो और किसी में पढ़ाई हो, इस सारे सिस्टम को एक कर देना चाहिए । सब जगहों पर कहीं तो स्कूल लग रहा है कहीं नहीं लग रहा है । कोई बच्चा स्कूल आ रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है । इस तरह से शिक्षा का स्तर नहीं गिरेगा तो और क्या होगा ? सरकार बड़े जोरशोर से दावा करती है कि उसने स्कूलों में कौपिंग बंद करा दी है लेकिन वास्तव में कौपिंग बंद नहीं हुई है । कौपिंग केवल वहीं बंद हुई है जहां पोलिटिकल आदमी इन्टरफियर नहीं कर रहे हैं लेकिन जहां पर पोलिटिकल आदमियों का दखल है, वहां पर कौपिंग हुई है । ऐसे स्कूलों में खूब नकल हुई है । प्राईवेट स्कूलों में तो लोगों ने अपने बच्चों को अलग से परीक्षा में बिठाया है और उनको सैंट परसैंट नम्बर दिए हैं । अगर ऐसा ही चलता रहा तो शिक्षा के स्तर में सुधार कभी नहीं होगा । सरकार ने पिछली बार कहा था कि हम सभी वैकेन्ट पोस्टों को भर देंगे । कल भी एक सवाल के जवाब में यह बात आई थी कि फरीदाबाद और रोहतक में काफी पोस्टें टीचर्ज की खाली थी । अगर सरकार शिक्षा का स्तर वाकई में बढ़ाना चाहती है तो रेशो के हिसाब से टीचर्ज स्कूलों में भेजे जाने चाहिएं । लेकिन आज यह नहीं हो रहा है । आज किसी को इसकी चिन्ता नहीं है । शहरों में या शहरों के साथ लगते स्कूलों में तो पांच पांच टीचर्ज की जगह आठ आठ टीचर्ज लगे हुए हैं लेकिन देहात के स्कूलों में जहां तीन तीन टीचर्ज होने चाहिएं वहां केवल एक एक ही टीचर है । वहां पर टीचर ज्यादा होने चाहिएं । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिन स्कूलों में टीचर्ज की वैकेंट पोस्टें हैं, वहां सरकार को तुरंत ये पोस्टें फिलअप करनी चाहिएं ताकि बच्चों की शिक्षा में सुधार हो सके । अगर सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो शिक्षा का स्तर दिन प्रति-दिन बिगड़ता ही जाएगा । इस बिल की क्लाज 22 में यह लिखा है कि ज्युरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स बार्ड । यह क्लाज नहीं होनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो सरकार स्कूलों को मान्यता देती है, एड देती है और दूसरी तरफ उन्होंने इस बिल में यह लिख दिया कि उन स्कूलों के ऊपर डी० पी० आई० या सरकार का पूरा हक होगा और उन स्कूलों से संबंधित कोई भी केस कोर्ट में नहीं जा सकेगा । मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए । अगर इन स्कूलों का कोई चपरासी या दूसरा कोई कर्मचारी या किसी ऐडमिनिस्ट्रेशन के किसी आदमी को कोई दिक्कत है तो उसे कोर्ट में जाना ही चाहिए । आपने यह क्यों कर दिया कि

[श्री दिले सिंह अखड़]

वह कोर्ट में नहीं जा सकता ? इसलिए मेरा यही कहना है कि सरकार इसमें सुधार करे और इस बिल की यह क्लॉज खत्म करे । सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, जो गवर्नमैंट ऐडिड स्कूल्ज हैं, उनमें मुख्य मंत्री जी ने कंडीशन लगायी है कि अगर कोई स्कूल इंसपैक्शन के दौरान खरा नहीं उतरा तो उसकी ग्रेड रोक देंगे । यह ठीक है लेकिन अगर मैनेजमैंट ही फेल हो गया तो फिर बच्चों का क्या होगा ? जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उनके स्कूल बंद कर दिए गए तो उसका असर बच्चों पर पड़ेगा । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि स्कूलों को बंद करने के बजाए मैनेजमैंट को ही चेंज करिए और जो बिल के अंदर प्रावधान किया है, उसको थोड़ा-सा बदलिए । अगर शिक्षा मंत्री जी इन सुझावों का नोटिस लेते हुए बिल में थोड़ी तरमीम कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

प्रो० राम बिलास शर्मा (महेन्द्रगढ़) : स्पीकर सर, शिक्षा मन्त्री जी हरियाणा स्कूल ऐजुकेशन बिल, 1995 सदन में लेकर आये हैं, यह अच्छा किया है । इन्होंने कहा कि शिक्षा के स्तर को हम हरियाणा के अन्दर मेनटेन करना चाहते हैं, उसको ऐस्टैबलिश करना चाहते हैं । कई प्रयास मुलाना साहब ने नकल रोकने के लिये जरूर किये हैं, पर कितना वे इस क्षेत्र में कामयाब हुए हैं, यह कुछ नहीं कहा जा सकता । नकल को रोकने का सरकार की ओर से कारगर प्रयास जरूर रहा है ताकि शिक्षा का स्तर हरियाणा के अन्दर ऊपर उठ सके लेकिन सरकार इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई है । सरकार के सरकारी विद्यालय में छात्राओं की जो संख्या है, वह प्राईवेट या दूसरी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों की निस्बत बहुत ज्यादा है । अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों की बारीकी आप से ज्यादा कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि आप स्वयं शिक्षा क्षेत्र से काफी समय तक सम्बन्धित रहे हैं । सारा जीवन किसानों से धन मांग मांग कर आपने स्कूल खड़े किये हैं, कालेज खड़े किये हैं । हर देश की शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि इससे पूरी पीढ़ी प्रशिक्षण लेती है । एक पूरी पीढ़ी संस्कार लेती है लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि हम शिक्षा को एक महत्वपूर्ण चीज मानते हुए भी उसके स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करते । दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने सारी दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाया है, विकास के क्षेत्र में अपना स्थान बनाया है । वह इसलिये कि वहां पर शिक्षा पर बहुत सारा बजट खर्च किया जाता है क्योंकि शिक्षा-विभाग दूसरे विभागों की निस्बत सब से महत्वपूर्ण माना जाता है । कई देशों में ऐसा है कि स्कूल जाने वाले बच्चों का जो समय होता है, उस वक्त ट्रैफिक वगैरह रुक जाता है । सब से पहले तो बच्चों को जाने की सुविधा दी जाती है । इन्होंने प्राईवेट स्कूलों को ऐस्टैबलिशमैंट, रिकागनीशन आफ मैनेजमैंट एण्ड ऐड टू दा स्कूल्ज के बारे में काफी अलैबोरेटिडली इस बिल में प्रोवीजन रखा है । इसके इलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने रिकागनीशन के लिये यह कहा कि इतना प्लेग्राऊंड होना चाहिये, तब स्कूल को मान्यता मिलेगी । बच्चों का अगर यह स्तर होगा तो मान्यता

मिलेगी । वहां स्टाफ को ऐप्रोप्रिएट सैलरी देने के लिये उनके पास अगर कोई स्टोर आफ फण्ड होगा तो मान्यता मिलेगी और लैबोरेट्री की सुविधा होगी तो स्कूलों को मान्यता मिलेगी । इस तरह की स्कूलों को मान्यता देने की शर्तें रखी हैं । सरकारी स्कूलों में भी इस तरह की सुविधाएं बहुत कम हैं । सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी है । नम्बर आफ स्टूडैन्ट्स की निस्बत अध्यापकों की कमी है । 10+1 और 10+2 के स्कूलों में दो-दो सौ विद्यार्थी हैं । उसके छः छः सैक्शंज बना रखे हैं । कई ऐसे सबजैक्ट्स हैं, जिनको पढ़ाने के लिये सालों साल अध्यापक आता ही नहीं । आज यह सरकार इस बिल को यहां ला कर यह समझती है कि यह बहुत अहम मुद्दा है और हमें विश्वास है कि हम जो जो सुझाव यहां पर देंगे, मन्त्री जी उन पर अवश्य ध्यान देंगे । तो मैं कह रहा था कि प्राईवेट स्कूलों के लिये सरकार ने मान्यता के लिये जो शर्तें रखी हैं, वह ठीक हैं परन्तु शिक्षा मन्त्री महोदय से मैं यह कहना चाहता हूं कि यही नार्मज, जोकि सरकार विद्यालय स्वयं चला रही है उनके ऊपर भी ये लागू होने चाहियें । प्ले ग्राउंडज वाली क्लाज इन स्कूलों पर भी लागू होनी चाहिए । एक इन्होंने क्लाज रखी है कि इतने स्टूडैन्ट्स पर इतने क्वालिफाइड टीचर्ज होंगे । तो आपके जो सरकारी विद्यालय हैं, उनके लिए भी इन नार्मज को लागू करने का ध्यान रखें । आज जो सरकारी स्कूलों की फीस है, वह तो गरीब आदमी दे सकता है परन्तु जो मजदूर रोड़ी कूट कर अपना गुजारा करता है, वह प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं दे सकता । प्राइवेट स्कूलों ने एक खास किस्म की वर्दी निर्धारित कर रखी है, उनकी यह भी शर्त होती है कि फलां किस्म की इतने दर्जन कापियां जरूर लेनी पड़ेंगी, टाई और बूट लेने पड़ेंगे । इस तरह वे केवल फीस के माध्यम से पैसा नहीं लेते बाकी चीजों के माध्यम से भी पैसा लेते हैं । स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि ये सारी मान्यताएं देते समय कुछ शर्तें तो देखेंगे । ये सारी शर्तें सरकारी विद्यालयों में भी लगाई जाएं । इस बारे इतने रिजल्ट आए । मैट्रिक का आया, दस जमा दो का आया और आठवीं का भी आया । सोनीपत में एक बांसल, बांसल के नाम से कोई प्राइवेट स्कूल चलाता है । दसवीं में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए । बाकी सभी क्लासों के रिजल्ट भी प्राइवेट स्कूलों के अच्छे हैं । मैरिट में एक से ले कर बीसवें स्थान तक सभी स्थान प्राइवेट स्कूलों के ही आते हैं । इसका मतलब यह है कि वहां पर अच्छी शिक्षा दी जाती है । हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों का स्तर भी वैसा ही बनाया जाए । इसमें फिजीकल वैरिफिकेशन करने की बात है । ऐसा लगता है कि सरकारी विद्यालय नो मैन्ज प्रोपर्टी' बन कर रह गए हैं, नो मैनज लैंड बन कर रह गए हैं । मैंने जिक्र किया था कि बाढ़ की वजह से स्कूलों में दो दो तीन तीन फुट पानी खड़ा है । अब परीक्षाओं का समय नजदीक आ रहा है, इसलिए क्लासें किसी धर्मशाला में या चौपालों में लगाई जा सकती हैं । मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि किसी स्कूल को मान्यता देने से पहले ये बातें जरूर ध्यान में रखी जानी चाहिएं । इससे शिक्षा के स्तर में सुधार होगा । इन बातों को सरकारी स्कूलों में भी लागू करें । धन्यवाद ।

श्री अमानत खाँ (तुषीन) : स्पीकर साहब, इस बिल में जो सुधारों की बातें आई हैं, ये बहुत अच्छी हैं । लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने की बात है, ये दे दी जाये लेकिन उसके बाद उनके ऊपर नजर रखने की भी बात है । वे तनखाहें ज्यादा दिखाते हैं और देते कम हैं । इस सारी बात को चैकअप करना चाहिए कि वे तनखाह कम क्यों देते हैं ? जहां सरकार उनको मान्यता दे रही है, वहां उन पर नजर भी रखे ताकि वे लोग अपनी मनमानी न कर सकें और गरीब बच्चों को भी वहां दाखिला मिल सके । धन्यवाद ।

चौधरी सूरज भान काजल (जुलाना) : स्पीकर साहब, मैं भी शिक्षा के बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । जैसे कि चौधरी छिले सिंह ने, शर्मा जी ने अपने सुझाव दिए, मैं भी अपनी तरफ से इस पर अपने विचार रखना चाहता हूं । सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा प्रणाली का स्तर बिल्कुल गिरता जा रहा है, मैं विशेष रूप से यह कहूंगा कि इसमें सत्ता में बैठे राजनैतिक लोगों का योगदान रहा है । आपने देखा होगा, दो साल पहले हरियाणा एजूकेशन बोर्ड के चेयरमैन को हटाना पड़ा था, क्योंकि नकल भी सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों की वजह से होती थी । यहां तक कि एस0एस0एस0 बोर्ड और एच0सी0एस0 की परीक्षाओं में भी सत्ता धारी लोगों द्वारा अपने रिश्तेदारों को अलग से बिठा कर नकल करवाई जाती है ।

14.00 बजे यह नकल का ताजा उदाहरण था और उस समय एच0पी0एस0सी0 के मैम्बर्ज ने अस्तिफे लिये थे । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि तब तक शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं होगा, जब तक आप नकल नहीं रोकेंगे और मैरिट पर कैंडीडेट्स को सर्विसिज नहीं देंगे । जब तक आप कैंडीडेट्स को मैरिट के आधार पर सर्विसिज नहीं देंगे, तब तक नकल का सिलसिला चलता रहेगा । हर विद्यार्थी को इस बात का पता है कि अकेले मैट्रिक, बी0ए0 और एम0 ए0 करने से कुछ नहीं मिलता, चाहे कोई फर्स्ट डिविजन है, चाहे कोई मैरिट में है और चाहे कोई स्कालर है, हर विद्यार्थी के दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि जब तक उनके पास सिफारिश या पैसा नहीं होगा, तब तक उनको सर्विस नहीं मिलेगी । आज हालत यह हो गई है कि किसी भी विद्यार्थी को, चाहे वह फर्स्ट डिविजन है, चाहे वह मैरिट में है और चाहे वह स्कालर है, उनको सर्विस पैसे या सिफारिश के बगैर नहीं मिलती । आज हालत यह है कि सिफारिश वाला और पैसे वाला विद्यार्थी सर्विस ले लेता है । किसी भी विद्यार्थी को मैरिट या कम्पीटीशन के आधार पर सर्विस नहीं मिलती । मैं कहता हूं कि हर विद्यार्थी को कम्पीटीशन के आधार पर और मैरिट के आधार पर सर्विसिज दी जाएं । जैसे राम बिलास शर्मा जी ने कहा था कि जूडीशियरी की तरह से स्कूलों को भी अलग ही रखा जाए और उनका अलग ही बोर्ड हो, ताकि सियासी लोग दखल न दे पाएं । इसके अलावा, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शिक्षा जॉब ओरिएन्टिड होनी चाहिए । शिक्षा अकेली थ्योरीकल न पढ़ा कर, उसके साथ साथ टैक्नीकल और मैकेनीकल शिक्षा भी पढ़ाई जानी चाहिए ताकि विद्यार्थी अपना कुछ काम धंधा स्वयं कर सकें और उनको बेरोजगारी का भय न रहे, इस तरह पढ़ाई में उनकी रुचि भी

होगी । इसके अलावा, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए । हमारे कई धार्मिक नेता रहे हैं, जिनके कारण हमारा देश आबाद हुआ है और कई धार्मिक लोग समाज सुधारक रहे हैं । उन्होंने बहुत अच्छे आदर्श पेश किए हैं । मैं कहता हूं कि उन धार्मिक लोगों की, नेताओं की जीवनियां स्कूलों में पढ़ाने के लिए दी जाएं ताकि उनकी जीवनियां पढ़ कर उनमें आध्यात्मिक भावना पैदा हो और बच्चे समाज में अच्छे आदर्श पेश कर सकें । इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, छोटे छोटे बच्चों पर किताबों का लोड बहुत ज्यादा है । बच्चों की पीठ पर इतनी किताबें होती हैं जिनको बच्चा स्कूल तक ले जाने में असमर्थ होता है और उस लोड के कारण बच्चे फिजिकली कमजोर हो जाते हैं । इसलिए उस लोड को कम किया जाए । जहां तक स्कूलों को मान्यता देने की बात है, यह दुकान बन कर रह गई है । हमारी स्टेट में लगभग 500 या 600 प्राईवेट स्कूल होंगे, जिनमें से 100 के करीब मान्यता प्राप्त हैं । वह स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है, उन्होंने दो तीन कमरे किराए पर लिए हुए होते हैं और बोर्ड लगा रखे हैं--'मान्यता प्राप्त प्राईमरी स्कूल', 'मान्यता प्राप्त मिडिल स्कूल' और 'मान्यता प्राप्त हाई स्कूल' । न उनके पास स्टाफ है, न पैसा है, न लैबोरेटरी है और न ही उनके पास क्वालिफाईड टीचर्ज हैं । मैं चाहूंगा कि जब भी किसी स्कूल को मान्यता दी जाए, उससे पहले उसकी फिजिकल वैरीफिकेशन कराई जाए और यह देखा जाए कि क्या उसके पास अपनी बिल्डिंग है, क्या क्वालिफाइड टीचर हैं, क्या उसके पास लैबोरेटरी है । इन बातों को देख कर मान्यता दी जाए और उसकी इंस्पैक्शन भी की जाए । जैसे माननीय सदस्य जिले सिंह ने बोलते हुए कहा था कि प्राइवेट स्कूल तो एक दुकान बने हुए हैं उनकी यह बात ठीक है । मैं तो यह कहना चाहूंगा कि प्राईवेट स्कूल को मान्यता देने से पहले उसकी फिजिकल वैरीफिकेशन और इंस्पैक्शन जरूर की जाए । इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं ।

श्री सुरजीत कुमार धीमान (नारायणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए मैं एक दो सुझाव दूंगा । जहां तक मेरा विचार है, हमारी शिक्षा की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक बच्चों को स्टारटिंग से, यानी नर्सरी क्लास से अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, अच्छे संस्कार नहीं देंगे, तब तक आप नकल को भी नहीं रोक सकते । शिक्षा को उन्नत करने के लिए और नकल को रोकने के लिए कोई भी ऐसा सब्जैक्ट नहीं है जो हमारे बच्चों को सदाचार की भावना सिखाए । हम देखते हैं कि जो देहात में बच्चे स्कूलों में जाते हैं, उनमें से अधिकतर नहा कर नहीं आते, न ही नाखून आदि काट कर आते हैं और न ही उनके पास रूमाल होता है । कान्वेंट स्कूलों में पढने वाले बच्चे इसलिए आगे रहते हैं कि उनका पढ़ाई का एक स्टैण्डर्ड है और उनको वहां पर डिसिप्लन सिखाया जाता है । हमारे स्कूलों में इन चीजों की कमी है । मैं समझता हूं कि यदि स्कूलों में सदाचार की बातें पढ़ाई जाएं तो शिक्षा में जो बुराई है, वह जल्द दूर हो सकती है ।

[श्री सुरजीत कुमार धीमान]

हमारे स्कूलों में एक कमी यह है कि सिलेबस में ऐसा सब्जैक्ट नहीं है जो हमें स्हानियत पढ़ाता हो। इस विषय पर मैं ज्यादा न कहते हुए केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर सरकार स्कूलों के अन्दर दो विषय—एक सदाचार का और दूसरा रुहानियत का, लगा दें तो हमारी शिक्षा में काफी सुधार हो सकता है। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला (बल्लभगढ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार, विशेषकर अपने शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सरकार ने काफी से ज्यादा जो हमारे प्रदेश में प्राईवेट स्कूलज हैं, गवर्नमेंट एडिड स्कूल हैं, उनमें सुधार लाने की कोशिश की। उनको अच्छी मैनेजमेंट मिले, उनकी व्यवस्था में सुधार हो, इस उद्देश्य से सारे प्रदेश की जनभावना का स्वागत करते हुए समुचित परिवर्तन किये। इन्होंने जो कमी पाई, उसको ध्यान में रखते हुए और दूसरे सभी प्रदेशों की शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और उनके प्लस प्वायंटस का गहन अध्ययन करने के बाद इस बिल के माध्यम से प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की कोशिश की है। यह अपने आप में एक बड़ी भारी उपलब्धि होगी। अध्यक्ष महोदय यह बड़े फख्र की बात है कि आप का जीवन राजनीति की निस्बत शिक्षा के क्षेत्र से ज्यादा जुड़ा रहा है। जहां आप इस महान सदन की चेयर पर विराजमान हैं वहां आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। जब हम कालेजिज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो आर्य समाज के जलसे-जलूस बहुत होते थे, उस समय आप लैक्चर देते थे। उस समय हमने देखा और अब भी देख रहे हैं कि आप राजनीति की निस्बत शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा योगदान देते हैं। विशेषकर आपने ग्रामीण परिवारों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और स्कूलों, कालेजिज और यूनिवर्सिटीज के सुधार में महान योगदान देने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में एक और कड़ी जोड़ते हुए मुलाना साहब एक अच्छा कदम उठाना चाह रहे हैं और इस बिल के जरिये एक बड़ा भारी लाभ ये इस स्टेट को देने जा रहे हैं। समाज में यह महसूस किया जाता है कि धीरे-धीरे शिक्षा का व्यापारीकरण हो चुका है। इस बिल के जरिए उस पर बड़ा भारी बन्धन होगा, एक प्रकार का चैक होगा। प्राय: देखने में आया है कि गरीब घरों में प्राय: टैलैंटिड बच्चे पैदा होते हैं लेकिन उन्हें अच्छा माहौल, अच्छे स्कूल और अच्छे कालिजिज वगैरा नहीं मिल पाते हैं और जब स्कूल में गांव का बच्चा या बहन-बेटी जाती है तो उनको एडमिशन नहीं दिया जाता। इस तरह के स्कूल्ज हैं जिनमें उनकी विशेष पौशाक होती है लेकिन बच्चों के सादे रहन-सहन को देखकर उनको एडमिशन नहीं दिया जाता और उनको कह दिया जाता है कि आप बढ़िया अंग्रेजी नहीं बोल सकते, आपके माता-पिता बढ़िया अंग्रेजी नहीं बोल सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या केवल मात्र बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलना ही महानता का लक्षण है ? यह देश ऋषि मुनियों का देश है। हिन्दी हमारी मातृभाषा है। इस प्रकार के स्कूल्ज जो सरकार से ऐड भी लेते हैं, पैसा भी इकट्ठा करते हैं, गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं देते। इस तरह के जो

स्कूल्ज हैं या शिक्षा संस्थाएं, हैं, जिन्होंने गरीब परिवारों के लिए एडमिशन के दरवाजे बन्द कर दिए हैं, इस बिल के माध्यम से उनके ऊपर बड़ा चैक होगा । अध्यक्ष महोदय, यह बिल अपने आप में बड़ा भारी क्रान्तिकारी बिल है । मैं इस के बारे में आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूं कि पिछले साढ़े चार साल के अन्दर चौधरी भजन लाल के नेतृत्व में इस सरकार की जहां कई उपलब्धियां हैं वहां शिक्षा जगत में भी बड़ी भारी उपलब्धियां रही हैं । इसके लिए मैं शिक्षा मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं तथा उम्मीद करता हूं कि इनके रहते हुए भविष्य में प्रदेश में शिक्षा के अन्दर बहुत बढ़िया परिवर्तन होते रहेंगे । धन्यवाद ।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान (मुण्ढलखुर्द) : स्पीकर सर, माननीय शिक्षा मन्त्री जी शिक्षा में सुधार के लिए यह बिल ले कर आए हैं । इनके शिक्षा मन्त्री बनने के बाद, मैं यह मानता हूं कि नकल रोकने के लिए इन्होंने डेढ़ साल में कुछ मानसिक प्रयास किए गए हैं और नकल कुछ रुकी है । स्पीकर सर, ये जो बिल लाए हैं, (विघ्न) इस के बारे में स्टेटमैंट ऑफ आब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्ज में इसका उद्देश्य स्पष्ट है । स्पीकर सर, मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि आज के शिक्षा जगत में हरियाणा प्रदेश का शिक्षा का स्तर पूरे देश में सबसे नीचे है । यह हम सब के लिए बहुत ही चिन्ता की बात है । स्पीकर सर, आप स्वयं एक उच्च शिक्षा शास्त्री हैं । आपको भी यह महसूस होता होगा कि हमारा शिक्षा का स्तर कितना नीचा है । मेरे समक्ष के मुताबिक शिक्षा स्तर का नीचा होना सरकार की अपनी एक कमजोरी दर्शाता है । शिक्षा स्तर नीचे होने के दो मुख्य कारण हैं । एक तो शिक्षा का कामर्शियलाईजेशन और दूसरा पोलिटिकलाईजेशन ऑफ दि एजुकेशन । मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो प्राईवेट शिक्षा संस्थाएं हैं, उनका सलेबस गवर्नमैंट स्कूलों के सलेबस से भिन्न है और दूसरे प्राइवेट संस्थाओं में, कक्षाओं में विद्यार्थी लिमिटिड हैं । एक तो ऐसा होना चाहिए कि इन प्राईवेट स्कूलों का सलेबस वही होना चाहिए जो गवर्नमैंट स्कूलों की शिक्षण संस्थाओं का है । दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि इन प्राईवेट शिक्षण संस्थाओं में बड़ी लूट-खसोट हो रही है जिस के कारण ये शिक्षण संस्थाएं मात्र दुकानें बन गई हैं । पहली-दूसरी और आठवीं कक्षाओं के विद्यार्थी जब वहां पर एडमिशन लेने जाते हैं तो उनसे एक-एक हजार रुपया ओन दि फर्स्ट डे ऑफ एडमिशन ले लिया जाता है । जितना अच्छा और चमकीला ऐसे स्कूलों का बोर्ड होगा, उतनी ही ज्यादा उनकी फीसें होंगी । मेरे भाई जिले सिंह ने ठीक ही कहा है कि ये एक कोठी किराये पर ले लेते हैं और बढ़िया सा बोर्ड लगा कर स्कूल खोल कर बैठ जाते हैं । शिक्षा बोर्ड, शिक्षा मन्त्री और उनके अपने महकमें के लोगों को किसी भी शिक्षण संस्थान को रिकोग्नीशन देते समय इन बातों को देखना चाहिए कि क्या स्कूलों के लिए जो फिक्स्ड क्राईटेरिया है, वह पूरा है ? इस बिल में यह बात अच्छी रखी गई है । सिद्धांत रूप से मैं इसको मानता हूं कि शिक्षण संस्थान का अपना प्ले ग्राउंड हो, अपनी लैबोरेटरीज हों । ये बातें बिल में रखी तो गई हैं लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या इनको

[प्रो० छत्तर सिंह चौहान]

अनओजामा पहनाया जाएगा या नहीं। दूसरी बात यह है कि आज हरियाणा में जिस तरह से ऐजुकेशन का स्टैण्डर्ड गिरा है, वह सब पोलिटिकलाईजेशन की वजह से है। मेरा शिक्षा मंत्री जी से संक्षेप में यह कहना है कि भिवानी में एक सनातन धर्म स्कूल है, वहां पर एक आदमी लोगों को एक्सपलाईट कर रहा है। उसका नाम * * * है। वह मुख्य मंत्री जी का चहेता है और उसने वहां पर कब्जा कर लिया है। कोर्ट ने आर्डर दिए हैं कि इस पर उनका हक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, जो आदमी हाउस में अपनी पोजीशन क्लीयर न कर सके, उसका नाम कार्यवाही में नहीं आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : उनका नाम कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, मेरी आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना है कि स्कूलों का कमर्शिलाईजेशन और पोलिटिकलाईजेशन जो हुआ है, आप इसको देखें। आज आप प्राईवेट स्कूलों की पढ़ाई और सरकारी स्कूलों की पढ़ाई का स्टण्डर्ड देखें। अपने और उनके रिजल्टस देखें, इसमें बहुत फर्क है। उनके रिजल्टस बहुत अच्छे हैं। ये जो डी० पी० आई० और टीचर्ज हैं, ये इनडफीशिएंट हैं। आप अपने स्कूलों का स्टैण्डर्ड प्राईवेट स्कूलों की तरह बनाएं। शिक्षा मंत्री जी आप कभी स्कूल में जाकर देखें, वहां पर न तो सफाई होती है और न ही अध्यापक पूरे हैं। एक-एक स्कूल में 15-15 अध्यापकों की कमी है। जब शिक्षा मंत्री जी को इनकी कमी पूरी करने को कहा जाता है तो वे कहते हैं कि हमने केस एस० एस० एस० बोर्ड को भेज रखा है। अगर ये इस बारे में कुछ करेंगे तो ही कुछ फायदा हो पाएगा।

श्री रमेश कुमार (बड़ौदा-एस० सी०) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि आज हरियाणा में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। हमारी स्टेट में बच्चे पढ़ने के लिए प्राईवेट स्कूलों में जाते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों की निस्बत प्राईवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलती है, लेकिन प्राईवेट स्कूलों में बच्चों के मां-बाप पर एक मार मेरी जाती है, वह है फीस की मार। प्राईवेट स्कूलों में सरकारी स्कूलों के मुकाबले में फीस डबल ली जाती है। उनके मां-बाप के ऊपर यह बोझ पड़ता है। सर, वे गरीब आदमी हैं। वे अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन फीस ज्यादा होने की वजह से बच्चों को प्राईवेट स्कूलों में भेजने के लिए असमर्थ हैं। स्पीकर सर, आज मास्टरों को अपने गांव से तीस चालीस किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्कूलों में भेजा जाता है। इससे पहले

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

चौधरी बंसी लाल जी के राज में यह रिवायत शुरू हुई थी और मास्टरों को बीस-बीस किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्कूलों में भेजा जाता था। उस समय मास्टर अपनी साईकिल को यह कहा करते थे कि चल बेटी बंसी लाल, बीस किलोमीटर की रफ्तार से। अध्यक्ष महोदय, आज जो टीचर्ज बीस बीस किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैं, वे कुछ पढ़ाते ही नहीं हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि सरकार उनका कुछ भी नहीं कर सकती। सरकार का उनके ऊपर कोई दबाव ही नहीं है। वे स्कूल में आते हैं और अपनी अपनी हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। पढ़ाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसी वजह से आज शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि टीचरों को पांच पांच या दस दस किलोमीटर के दायरे में ही रखना चाहिए ताकि वे अपने घरों से रोज आते जाते रहें और बच्चों को भी सही तरह से दिल लगा कर पढ़ा सकें। ऐसा करने से शिक्षा के प्रसार को अच्छी तरह से बढ़ाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, आज स्कूलों में स्टाफ ही पूरा नहीं है। कहीं पर प्रिंसिपल नहीं हैं, कहीं पर मैथ का टीचर नहीं है, कहीं पर साईंस का टीचर नहीं है और न ही स्कूलों की कभी कोई देखभाल करने जाता है। मेरे हल्के बड़ौदा में दो गंगेसर, मातन, ठसका, आदि गांव हैं, जिनके बारे में मैंने पिछले सैशन में भी लिखकर दिया था कि उनमें टीचर नहीं हैं। सर, जब स्कूलों में टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन ? गंगेसर गांव में एक प्राईमरी स्कूल है। वहां केवल एक ही टीचर है, न वहां पर हैड मास्टर है और न दूसरे टीचर्ज हैं। क्या एक टीचर पूरे प्राईमरी स्कूल को चला पाएगा ? क्या वह दो सौ बच्चों को एक साथ पढ़ा पाएगा ? इस तरह से तो शिक्षा का स्तर गिरता ही चला जाएगा। आज हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, उनका रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आता ? वह इसलिए नहीं आता क्योंकि वहां पर अध्यापक स्कूल जाते हैं और बगैर कुछ पढ़ाए हुए वापस आ जाते हैं। जब बच्चे पढ़ने के लिए तैयार होते हैं तो वह मास्टर सो जाते हैं। सोते हुए मास्टर को देखकर बच्चे भी हंसी मजाक में समय बिता कर वापिस घर आ जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, गुरु का बहुत बड़ा स्थान होता है लेकिन आज न तो गुरु में बच्चों को पढ़ाने की भावना है और न ही बच्चे पढ़ना ही चाहते हैं। जब तक गुरु और शिष्य में पढ़ाने और पढ़ने की भावना पैदा नहीं होगी, तब तक शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठाया जा सकेगा। जब तक गुरु बच्चों को सच्चे दिल से नहीं पढ़ाएगा, तब तक शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं उठेगा। आज मास्टर गाइड लेकर स्कूलों में जाते हैं और उसमें से देखकर ही बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रश्न और उत्तर बोर्ड पर उतार देते हैं। बोर्ड पर उतारे हुए सवाल को बच्चा क्या याद कर पाएगा और क्या इसे याद करके वह कोई इंटरव्यू दे पाएगा ? इस तरह से तो शिक्षा का स्तर गिरता ही जाएगा। आज इस शिक्षा के स्तर को गिराने में जहां गुरु का हाथ है, वहीं सरकार का भी कम हाथ नहीं है। अच्छा स्तर होगा तो इसका श्रेय सरकार को ही जाता है, शिक्षा मंत्री को जाता है। अगर वह सही तरीके से काम करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि शिक्षा के स्तर को उठाया नहीं जा सकता। अध्यक्ष

[श्री रमेश कुमार]

महोदय, आज सरकार कह रही है कि हम हरिजनों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है । मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार हरिजन बच्चों की फीस माफ करती है ? स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि जो लड़कियां हैं, उनको फ्री शिक्षा दी जानी चाहिए । आज जो सरकार शिक्षा के ऊपर खर्चा कर रही है, वह केवल दीवारों के ऊपर, कागजों पर ही होता है, प्रैक्टीकल रूप में कुछ नहीं है । इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जो हरिजन बच्चे हैं, उनकी शिक्षा की ओर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है । सरकार किसी प्रकार से उनकी मदद नहीं कर रही । चाहे किताबें देने की मदद हो, चाहे वर्दियां देने की मदद हो या फिर कुछ और वित्तीय मदद हो, कुछ भी मदद नहीं कर रही है । आज सरकार सब कुछ कागजों पर तो जरूर दिखा रही है कि हम यह कर रहे हैं, हम वह कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कुछ हो नहीं रहा । इसलिये मेरा अनुरोध है कि हरिजन बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में खासतौर पर जो सहायता पैसे से सम्बन्धित है, वह भी दी जाए लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिये शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इसके साथ-साथ मैं सरकार से यह कहूंगा कि सरकार बी० सी० व एस० सी० के जो बच्चे हैं, उनकी तरफ खास तवज्जो दें । वे लोग जब अपने लिये विभागों से बैकवर्ड क्लास और शड्यूल्ड क्लास का सर्टिफिकेट लेने को जाते हैं तो उनकी वहां पर कोई सुनवायी नहीं करता और उन्हें खाली हाथ वापिस घर आना पड़ता है । इस ओर सरकार अवश्य ध्यान देवे । बस इतना ही कहता हुआ मैं अपना स्थान लेता हूं कि जो-जो सुझाव मैंने यहां पर दिये हैं, सरकार उनकी ओर ध्यान देवे ।

डा० रामप्रकाश (थानेसर) : अध्यक्ष महोदय, स्कूल ऐजुकेशन बोर्ड से सम्बन्धित विधेयक पर इस सदन में चर्चा चल रही है । उस बारे में, मैं कुछ कहना चाहता हूं । स्पीकर साहब, आपने वर्षों तक स्कूल में अध्यापन कार्य किया है और आप एक पुराने अध्यापक हैं । आप को इस क्षेत्र का ठीक अन्दाजा है लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो चर्चा आज यहां पर आप करवा रहे हैं, क्या यह विधेयक पर हो रही है या जनरल डिस्कशन हो रही है ? जैसे मैं कल एच० पी० एल० सी० मशीन के बारे में बोल रहा था लेकिन वह एक टैक्नीकल बात थी । यह बात कुछेक के समझ की हो सकती है और कुछेक के समझ की नहीं भी हो सकती । उस वक्त मैं एक रैलेवैन्ट बात ही कह रहा था क्योंकि मैंने उस मशीन पर विदेश में एक नोबल पुरस्कार विजेता की लैबोरेट्री में काम किया है पर आपने मेरी ये बातें कार्य-वाही से निकाल दी थीं । शायद समझ से बाहर की बातें थीं । आज मैं देखकर हैरान हूं कि यद्यपि हमारे विधान सभा अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्कूल ऐजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं । आज जो यहां सदन में बहस चल रही है, उसको कैसे अलाऊ किया जा रहा है क्योंकि बहस इधर उधर की बातों पर की जा रही है । बहस जनरल न होकर सम्बन्धित विधेयक पर ही होनी चाहिये थी । या तो आप जो स्थिति ऐजुकेशन की है, उस पर बोलने के लिये अलग से टाइम रख लें, उस पर हम,

बहस करें, नहीं तो विधेयक पर क्लाज वाईज डिस्कशन होनी चाहिये । यह आपसे मेरा निवेदन है ।

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : आदरणीय स्पीकर महोदय, इस हाउस में मुझे यह बिल लाते हुए बहुत हर्ष हो रहा है क्योंकि बहुत देर से इस बारे में सदन के माननीय सदस्यों की इस बात को लेकर चिन्ता थी कि हरियाणा में शिक्षा के जो केन्द्र हैं, उनमें अनियमितताएं हैं । अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अन्दर दो तरह के स्कूल्ज हैं । एक तो हरियाणा सरकार या ऐजुकेशन बोर्ड द्वारा चलाये जाते हैं जिनको बोर्ड रिकोग्नाइज करता है और दूसरे स्कूल्ज वे हैं, जिनको सी० बी० एस० ई० रिकोग्नाइज करता है । सी० बी० एस० ई० से जो स्कूल्ज रिकग्नाइजेशन लेते हैं, हमसे एक बार नो-आबजैक्शन सर्टिफिकेट लेने के बाद हमारी सरकार का उन स्कूलों पर कोई विशेष कंट्रोल नहीं रहता । किसी भी मामले पर, चाहे फीस का मामला हो, चाहे दाखले का मामला हो, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता । जब सदन में यह बात आई कि ऐजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, जगह जगह पर इस तरह की दुकानें खुल रही हैं, तो हमें मुख्य मन्त्री का यह आदेश हुआ कि एक ऐसा बिल प्रस्तुत किया जाये जिससे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिये कोई सही कदम उठाया जा सके । माननीय सदस्यों ने बोलते हुए कुछ चिन्ताएं जाहिर भी कीं । बहुत सारे माननीय सदस्य, जैसे चौधरी जिले सिंह जी, मास्टर अजमत खां, डाक्टर राम प्रकाश जी, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने बोलते हुए अलग अलग अपने विचार रखे ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमती हो तो सदन का समय आधा घण्टा बढा दिया जाये ।

आवाजें : ठीक है जी ।

श्री अध्यक्ष : हाउस का समय आधा घण्टा और बढ़ाया जाता है ।

बिल्ज (पुनरारम्भ)

श्री फूल चन्द मुलाना : हमारे दूसरे साथियों ने भी इस पर अपने-अपने विचार रखे । चौधरी जिले सिंह ने बोलते हुए कहा कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं । प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है । मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रान्त में यह पहली मिसाल है जहां पिछले साल हमने प्राईमरी

[श्री फूल चन्द मुलाना]

स्तर पर सारे प्रान्त में सरकारी तौर पर इम्तिहान करवाया । पहले प्राईमरी स्कूल के बच्चों का इंटरनल इम्तिहान होता था । जहां तक शिक्षा में सुधार की बात है, माननीय सदस्यों ने सराहा है कि सरकार ने हरियाणा से नकल को निकाल दिया है । कई भाइयों ने कह दिया कि यह मानसिक प्रयास था । नकल को रोकने के लिए हमें सभी लोगों का सहयोग मिला है । वे चाहे समाज के लोग थे, चाहे अध्यापक थे, बहुत ही सफल प्रयास के तहत नकल को रोका गया । यह बात सही है कि उसके बाद हमारे रिजल्ट कुछ नीचे आए । यह भी शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने का ही एक प्रयास है । अगर हम नकल को रोकेंगे तो बच्चों में पढ़ने की भावना आएगी और अध्यापकों में भी पढ़ाने की भावना आएगी । मुझे खुशी है कि वह स्तर अब कुछ उभरा है । पहले जो रिजल्ट काफी ले आए थे, इस बार वे बढ़ गए हैं । हमने यह भी फैसला कर दिया है कि हम सरकारी स्कूलों की रैगुलर इन्स्पैक्शन करेंगे । सरकारी स्कूलों में इन्स्पैक्शन हो रही है । यह डायरैक्टोरेट लैवल पर होती है और अब जिला लैवल पर भी कह दिया है कि उनको जाना ही पड़ेगा । इस बिल में सारे प्रोवीजन हैं, फीस के भी हैं और इन्स्पैक्शन के भी हैं । अजमत खां जी ने मास्टरों को पूरी तनखाह देने के बारे में कहा । हमने शर्तें तय कर दी हैं कि कैसे स्कूल रिकगनाइज्ड होगा और किस शर्त पर लोग उनमें रखे जाएंगे । तो शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए ही यह बिल लाया गया है । मुझे आशा है कि इस बिल के पास होने के बाद शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत सुधार आएगा ।

प्रो० राम विलास शर्मा : सर, मैंने बोलते समय पहले भी कहा था कि बिल में जो आपने प्राइवेट मैनेजमैंट के लिए कंडीशन रखी है, उसको आप सरकारी विद्यालयों में भी लागू करें ।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, सरकारी स्कूलों में तो पहले से ही यह शर्त है । मैं एक बात और बता दूं कि हमारे आनरेबल मैम्बर कह रहे थे कि सरकारी स्कूलों में अन-ट्रेंड टीचर होते हैं । मैं उनको बताना चाहता हूं कि सरकारी स्कूलों में एक भी अन-ट्रेंड टीचर नहीं रखा जाता । कोई जे० बी० टी० होता है, कोई बी० एड० होता है लेकिन इसमें कोई पोलिटिकलाइजेशन नहीं है और कमर्शियलाइजेशन को रोकने के लिए हम यह बिल लाए हैं । यहां पर मौरल एजूकेशन की भी चर्चा हुई, वह हमने पहले से ही लागू कर दी है । उसका सिलेबस तय कर दिया गया था । इसके अलावा, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वेकैंट पोस्ट्स भी बहुत जल्द भरी जाएंगी । इनकी मांग संबंधित एजेंसियों को भेज दी गई है और परमोशंज भी हो रही हैं । इस बिल के पास होने से बहुत सारी समस्याओं का हल होगा । मेरा सदन से अनुरोध है कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाए ।

श्री हरि सिंह नलवा : स्पीकर साहब, जो प्राइवेट स्कूल दूसरे बोर्डज के साथ एफिलिएटिड होंगे, क्या यह एक्ट ऐडिड स्कूलों पर भी लागू होगा या अन-ऐडिड पर भी लागू होगा ?

श्री फूल चन्द मुलाना : स्पीकर साहब, इस बिल की धारा 15 की क्लाज 3 में लिखा है :—

"Admission to recognised schools or to any class thereof, shall be regulated by rules made in this behalf."

यह सब पर लागू होगी ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

5. दि हरियाणा सर्विस आफ इंजीनियर्ज क्लास–I पब्लिक वर्क्स डिपार्टमैंट (बिल्डिंग्ज एण्ड रोड्ज ब्रांच, (पब्लिक हैल्थ ब्रांच) एण्ड (इरीगेशन ब्रांच) रिस्पैक्टिवली बिल, 1995

Mr. Speaker : Now, the Public Works (B&R) Minister will introduce the Haryana Service of Engineers, Class I, Public Works Department (Buildings and Roads Branch), (Public Health Branch) and (Irrigation Branch), respectively, Bill, 1995.

Public Works (B&R) Minister (Chaudhri Amar Singh) : Sir, I introduce the Haryana Service of Engineers, Class I, Public Works Department (Buildings and Roads Branch), (Public Health Branch) and (Irrigation Branch), respectively, Bill, 1995.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Service of Engineers, Class I Public Works Department (Buildings and Roads Branch) (Public Health Branch) and (Irrigation Branch), respectively, Bill, 1995 be introduced.

चौधरी बंसी लाल (तोशाम) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल की इन्ट्रोडक्शन पर बोलना है । यह जो बिल हाउस में लाया जा रहा है, यह किन्हीं दो आदमियों को फायदा पहुंचाने और किन्हीं दो आदमियों को नुकसान पहुंचाने के लिए लाया जा रहा है क्योंकि इस बिल की क्लाज 1(2) में लिखा है—

"It shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 1966."

और इसकी स्टेटमैंट आफ औब्जैक्टस एंड रीजंज में लिखा है—

"In order to have uniform rules for all the three branches of Engineering Services and to clarify the position in an

[चौधरी बंसी लाल]

> unambiguous manner so as to have uniformity and clarity in interpretation, it became necessary to make certain amendments with retrospective effect. This was possible only by enacting a legislation in this regard. As the Haryana Vidhan Sabha was not in Session, it was decided to achieve the purpose through issue of an Ordinance on 13th May, 1995......"

अध्यक्ष महोदय, ये केसिज कोर्ट में गए । सरकार ने जो दलीलें दी होंगी, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च को फैसला हैल्ड किया है कि सीनियोरिटी इस हिसाब से लागू होगी । इस बिल के स्टेटमैंट आफ ऑब्जैक्ट्स एंड रीजंज में यह क्लियर है कि सरकार हाइऐस्ट कोर्ट आफ जुडिशियरी आफ दी कन्ट्री को नल्लीफाई कर रही है, इस तरह इसकी इंटैंशनलनलीफाईडी है । अगर ये इसको लागू करना चाहते हैं तो आगे के लिए कर दें, न कि पीछे से । सरकार तो उस वक्त यानी नवम्बर, 1966 के समय में चली गई । मैं नहीं समझता कि इस बिल के आने से भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना व्यू प्वायंट रख सकेगी । ऐसा नहीं लगता कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की अदालत में अपनी कसौटी पर पूरी उतर सके । सरकार द्वारा इन दोनों केसिज को नलीफाई करने का कोई औचित्य नहीं है । आप इस बिल को प्रोस्पैक्टिव डेट से लागू करें, रिट्रोस्पैक्टिव डेट से लागू न करें । आप 29 साल पीछे से लागू कर रहे हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं है । अगर ये ब्रूट मैजोरिटी के दम पर इस बिल को पास करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को सूट नहीं करेगा । ये इस बिल को पहली नवम्बर, 1966 से लागू न करें बल्कि आगे के लिए लागू कर दें या फिर इस मैटर को सिलैक्ट कमेटी को रैफर कर दें ।

प्रो० सम्पत सिंह (भट्टू कलां) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल आर्बीट्रेरी है, डिस्क्रीमिनेटरी है और मालाफाइड है और अगेंस्ट दी जजमैंट आफ दी सुप्रीम कोर्ट है । एक आदमी 20-22 साल से अपनी सीनियोरिटी के लिए पहले हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में गया । सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सीनियोरिटी फिक्स की लेकिन उसको सरकार नहीं मान रही । फिर उसने कंटैम्प्ट आफ कोर्ट डाली । इसका फैसला पहली अप्रैल, 1991 में आता है । यह फैसला उसके हक में जाता है और उसकी सिनियोरिटी फिक्स कर दी जाती है । फिर 4 साल तक उसको लागू नहीं करते । 15 अप्रैल, 1991 को कंटैम्प्ट आफ सुप्रीम कोर्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले इसको इम्पलीमैंट करो । उस फैसले को 15 अप्रैल, 1995 को इम्पलीमैंट करने के बाद यानी 20-25 दिन के बाद, 12 मई, 1995 को ये एक आर्डीनैंस लाते हैं । अब इस आर्डीनैंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नल्लीफाई कर रहे हैं । इसके जरिए जो आर० आर० स्योदान है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए यह सब किया जा रहा है । वह बहुत ईमानदार आफिसर है । अब इस बिल के जरिए ऐसे अफसर को ये डिमोट कर रहे हैं । Now he again went to the court.

इसलिए कि इस आर्डिनेंस का उस पर इफैक्ट न हो, इसलिए सरकार को रोका जाए। सरकार को कोर्ट ने रोका है कि अब उस आदमी को डिमोट न किया जाये। (विघ्न) स्पीकर सर, यह बात चैलेंज हुई है, उसके बाद High Court of Punjab and Haryana has restrained the Government of Haryana from passing any order prejudicial to the interests of direct recruits on the basis of impunged ordinance. स्पीकर सर, यह डायरैक्ट रिक्रूट्स को कर्टेल करने की बात है। स्पीकर सर, इसमें है कि 50% बाई डायरैक्ट रिक्रूटमैंट, पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए और 50% बाई प्रमोशन एस० डी० ओज० में से होंगे। तो स्पीकर सर, यही झगड़ा था। अगर उस आदमी को उसी दिन सीनियोरिटी मिल जाती जिस दिन उसने पब्लिक सर्विस कमीशन से अपनी परीक्षा पास की थी और क्लास-1 सर्विस में आया था, तो स्पीकर सर, उसकी 20-25 साल की हार्डशिप बच जाती। आज सरकार ने स्टेटमैंट आफ आब्जैक्टस एंड रीजन्ज में यह भी लिख दिया कि और लोगों को इस जजमैंट से हार्डशिप होगी, जूनियर आदमी सीनियरज के ऊपर आ कर बैठ जाएंगे। You just see the plight of Mr. R.R. Sheoran. मिस्टर आर०आर० श्योरान, जिसका 20 साल पहले हक था, उसने वह हक अब लड़-लड़ कर हासिल किया है। इसको जूनियर पोस्ट्स पर बैठना पड़ा क्योंकि सरकार उसको सीनियर नहीं बनाना चाह रही थी, इसलिए he went to the highest court of the land. वहां जा कर जब उसको रिलीफ मिल गया है तो उस रिलीफ को भी सरकार अनडू करना चाहती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह बिल बायस्ड है। स्पीकर सर, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, शायद मिनिस्टरज को चिन्ता नहीं होगी लेकिन एट लीस्ट कुछ मिनिस्टरज ने चिन्ता जाहिर की थी है। It was opposed by certain Ministers. कैबिनेट में भी इसकी आपोजीशन हुई है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। स्पीकर सर, इसमें एल० आर० की भी राय ली गई है। आप चाहें तो एल० आर० की फाईल मंगवा लें, एल० आर० ने भी इसको अपोज किया है। उसने लिखा है कि गवर्नमैंट को इस लिटिगेशन में नहीं पड़ना चाहिए, तब एक बाया मीडिया निकाला गया। ज्वायंट एल० आर० से इसको करवा कर एडवोकेट जनरल से राय ले ली गई। एडवोकेट जनरल के बारे में यह फैक्चुअल है कि एडवोकेट जनरल गवर्नमैंट का होता है। एडवोकेट जनरल गवर्नमैंट को राय देने के लिए, और जैसा गवर्नमैंट चाहती है उसकी वकालत करने के लिए होता है। उसकी राय ले कर इन्होंने भेजा है। स्पीकर साहब, मैं जो कह रहा हूं, यह फैक्चुअल है। मैं थोड़ा सा गवर्नमैंट को साउंड करना चाहता हूं कि यह जो जजमैंट है, यह किसने दी है, वह भी बताना चाहता हूं। एट लीस्ट जिम्मेवारी तो उन लोगों की भी आएगी जो डिपार्टमैंट में कमिश्नर हैं क्योंकि कोर्ट्स के ऐसे फैसले भी हैं, जिन लोगों ने कोर्ट्स के फैसलों को नहीं माना, उनके खिलाफ कन्टैम्पट्स हुई हैं और उन को सजाएं भी हुई हैं। स्पीकर सर, मैं अपने कन्सर्ड आई० ए० एस० ऑफिसरज को आगाह करना चाहूंगा तथा बताना चाहूंगा कि यह फैसला आनरेबल जज मिस्टर रामा स्वामी का है, जिसने आर० आर० श्योरान के हक में फैसला किया है। ये वही आनरेबल जज हैं जिन्होंने

[प्रो० सम्पत सिंह]

श्री बासु देवन आई० ए० एस० अधिकारी को कन्टैप्ट के एक मामले में सजा सुनाई है। ये अधिकारी कर्नाटक में हैं, now he is in jail. स्पीकर सर, कन्टैम्पट चीफ इन्जीनियर की पोस्टिंग के मामले में उसको सही पोजीशन न देने में हुई है। यह केस भी सेम केस है और जज भी सेम हैं। आज मैं हरियाणा गवर्नमैंट से यह कहना चाहता हूं कि वह भी फैसला चीफ इन्जीनियर के बारे में था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। वह फैसला आनरेबल जज रामा स्वामी का था और श्री ग्योरान के केस का यह फैसला भी श्री रामा स्वामी का किया हुआ है। स्पीकर सर, कहीं ऐसा न हो कि हम सब की भद्द पिटे। सरकार की भद्द तो पिटे सो पिटे, कहीं असैम्बली की भद्द न पिट जाए। जब यह कोर्ट में चैलेंज होगा तो रूल्ज के मुताबिक स्टैंड नहीं कर पाएगा, उसके बाद सरकार को फिर वापिस करना पड़ेगा। इसलिए इस पर थोरो डिस्कशन हो, इसमें इन लोगों को क्या दिक्कत है ? हाउस के अन्दर सिलैक्ट कमेटी का प्रोविजन है, आप सिलैक्ट कमेटी एप्वायंट कर लें। आगे जब स्थिति आएगी तो मैं क्लाज-बाई-क्लाज फिर बोलूंगा। अभी तो मैंने प्राईमरी ऑब्जैक्शन लगाया है, बाद में मैं बताऊंगा कि इसमें सलैक्ट कमेटी अप्वायंट करने की आवश्यकता क्यों है ताकि इस पर पूरी तरह से डिस्कशन हो जाए। इस पर सिलैक्ट कमेटी की ओपिनियन लेने में इन्हें क्या दिक्कत है ? इनकी दूसरी कमेटियां भी हैं, वे हों या हाउस की एक और कमेटी बना लें ऐसा न करें जिससे हाउस की बेइज्जती हो जाए और वे यह कहें कि इस हाउस में अनपढ़ मैम्बर बैठे थे। मैं तो यह कहूंगा कि इन्हें इस बिल को विदड्रा कर लेना चाहिए। यह बिल उन लोगों का फण्डामैंटल राईट छीनने के लिए लाया जा रहा है। मंत्री जी को तो यह मूव करना चाहिए कि मैं यह बिल विदड्रा करता हूं और अपनी गलती सुधारता हूं।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां) : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा यह जो हरियाणा सर्विसिज, इंजीनियर्ज आफ पी० डब्ल्यू० डी० बिल, 1995 लाया गया है, यह इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जैसे चौधरी बंसी लाल और लीडर आफ दि अपोजिशन ने कहा है कि इसमें हाई कोर्ट का फैसला है और उस बारे में सरकार ने खुद माना है और उस फैसले की बिनाह पर जो काम्पलीकेशन और प्राब्लम्ज गवर्नमैंट फेस कर रही है, उसको सौलव करने के लिए यह मामला आज हाउस में आया है। अध्यक्ष महोदय, आपने एक काल अटैंशन मोशन डिस-अलाऊ किया जो पलवल और कुरुक्षेत्र के विधायक ने मिलकर दिया था। अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट के फैसले के तहत जी० टी० रोड के दोनों तरफ सौ-सौ मीटर की दूरी तक जो कंस्ट्रक्शन है, उसको गिरा दिया जाए। उस बारे में यह चर्चा हुई कि अगर ऐसा कोई फैसला है और सरकार उस पर पाबन्द नहीं है या उस में कोई डैविऐशन होगा तो वह कंटैम्पट आफ कोर्ट माना जाएगा। उस काल अटैंशन मोशन को अलाऊ नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, जब भी आपके पास कोई ऐसा डिसीजन आए और उसमें पब्लिक ओपीनियन लैदर करनी पड़े तो इन हालात में

सिलैक्ट कमेटी का काम आता है। उस चीज को समझते हुए सरकार ने भी इस पहलू पर विचार किया होगा और एल० आर० तथा अपने डिपार्टमैंट के आफिसर्ज से भी सलाह ली होगी। लेकिन मैं यह समझता हूं कि जब बिल हाऊस में पहुंच गया तो हमारी जिम्मेवारी बन जाती है, आपकी जिम्मेवारी बन जाती है, उसमें हाउस की गरिमा बन जाती है कि इस प्रकार के बिल को बारीकी से देखा जाए और अगर यह पास हो जाए तो कहीं हाउस की गरिमा पर असर न पड़े।

In the light of passing of this bill, something may go wrong with the decision of the Supreme Court.

स्पीकर सर, इसके बाद मैं आपसे नं० दो पर यह भी दरख्वास्त करूंगा कि अगर हम इसकी डिटेल में न भी जाएं, तो भी इसको इन्होंने रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से बिल लागू कर दिया है, यानी पहली नवम्बर, 1966 से किया है। स्पीकर सर, किन-किन आदमियों के राईट्स 1966 से लेकर 1995 तक इस पर्टीकुलर लैजिसलेशन के न होने की वजह से सफर करते रहे और किन-किन लोगों को इस लैजिसलेशन के न होने की वजह से फायदा होता रहा, यह देखने की बात है। आज तो उनमें से बहुत से लोग सर्विस में भी नहीं होंगे और रिटायर भी हो गए होंगे। (विघ्न) सर, इस तरह के कई जजमैंट हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं को-आपरेटिव मिनिस्टर था, उस समय भी एजैक्टली इन्हीं लाईन पर एक केस ए० आर० की प्रमोशन के बारे में मेरे पास आया था और उस केस में इसी तरह से पहले हाई कोर्ट ने फैसला दिया था तथा बाद में यह केस सुप्रीम कोर्ट में डिटो हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का ही फैसला दिया था। उस केस में दूसरी तरफ से जो मुख्य आर्गुमैंट थे, वह यह थे कि जब हम सर्विस में बैठे थे तो वे लोग निकर पहनकर स्कूल में जाते थे और आज ये हमारे से सीनियर होने का दावा करते हैं परन्तु सर, यह तो कोर्ट का फैसला था। उस फैसले को अगर आप यह समझते हैं कि यह एनोमली था या यह डिसक्रिमेशन था तो जो आप आज लैजिसलेशन लेकर आते हैं, और उसको आज से लागू करते हैं तो जो लोग इसके न होने की वजह से पहले सफर हुए हैं, उनको आप कैसे आज के दिन अब सैट कर दोगे? कई लोगों का तो सारी सर्विस के दौरान हजारों या लाखों रुपये का नक्सान हो गया होगा, कई लोगों को उससे फायदा भी पहुंचा होगा कई लोगों की तो इससे प्रमोशन भी रुकी होगी और कई लोगों की प्रमोशन होती ही चली गयी होगी, इसलिए स्पीकर सर, यह तो फण्डामैंटल राईट है, इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि सरकार एक लैजिस्लेशन लेकर आए और उसका इंट्रोडक्शन हो। उस पर क्लाज बाई क्लाज डिसकशन न हो, जैसा कि कभी भी यहां पर डिसकशन होती ही नहीं है। स्पीकर सर, मैं यह भी चाहूंगा कि this bill should be sent to the Select Committee because this is a new legislation and a new legislation always requires public opinion, constitutional clarity and it is also to be seen whether the bill is legally sustainable or not, in view of decision of Supreme Court or the High Court. So, the legal position is also involved in a new legislation. Therefore, I would request that this Bill be sent to the Select Committee.

डा० रामप्रकाश (थानेसर) : अध्यक्ष जी, चौधरी बंसी लाल जी ने, सम्पत सिंह जी ने और चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने जो-जो बातें कही हैं, मुझे भी वह बातें तर्क-संगत लगती हैं। मैं स्वयं चुनाव लड़ने से पहले नौकरी करता रहा हूं इसलिए मुझे पता है कि अगर किसी आदमी की सीनियोरिटी या उसका जो भी हक बनता है, वह विभाग से या प्रशासन से उसको नहीं मिलता तो वह उस अन्याय के खिलाफ कचहरी में जाता है। भारत की सर्वोच्च कोर्ट, अगर उसके हक में फैसला देती है तो आप अनुमान लगाईये कि उसे कितनी-कितनी दिक्कतों में से गुजरना पड़ा होगा क्योंकि एक तरफ तो वह इंडीविजुअल है और अपने साथ हुए अन्याय को दूर करने के लिए उसे अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है और दूसरी तरफ सरकार है, जिसको बड़े से बड़े वकील मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा दे सकती है, फिर भी अगर सरकार कोर्ट से हार जाए तो दूसरे या तीसरे कोर्ट में चली जाती है और उसके बाद भी अगर वह सब जगहों से हार जाती है तो सरकार विधान सभा में अपनी ब्रूट मैजोरिटी का लाभ उठाकर, अगर एक इंडीविजुअल के खिलाफ लड़ने लगे तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति के बचाव के लिए कौन आएगा ? अध्यक्ष महोदय, कौन उसे बचाएगा ? 30 साल पहले की बात को सरकार 30 साल बाद उठा रही है। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई सरकारी अफसर, सरकार को कभी भी सही राय नहीं देगा।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर हाऊस की सहमति हो तो सदन का समय आधा घण्टा और बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें : ठीक है, जी, बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष : सदन का समय आधे घण्टे के लिए और बढ़ाया जाता है।

बिल्ज (पुनरारम्भ)

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, सरदार पटेल ने होम मिनिस्टर बनने के 15.00 बजे | बाद अपने आफिसर्ज की एक मीटिंग बुलाई थी और एक बात कही थी कि जब भी

मैं मीटिंग बुलाऊंगा, तो उस में आप अपनी बात खुले मन से कह सकते हैं । जो तुम्हारा मन करता है, बोलो, लेकिन जो फैसला करना होगा, वह सुनने के बाद मैं करूंगा । दूसरी बात उन्होंने यह कही कि फाईल पर कम से कम जितना लिखा जाए, उतना ही लिखो । मैं समझता हूं कि हरेक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी गाईड लाईन थी जो सरदार पटेल हमें देकर गए थे । लेकिन अगर कोई आफिसर्ज मीटिंग में अपने सीनियर्ज के बारे में, उनके कार्य या राय के बारे में अपनी राय देगा तो फिर उसके साथ जो बीतेगी, उससे बचने के लिए कोई अगर एक ढंग है तो वह यह है कि वह अपने घर को आग लगाकर कचहरी में जाए । अगर कचहरी के फैसले को यह विधान सभा बदलेगी तो फिर क्या होगा ? मैं इसकी चिन्ता नहीं करता कि अगर आप आज उसको बदल देते हैं, कल को सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द करेगी या नहीं करेगी । सुप्रीम कोर्ट बेशक रद्द न करे लेकिन हम अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें । मैं न उस व्यक्ति को जानता हूं जिस पर इसका असर पड़ेगा और न ही मैं दूसरे व्यक्ति को जानता हूं । मैं इन में से किसी को भी नहीं जानता पर मैं एक कर्मचारी रहा हूं, उस नाते मैं यह बात कह सकता हूं कि इस अन्याय के खिलाफ अगर सदन एक मत नहीं होगा, आप अपनी आवाज बुलन्द नहीं करेंगे तो जिस व्यक्ति को ईमानदारी से अपना काम करने के बदले में यह फल मिलेगा, तो वह फिर किस के पास संरक्षण के लिए जाएगा ? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया जाए और उसके बाद विधान सभा में एक बिल लेकर के आया जाए, यह ठीक नहीं है । मैं तो यह समझता हूं कि अगर ऐसा बिल आपने सिलैक्ट कमेटी में भेजना है तो उसको आइन्दा के लिए भेजें, लेकिन पिछली डेट से उसको लागू करने के उद्देश्य से भेजना चाहें, तो यह हमारे दिल के कालेपन को जाहिर करेगा और यह हम सब के लिए एक बहुत दुखदायी अध्याय होगा । यह बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता था । धन्यवाद ।

प्रो० राम बिलास शर्मा (महेन्द्रगढ़) : स्पीकर सर, इस बिल से संबंधित जो-जो बातें चौधरी बंसी लाल, प्रो० सम्पत सिंह जी, डाक्टर राम प्रकाश और चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने कही है, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता । यह बिल जल्दबाजी में आ गया है । इसमें दो आफिसर्ज हैं, एक श्री एस०एल० चौपड़ा बनाम बी०डी० सरदाना और दूसरा आर०आर० ग्योवाल । बहुत वर्षों से यह लिटीगेशन चल रही थी । इसमें जो परपज है, उस में साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि इस बिल को लाने की क्या मजबूरी थी । आज एक आफिसर के लिए कुछ बिम्जीकल बातें विभाग में कई बार हो जाती हैं । यह कितना अननैचुरल लगता है कि इसको पीछे से यानी नवम्बर, 1966 से लागू करना चाहते हैं । स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि तीनों विभागों की सीनीयोरिटी, चाहे वह पब्लिक हैल्थ का डिपार्टमेंट हो, चाहे बी०एण्ड०आर० विभाग हो, चाहे इरीगेशन का विभाग हो, चाहे

[प्रो० राम बिलास शर्मा]

दूसरा विभाग हो जिसमें इंजीनियर्ज सेवा करते हैं, तीनों में यदि किसी की ग्रनामली होगी तो 1966 से एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा । तो फिर क्या इसके खिलाफ अदालत में जाएंगे, जिसके कारण सरकार का करोड़ों रुपया अदालतों में फीसों पर लग जाता है, कितना अननैचुरल है ? इस बिल के कारण इंजीनियर्ज में बड़ा भारी रिजैन्टमैंट है । तीनों विभागों की इंजीनियर्ज की एसोसिएशन अपने अपने विभाग के सैक्रेटरीज से या फिर शायद अपने-अपने संबंधित मिनिस्टर्ज से भी मिली है । चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी, मेरी इस बात को कंफर्म करेंगे क्योंकि इंजीनियर्ज के मामले में बहुत लम्बे समय से और पूरे तीनों विभागों में एक अजीब तरह का भय सा, एक भ्रांति सी थी, जिस के कारण सरकार इस बिल को लेकर के आयी है और वह भी जल्दबाजी में लेकर आयी है । स्पीकर साहब, इसमें और बातें भी इनवाल्व कर दी गई हैं जिनके बारे में हम क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन करेंगे । आपको पता है कि अदालतों में हमारी सरकार की कैसी छवि है । यहां पर चर्चा हुई थी कि तीन आई०ए० एस० अफसरों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा दी गई थी लेकिन फिर भी उनको दोबारा लगा लिया गया । उसके जवाब में इन्होंने कहा कि सजा में यह नहीं कहा गया था कि उनको दोबारा नहीं लगाना है । सुप्रीम कोर्ट जब एक आदमी के आचरण पर लांछन लगाती है तो उसमें सब कुछ आ जाता है । सुप्रीम कोर्ट 'ए' से 'जैड' तक जिम्मेदारी फिक्स नहीं करता । कोर्ट का वह क्लीयर कट फैसला था । हमारी अंग्रेजों एक आगस्ट हाउस है । यदि सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट के बाद भी हम इस बिल को पास करते हैं तो यह कोर्ट के आर्डर्ज की अवहेलना है । जो आगे की क्लासिज हैं, उनमें तो अजीब तरह की बातें लिखी हैं । उनमें यूनिवर्सिटीज प्रैसक्राइब करते हैं । आप यह बताएं कि अगर कोई ड्राफ्ट्समैन या जे०ई० का डिप्लोमा करता है तो आप कौन सी संस्था को रिकगनाइज करेंगे ? आज से कई साल पहले जो डिप्लोमा आई०टी०आई० में होता था, आज वह पौलिटैक्निक में होता है । पहले की बहुत सी बातें बदल गई हैं । स्पीकर साहब, बहुत सी बातों के अदायरे बदल गए हैं । चौधरी अमर सिंह जी तो एक अच्छे वकील हैं और फिर ये चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी की सोहबत में बैठे हैं जो जायज नाजायज में फैसला करते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आप जल्दबाजी न करें । आप इसको प्रैस्टिज इशू न बनाएं और यह बिल सिलैक्ट कमेटी को भेज दें जो इसको रिव्यू कर ले । हमने जो बातें कही हैं, इनको आप लीगल एक्सपर्टस से एग्जामिन करवा लें । यह नहीं होना चाहिए कि जो कागज आ गया उसको पढ़ दें । इसलिए मैं मन्त्री जी से फिर कहना चाहता हूं कि वे जल्दबाजी न करें और इसको सिलैक्ट कमेटी के पास भेजा जाए । ऐसा करने से सभी का भला होगा ।

लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री (चौधरी अमर सिंह) : स्पीकर सर, बिल की इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर चौधरी बंसी लाल जी ने, सम्पत सिंह जी ने, बीरेन्द्र सिंह जी ने डा० राम प्रकाश जी ने तथा राम बिलास शर्मा जी ने कुछ आपत्ति

उठाई है । स्पीकर साहब, आब्जेक्शन उठाने वाले आनरेबल साथियों ने शायद इस बात को नहीं देखा कि ए0एन0 सहगल, वर्सिज राजा राम केस का फैसला 1991 में हुआ था । जो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाईल की गई थी, उसका फैसला 1992 में हुआ । उसके बाद लास्ट डिसीजन 13-5-95 को हुआ है । स्पीकर साहब, मैं यह बताना चाहता हूं कि तीनों डिपार्टमैंट्स यानी इरीगेशन, पब्लिक हैल्थ और पी0डब्ल्यू0डी0 बांच में क्लास वन और टू की खींच-तान बहुत दिन से चल रही थी । इस कारण से एनामली और हार्डशिप आपस में चलती रही । इससे हार्डशिप दूर होगी और किसी को नुक्सान या फायदा पहुंचाने के लिए यह बिल नहीं है । स्पीकर साहब, क्लास वन औफिसर की सिलैक्शन के लिए पहले एच0पी0एस0सी0 में रीटिन टैस्ट होता है, उसके बाद इन्टरव्यू होती है । उसके बाद वह डायरैक्ट क्लास वन औफिसर बनता है । इस लिए दो साल का प्रोबेशन पीरियड और पांच साल का एक्सपीरिएंस जरूरी है, तब वह एग्जैक्टिव इंजीनियर बन सकता है । विपक्ष के नेताओं ने ज्यादातर यही मुद्दा उठाया है कि यह बिल रिटरोस्पैक्टिव डेट से लागू नहीं होने चाहिएं लेकिन मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आनरेबल जज ने फैसले में कानून की इन्टरप्रैटेशन रिटरोस्पैक्टिव डेट से की है । फर्स्ट नवम्बर, 1966 को दो क्लास वन औफिसर-एक मिस्टर आई0सी0 गुप्ता और दूसरे श्री एम0के0 अग्रवाल हैं और 18 एक्सीयन जो क्लास वन औफिसर थे, इनको क्लास वन औफिसर ट्रीट किया है । फर्स्ट नवम्बर, 1966 में जब उनको क्लास वन औफिसर मान लिया, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के आनरेबल जज को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए लेकिन चूंकि हाउस के माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया तो उसका जवाब देना निहायत ही जरूरी है । जिस औफिसर के बारे में आपत्ति उठाई गई है, वह राजा राम के बारे में है, जिन्होंने 1971 में एज ए असिस्टैंट एग्जैक्टिव इंजीनियर सर्विस ज्वायन की थी । उनका दो साल का प्रोबेशन पीरियड और पांच साल का एक्सपीरिएंस होना चाहिए था लेकिन उनकी यह कंडीशन पूरी नहीं थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के आनरेबल जज ने यह फैसला कर दिया कि चाहे उनका प्रोबेशन पीरियड और पांच साल का एक्सपीरिएंस न भी हो, तो भी इनको फरौम दि डेट औफ ज्वायनिंग से एग्जैक्टिव इंजीनियर परमोट कर दिया जाए। इस तरह से उसको क्लास वन एक्सीयन मान लिया । इससे सारे डिपार्टमैंट में उथल पुथल हो गई । जैसे आनरेबल मैम्बर चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि जब राजा राम निक्कर पहन कर प्राइमरी स्कूल में जाता था, उस समय मिस्टर एस0पी0 ग्रोवर, एक्सीयन होते थे । उसके बाद राजा राम एस0 ई0 बन गया और मि0 ग्रोवर चीफ इंजीनियर बन गए । मि0 ग्रोवर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आनरेबल जज ने जो फैसला दिया, उसके कारण तीनों डिपार्टमैंट्स में उथल पुथल मच गई । स्पीकर साहब, पी0डब्ल्यू0डी0 में 14 क्लास वन औफिसर हैं और लगभग 250 क्लास टू औफिसर हैं । डिपार्टमैंट को चलाने के लिए और इस उथल पुथल से बचाने के लिए किस तरह से इस हार्डशिप को दूर किया जाए, इसीलिए हम यह बिल ले कर आए हैं। स्पीकर साहब,

[चौधरी अमर सिंह]

एक बात और जो जरूरी है, वह मैं हाउस को बताना चाहता हूं । जो आदमी क्लास वन ऑफिसर बन गए, उनका एच०पी०एस०सी० ने केस भी अप्रूव कर दिया । डायरेक्ट रिक्रूटमैंट के लिए एच०पी०एस०सी० ने 1971 में इम्तिहान लिए और सरकार ने 1969 में क्लास टू ऑफिसर को क्लास वन ऑफिसर बना दिया और उसको एच०पी०एस०सी० ने भी ऐप्रूव कर दिया और वह रैगुलर हो गए । इस तरह वे 1971 से पहले एग्जेक्टिव इंजीनियर बन गए । अध्यक्ष महोदय, 1971 में एस०डी०ओ० के इम्तिहान में एग्जैक्टिव इंजीनियर कैसे बैठेगा । यह एक पेचीदा सवाल था । 1971 के बाद 1977 में एग्जाम हुआ । 1977 के एग्जाम से पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ आदमी लिए और उनको क्लास-2 से क्लास-वन बना दिया, क्लास वन ऑफिसर को रैगुलर ट्रीट कर लिया और इसको पब्लिक सर्विस कमीशन ने एप्रूव कर दिया । अगर हम यह अमैंडमैंट नहीं लाएंगे तो एक्सीयन चीफ इंजीनियर बन जाएगा और चीफ इंजीनियर, एक्सीयन बन जाएगा । जिस कारण विभाग को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा । जो क्लास वन एग्जैक्टिव इंजीनियर हैं और जो एस०डी०ओ०, एक्सीयन रहे हैं, वे सीनियर आदमी से इस हिसाब से ऊपर आ जाएंगे तो फिर चीफ इंजीनियर का कहना कौन मानेगा ? यदि एक सिपाही को डी०जी०पी० लगा दिया जाए तो फिर जो उस सिपाही से ऊपर के अफसर हैं, जिनको इग्नोर करके उस सिपाही को डी०जी०पी० लगाया गया, उसका कहना कौन मानेगा ? कहना नहीं मानेगा तो काम कैसे चलेगा ? इसलिए इस बिल को लाना बहुत जरूरी था । इस बिल से किसी को नुकसान होने वाला नहीं है । इसलिए इस चीज को मद्देनजर रखते हुए रिट्रोस्पैक्टिव डेट से यह बिल लाना पड़ा है । उस समय के 2 क्लास-वन ऑफिसर हमारे पास अब भी हैं । उनमें से एक तो अब इंजीनियर इन चीफ है । हमारे विभाग में 14 क्लास-वन ऑफिसर हैं । चौधरी सम्पत सिंह जी ने व चौधरी बंसी लाल जी ने बोलते हुए कह दिया कि वे सारे के सारे रिटायर हो गए हैं ।

चौधरी बंसी लाल : मैंने कहा कि कोई रिटायर हो गया होगा, कोई मर गया होगा ।

Chaudhri Amar Singh : Speaker Sir, Shri Raja Ram joined the department as Sub Divisional Engineer (as Assistant Executive Engineer) in 1971 but Hon'ble Supreme Court has given seniority above Shri S.P. Grover, who was on the verge of becoming Superintending Engineer in 1971. Shri S. P. Grover joined the department in 1955 and Shri Raja Ram was at that time used to be student of primary classes. Shri S.P. Grover remained Chief Engineer/Superintending Engineer/Executive Engineer of Shri Raja Ram. This anomally has occurred because Hon'ble Supreme Court interpreted the date of joining of Assistant Executive Engineer as Executive Engineer, whereas as per rules, an officer

is supposed to complete probation of 2 years besides passing departmental examination and 5 years of service before taking over as Executive Engineer. This also contradict the provision of recruitment of Executive Engineer directly. स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर्ज को मैं इतना चाहता हूं कि इस बिल से किसी को न कोई नुकसान और न कोई लाभ होने वाला है। हम इस बिल से जो पब्लिक हैल्थ, पी0डब्ल्यू0डी0 और सिंचाई विभाग के अधिकारियों में हार्डशिप थी, उसको दूर करने के लिए और सैंचुरल जस्टिस देने के लिए यह बिल लाए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Service of Engineers Class I Public Works Department (Buildings and Roads Branch), (Public Health Branch) and (Irrigation Branch), respectively Bill, 1995 be introduced.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Public Works (B&R) Minister will move the motion for its consideration.

Public Works (B&R) Minister : Sir, I also move—

That the Haryana Service of Engineers Class I, Public Works Department (Buildings and Roads Branch), (Public Health Branch) and (Irrigation Branch) respectively, Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Service of Engineers, Class I, Public Works Department (Building & Roads Branch), (Public Health Branch) and (Irrigation Branch) respectively, Bill be taken into consideration at once.

प्रो0 सम्पत सिंह (भट्टू कलां) : स्पीकर सर, अभी चौधरी अमर सिंह जी कह रहे थे कि डिपार्टमैंट्स की हार्डशिप को दूर करने के लिए यह बिल लाए हैं। स्पीकर सर, हार्डशिप के बैस्ट जज क्या चौधरी अमर सिंह जी हैं? इसका बैस्ट जज तो सुप्रीम कोर्ट है। जो भी कानून कायदे या हुक्म जारी होते हैं, उनकी हार्डशिप को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। इस केस में जिनको हार्डशिप थी, जिसके बारे में यह कह रहे हैं, they went upto Supreme Court also और वहां उन्होंने सारी दलीलें दी हैं। आज चौधरी अमर सिंह जी शायद कुछ दलीलें भूल गए होंगे। साथ में इन्होंने एक रिटन पेपर पढ़ दिया, कुछ भूल गए होंगे। स्पीकर सर, कोर्ट में कितने आरगूमैंट्स हुए होंगे, गवर्नमैंट ने इस पर इतना जबरदस्त खर्चा भी किया होगा। जो लोग इससे अफैक्टिड थे, उनके प्राईवेट वकील भी होंगे जिन्होंने आरगूमैंट्स किए होंगे। (विघ्न) स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अन्दर पूरी वकालत भी की होगी और जो आरगूमैंट्स इन लोगों ने देने थे, वे भी इन्होंने वहां दिए होंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के

[प्रो० सम्पत सिंह]

आनरेबल जज ने फैसला दे दिया । अब हार्डशिप तो इस आर०आर० ग्रेशन के साथ थी, न कि किसी और के साथ । अब इन्होंने मिस्टर ग्रोवर का जिक्र कर दिया, वे आनरेबल इंजीनियर रहे हैं जो अब तक रिटायर हो गए होंगे, अब ये कह रहे हैं कि उनको हार्डशिप ही रही थी । लेकिन आज तो उनको कोई हार्डशिप नहीं है (विघ्न) स्पीकर सर, सरकार ने उनकी फैवर दे दी अब और क्यों फैवर करना चाहते हैं ? मेरे कहने का मतलब यह है कि इन्होंने उसको टू मेक मोर सीरियस कहा कि वह आदमी कच्छे में था या फलां था, अब एग्जैक्टिव इंजीनियर बन गया, यह हो गया, और वह हो गया । स्पीकर सर, वह बात भी सुप्रीम कोर्ट में आई होगी । जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी कच्छे की बात को नहीं माना तो आज इस बात को ले कर ये क्यों बजिद्द हैं ? फिर इन्होंने एग्जामिनेशन और प्रोबेशन की बात की । चौधरी अमर सिंह जी ने शायद इसको डीपली स्टडी नहीं किया होगा । स्पीकर सर, ये रूल्ज कोई आज के नहीं हैं । ये रूल्ज 1960 के हैं और और इनमें क्लीयर कट यह लिखा हुआ था कि एग्जैक्टिव इंजीनियर कैसे एप्वायंट होंगे—डाई पदमोशन होंगे, एस०डी०ओ० की कम से कम दो साल की प्रोबेशन होगी और कम से कम 5 साल की सर्विस होगी, then they will be promoted as Executive Engineer. यह उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन की जरूरत थी और 50 प्रतिशत डायरैक्ट रिक्रूटमैंट । डायरैक्ट रिक्रूटमैंट एच०पी०एस०सी० या दैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर एग्जामिनेशन दे कर क्लास-1 का एग्जाम पास करेंगे, then they will be recruited directly. तो स्पीकर सर, इसमें प्रोबेशन की बात नहीं थी, प्रोमोशन के अन्दर प्रोबेशन की बात है । स्पीकर सर, दूसरी बात चौधरी अमर सिंह जी ने पेपर से पढ़ी जो रफ कागज इनके आगे अफसरों ने कर दिया वही पढ़ दिया । क्या किसी ने जेल भुगतनी है, इनको किसी ने गलत कागज दे दिया । आखिर में इनकी वो बात भी मान ली । स्पीकर सर, वह बात भी आनरेबल कोर्ट में जरूर आई होगी । आज गवर्नमैंट चाहती है कि उस आदमी को नुकसान पहुंचाया जाए । स्पीकर सर, एग्जाम में आम आदमी नहीं आ पाता, जो आते हैं, वे बड़े इन्टैलिजैंट इंजीनियरज होते हैं । उनका बड़ा टफ एग्जाम होता है, उसके बाद वे आते हैं । वहां यह नहीं कि फलां पुलिस अफसर को डी०जी० बना दिया । इस सरकार में तो ऐसे लोग भी हैं जो सिपाही मुअत्तिल हैं या हवलदार मुअत्तिल हैं, लेकिन बाद में मिनिस्टर भी बन गए, होम मिनिस्टर बन गए, टीचर सस्पैंड हैं लेकिन बाद में एजुकेशन मिनिस्टर बन जाते हैं । सवाल यह नहीं है कि कौन क्या बन गया । हर आदमी को प्रोग्रैस करने का अधिकार है लेकिन इसके कारण नियम को ताक पर नहीं रखा जाता है । हर आदमी को राईट है, वह अपनी प्रोग्रैस कर सकता है, आगे जा सकता है इसलिए यह बात कोई मायने नहीं रखती कि कौन कहां था और कहां आ कर बैठ गया । यह बात आनरेबल जज ने देखनी थी । स्पीकर साहब, इसी तरीके से यहां पर कंटैम्पट आफ कोर्ट की

बात आ रही थी । कंटैम्पट का फैसला 1992 में हो गया था और उसके बाद इन्होंने उसको परमोट करने में 3 साल इन्तजार की और फैसला होने के बावजूद उसको 1995 तक परमोट नहीं किया । अब आपने उसको परमोट कर दिया और अभी परमोट किए हुए 30 दिन ही हुए थे कि आप आज यह आर्डीनेंस ले आए । आप इसको पहले क्यों नहीं लेकर आए ? आप कहते हैं कि हम किसी को नुक्सान नहीं पहुंचाना चाहते हैं लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि आप तो नुकसान ही पहुंचाते हैं । आप यह कहते हैं कि इंजीनियर्ज ने एसोसिएशन बनाई है, शायद इस केस से लड़ने के लिए एसोसिएशन बनाई है । आज उन्होंने पता नहीं क्या-क्या करके, सरकार के साथ नैगोसिएशन करके या अपना केस आगे प्लीड करने या अपने केस में कोन्यू होने के लिए कोई न कोई डील जरूर की है, अदरवाईज आप इसमें इतना इन्ट्रस्ट क्यों लेते ? मंत्री जी, सब लोगों को मालूम है कि उन इंजीनियर्ज ने क्या-क्या आपके सामने पेशकश की है और क्या-क्या हुआ है । अध्यक्ष महोदय, इस तरह से किसी आदमी के फंडामैंटल राईट को खत्म करना बहुत ही गलत बात है । स्पीकर साहब, इनके द्वारा कोर्ट की जजमैंट, इनका सोचने का तरीका, उसको लेने का तरीका सबका अपना अपना होता है । किसी मामले में कुछ, किसी में कुछ कह देते हैं, किसी में कुछ काईटेरिया और किसी में कुछ काईटेरिया अपनाते हैं । इस तरह से अगर आप मैरिट को अवाइड करेंगे तो ठीक बात नहीं है । यह मर्जी से काम करते रहते हैं । अगर आप कहें तो मैं आपको बता देता हूं कि इनकी मर्जी कहां-कहां पर आई है । (विघ्न) मैं आपको क्लाज-बाई-क्लाज बता देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : यह आप बाद में बता देना ।

प्रो0 सम्पत सिंह : ठीक है जी । अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो पैरा नं0 2 के बारे में आब्जैक्टस एण्ड रीजनज में लिखा है—

> "Thus the directions of the Supreme Court in the case of B&R Branch had created a lot of Administrative problems with certain very junior officers getting undue seniority and becoming senior to the officers under whom they were previously working."

स्पीकर साहब, उनको अधिकार है और ये कह सकते हैं कि उन लोगों ने अन-ड्यू सिनयोरिटी ली है । अन-ड्यू सिनयोरिटी तो 20–22 साल पहले उन लोगों ने ली थी जो उससे जूनियर थे । अध्यक्ष महोदय, जो आदमी खुद यह कह रहा है कि उसने 1971 में क्लास–1 की पोस्ट हासिल की है और आज जिस आदमी को 24 साल बाद उसका हक मिला है जो उसे 1971 में मिलना चाहिए था, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने उस को उसके नीचे उतारा तो इन्हें इस बात की तकलीफ हो रही है । यह तकलीफ इनसे इस तरह से दूर नहीं होगी । मैं चौधरी अमर सिंह जी को दोबारा बताना चाहता हूं कि आप अगर इधर से उधर करें तो इसका मतलब

[श्री० सम्पत सिंह]

यह नहीं कि आपका हमारे से सम्पर्क टूट गया है। आप हमारे साथी हो। मैं तो आपको सिन्सीयर और ऑनैस्ट राय देना चाहता हूं। आप खुद वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप उस रामा स्वामी जज की जजमैंट को न भूलें। अगर कल को उन्होंने सजा सुना दी तो हमें भी तकलीफ होगी, हमें भी ठेस पहुंचेगी। आपके साथ नेहरा साहब को भी सजा होगी क्योंकि इनके पास इरिगेशन डिपार्टमैंट है लेकिन ये यह कह कर बच जाएंगे कि यह बिल चौधरी अमर सिंह लेकर आए थे, मैं नहीं लेकर आया था। अध्यक्ष महोदय, इनके साथ तीन सीनियर आफिसर भी मारे जाएंगे। एक तो इरिगेशन कमिश्नर, पब्लिक हैल्थ कमिश्नर और बी० एण्ड आर० कमिश्नर को भी सजा हो सकती है। इसलिए स्पीकर सर, जब ये बार बार भुगत चुके हैं तो इनको इन बातों से बचना चाहिए। सर, एक आदमी जो जेल में बैठा है, उसी जज की जजमैंट की वजह से, तो हम नहीं चाहते हैं कि चौधरी अमर सिंह जी भी इसी तरह से जेल में जाएं। वैसे यह बात यह सरकार, नेहरा साहब और भजन लाल जी भी चाहते हैं, इसीलिए यह बिल ये स्वयं लेकर नहीं आए हैं वरना स्वयं लेकर आते या फिर और भी वजीर हैं, वे लेकर आते।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 15 मिनट और बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 15 मिनट और बढ़ाया जाता है।

बिल्ज (पुनरारम्भ)

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा) : स्पीकर सर, आप इनसे कहें कि ये रैलेवैन्ट ही बोलें।

श्री० सम्पत सिंह : यह सब रैलेवैन्ट ही है, और क्या रैलेवैन्ट होगा ? (विघ्न) श्रीमती शांति राठी के पास भी महकमा है, वे इस भली औरत को भी फंसाएंगे, उसको बलि का बकरा बनाएंगे। (व्यवधान)

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, क्या यह रैलेवैन्ट है ? बलि का बकरा बनाने वाली कोई बात नहीं है । ये तो यूं ही बता रहें हैं । सम्पत सिंह जी आपने भी तो बहुत से एक्ट बनाए थे, जो नल एंड वाइड हुए हैं । अगर ऐसा होता तो आप भी जेल में ही होते, जेल से बाहर न निकलते । आपने जो एक्ट बनाए थे, उसमें से बहुत से एक्ट्स में सुप्रीम कोर्ट ने उलट कहा है, इस तरह अब तक तो आप भी जेल में ही होते । (विघ्न)

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Service of Engineers, Class I Public Works Department (Buildings and Roads Branch) (Public Health Branch) and (Irrigation Branch) respectively Bill, be taken into considration at once.

The motion was cerried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the bill Clause by Clause.

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं सभी क्लाजिज पर इक्ट्ठा ही बोल लेता हूं। इस बिल की सब-क्लाज 2 आफ क्लाज 5 में इन्होंने यह लिखा है कि—

"(2) Recruitment to the Service shall be so regulated that the number of posts filled by promotion from Class II service shall not exceed 50% of the strength of service excluding the posts of Assistant Executive Engineers:

Provided that if adequate number of Assistant Executive Engineers, who are eligible and fit for promotion are not available, the posts in service even beyond 50% shall be filled up by promotion of members of Class II service or by transfer as may be decided by the Government."

इसके बाद एक क्लाज में तो इन्होंने यह प्रोवीजन कर दिया परन्तु आगे चलकर इन्होंने सब-क्लाज सात में यह लिखा है कि—

"(7) That in exceptional circumstances, for reasons to be recorded in writing, Government will have the powers to alter the percentage specified in sub-section (2) of this Section."

वाक आऊट

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । सर-हिन्दुस्तान के विधान में कानून बनाने के तीन तरीके हैं एक तो असेम्बली से, दूसरा

[चौधरी बंसी लाल]

एग्जैक्टिव से और तीसरा जूडीशियरी से । जूडीशियरी से जो रूलिंग आ जाती है, वह कानून बन जाता है । इसी किस्म के केस में जैसे लोडर आफ दी अपोजीशन ने बताया कि ऐसे ही एक केस में एक सैक्रेटरी को सजा भी सुप्रीम कोर्ट ने की है । यह सजा उसी बैंच ने की है जिसका यह फैसला था । तो मैं यह समझता हूं कि ऐसा बिल नहीं लाना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस बिल के ओब्जेक्टरीस एण्ड रीजंज में सीधा लिखा है कि इस बिल का परपज यही है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, जजमैंट को नल एण्ड वायड किया जाए, उसको डिफीट किया जाए । इस किस्म के कानून को बनाने के लिए या पास करने के लिए अगर असैम्बली इजाजत दे देती है तो हम इस बिल को पास करने में पार्टी नहीं बनना चाहते, इसलिए इसके विरोध में वाक आउट करते हैं ।

(इस समय श्री बंसी लाल सहित हरियाणा विकास पार्टी के समस्त उपस्थित सदस्य इस बिल के विरोध में वाक आउट कर गए)

बिल्ज (पुनरारम्भ)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जो यह क्लाज सात है, इसमें आपने देखा है कि कितनी आर्बीट्रेरी है । मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूं—

At page 5, sub-clause (7) of clause 5 reads as under :—

> "That in exceptional circumstances, for reasons to be recorded in writing, Government will have the power to alter the percentage specified in sub-section (2) of this section."

इसमें लिखा है कि परमोशन कोटे को आल्टर किया जा सकता है, उसको चेन्ज किया जा सकता है और वह भी टाईम टू टाईम । इसमें सिर्फ रीजन ही लिखते हैं, रीजन लिखने का मतलब क्या है ? इसका मतलब यह है कि अगर सरकार कुछ पोस्टों को परमोशन के द्वारा देना चाहती है तो जो सरकार कह देगी, वह कर देगी कि हम ने इस डायरैक्ट कोटे को कम किया है और फलां कर्मचारी को परमोट कर दिया । इसी तरह कल को सरकार यह भी कह देगी कि डायरैक्ट कोटे को हम ज्यादा मौका देना चाहते हैं तो इस परसैन्टेज को 50 परसैन्ट पर ले आएगी । इसका मतलब यह हुआ कि सरकार को इस बात की डिसक्रीशन मिल गयी है । इस तरह से सरकार को डिसक्रीशन देना एक गलत बात होगी, वरना सरकार कल को दो परसैन्ट तक भी कर देगी । 20 पोस्टें एग्जैक्टिव इंजीनियर्ज की खाली पड़ी हैं और एक तरफ 10-10 जानी है परन्तु सरकार यह चाह रही है कि उनमें से 19 परमोशन द्वारा भरनी है तो भर लेगी और अगर सरकार चाहेगी कि 10 ही भरनी हैं तो 10 ही भरेगी । यह तो स्पीकर साहब, अपने आप ही आर्बीट्रेरी हो गया । इतनी डिस-क्रीशनरी पावर्ज हम सरकार को देने जा रहे हैं । या तो यह क्लीयर कट इसके

अन्दर आ जाता कि 'नो' 50 परसैन्ट को हम नहीं मानते, हम तो 25 डायरैक्ट करेंगे या 10 डायरैक्ट करेंगे या पांच करेंगे, लेकिन स्पीकर साहब, इसको आल्टर करने का सारा हक सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, यह गल्त बात है। जो कुछ सरकार कहेगी, अपनी मर्जी से करेगी। स्पीकर साहब, आप भी हाउस की ओर देख लें, बहुत से ऐसे मैम्बर्ज इनकी तरफ के हैं जिनको मैं देख रहा हूं कि वे मेरी हां में हां मिला रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वे पार्टी के बन्धन से बन्धे हुए हैं लेकिन वे किसी कारण से बोल नहीं रहे हैं। कैबिनिट का जो फैसला होता है, वह सब को मान्य होता है, चाहे वह गल्त ही क्यों न हो। इनकी ओर से 6 सात मिनिस्टर्ज जैसाकि मैंने देखा है, वे मेरी हां में हां मिलाकर अपना सिर हिला रहे हैं। (शोर) दूसरी बात यह है कि जो इंजीनियर्ज हरियाणा की यूनिवर्सिटीज से पास करेंगे बी0ई0, एम0ई0 करेंगे, चाहे वे मूरथल कालेज है, चाहे कुरुक्षेत्र का इंजीनियरिंग कालेज है, चाहे हिसार का इंजीनियरिंग कालेज है, वे हरियाणा में नौकरी पाने योग्य नहीं होंगे। (शोर) चौधरी अमर सिंह जी, जब यह बिल आ रहा था, शायद आपने बिल बनाते वक्त ध्यान नहीं किया। मैं इस बिल की क्लाज 6 का पार्ट (ए) आपको पढ़कर सुना देता हूं—

"(a) in case of appointment by direct recruitment, possesses one of the University degree or other qualifications as specified in Appendix B of this Act....."

अपैनडिक्स (बी) में दिया हुआ है कि इन यूनिवर्सिटीज से जो बी0ई0 करेगा, उन को डायरैक्ट रिक्रूट किया जाएगा। इसी अपैनडैक्स (बी) में अगर आप देखेंगे तो आप को पता चलेगा कि कहीं पर भी हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिया है। मुझे तो कहीं पर दिखायी नहीं दिया। सारी रात मैं खपता रहा और देखता रहा, मुझे कहीं पर भी हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी का नाम दिखायी नहीं दिया। इसका मतलब यह हुआ कि जिस आदमी ने बी0ई0 किसी हरियाणा की यूनिवर्सिटी से की हुई है, वह इसके लिए एलिजीबल नहीं होगा। चौधरी अमर सिंह जी, बिल के पेज 16 को आप खोल कर देख लें, आपको पता लग जाएगा। इस पर देश की, विदेश की यूनिवर्सिटीज का जिकर है लेकिन हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी का जिकर कहीं पर नहीं है। या तो यह इनके पार्ट पर लैप्स हो गया है या फिर 1960 का पुराना जो एक्ट था, वह इन्होंने यूं का यूं उठाकर ठीक दिया। कहीं हरियाणा की यूनिवर्सिटी का जिकर हो तो मैं इसके लिए देनदार हूं। स्पीकर साहब, 16 से 19 पेजों पर इन यूनिवर्सिटीज के नाम हैं लेकिन इसमें हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारी यूनिवर्सिटीज से जो लड़के डिग्रीज लेंगे, उनको कोई फायदा नहीं होगा और वे हरियाणा में अप्वायंट नहीं हो सकेंगे। इसलिए मैं अपनी बात को जस्टीफाई करता हूं कि ये लोग जल्दी में इस बिल को लेकर आए हैं। जब जल्दी में बात होती है तो आदमी अंधा हो जाता है, किसी बात को गहराई से पकड़ता नहीं है। इस बिल के जरिए ये बच्चों का

[प्रो० सम्पत सिंह]

फ्यूचर खत्म करना चाहते हैं। क्या ये इसी तरह से न्याय करेंगे ? क्या फायदा है हमारी यूनिवर्सिटीज को इतनी इतनी ग्रांटस देने का ? आपको पता है कि रात को पढ़ पढ़ कर बच्चों की आंखें अन्धी हो जाती हैं, उसके बाद वे इंजीनियर बनते हैं। आप ही बताएं कि इस बिल में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी का नाम आया है ? इस तरह से यह लोग आर्बिट्रेरी एक्शन लेने जा रहे हैं और बिल को जल्दी में पास करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इन लोगों को अपने कदम यहीं रोक देने चाहिएं और यह बिल वापिस लेना चाहिए।

लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मन्त्री (चौधरी अमर सिंह) : स्पीकर साहब, यह बिल 1960 के रूल के मुताबिक है। हमारे यहां अभी भी बहुत से एक्ट हैं जो पुराने नाम से ही चल रहे हैं। जैसे कामन पंजाब लैंड एक्ट है। इसी तरह से दूसरे एक्ट हैं जिनमें पंजाब का नाम होता है। पंजाब इनवलूंडिंग हरियाणा है। तो 1960 के रूल के मुताबिक यह सारा शैप आउट हुआ है। इसलिए हरियाणा को इगनोर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

प्रो० सम्पत सिंह : इसमें तो हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी का जिक्र ही नहीं है ?

Chaudhri Amar Singh : At page 19 of this Bill, it is mentioned.

"C. The examination for such other Diploma or Distinction in Engineering as the Government of Haryana in the concerned Department or the advice of the Commission may specify in this behalf."

प्रो० सम्पत सिंह : इसका क्या मतलब है, यह तो अलग बात है ? जब इतनी यूनिवर्सिटीज के नाम इसमें हैं तो हरियाणा का नाम क्यों नहीं है ? अगर कल को कोई आर्बिट्रेरी सरकार आ जाती है तो वह कह देगी कि हम इस यूनिवर्सिटी को नहीं मानेंगे। आप इस बात को गवर्नमैंट और डिपार्टमैंट पर क्यों छोड़ रहे हैं ?

चौधरी अमर सिंह : स्पीकर साहब, ये रैपीटिशन इतनी करते हैं कि दूसरे को बोलने ही नहीं देते और इनकी अनाप-शनाप, बेबुनियाद इल्जाम लगाने की आदत है।

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : If you will read part (C) of Appendix B, then you will realise and come to the conclusion that whatever Shri Amar Singh was saying is correct. In part (C), it is mentioned—

"The examination for such other Diploma or Distinction in Engineering as the Government of Haryana in the concerned Department. . . . . "

It means the concerned department. There are three departments. Obviously when there are three departments then the concerned department can have this discretion. इसके साथ

ही इसमें हरियाणा कमिशन को एडवाइस का भी जिक्र है । तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इसमें यह बात कवर-अप होती है । मान लिया कल को कोई नया इंजीनियरिंग कालेज बनाया जाता है, क्योंकि तीन साल के बाद और नई टैक्नीकल एजूकेशन आ जाएगी और उसके हिसाब से नया इंजीनियरिंग कालेज बन जाएगा । तो इसका मतलब यही है कि जो गवर्नमैंट नोटिफाई करेगी, वह माना जाएगा । जहां तक इंजीनियरिंग कालेज का सवाल है, हरियाणा सरकार का ज्यादा स्ट्रैस यही है कि स्टेट में ज्यादातर इंजीनियरिंग कालेज खोले जाएं और स्टेट में टैक्नीकल एजूकेशन ज्यादा से ज्यादा हो । यह प्रावधान भी इसमें कवर्ड-अप है ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर हाउस सहमत हो तो हाउस का समय 10 मिनट और बढ़ा दिया जाए ।

आवाजें : ठीक है जी ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 10 मिनट और बढ़ाया जाता है ।

बिल्ज (पुनरारम्भ)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, अगर नेहरा साहब जी की बात को मान लिया जाए तो फिर मैं कहना चाहता हूं कि पार्ट ए० एण्ड बी० की क्या जरूरत है ? यह गवर्नमैंट को ही करना है तो इस क्वालिफिकेशन के आदमी, चाहे उन्होंने कहीं से ऐग्जाम पास की हो, को इन्ट्रव्यू के लिए बुला सकते हैं ।

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, ए० एण्ड बी० की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो बोगस सर्टिफिकेट देती हैं । इन के बारे में आज भी बहुत सी इन्कवायरी चल रही हैं । इरीगेशन डिपार्टमैंट, पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट और पी० डब्ल्यू० डी० में बहुत से लोग नेपाल की यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट ले आए हैं और वे कहते हैं कि हम यहां एग्जाम देंगे, लेकिन कमिशन के पास उनके नाम नहीं हैं । पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट में कम से कम 50 ऐसी इंक्वायरी चल रही हैं जिनके पास बोगस सर्टिफिकेट हैं, वे लोग सर्विस में भी लग गए । इसलिए यह स्पैसिफाई करना जरूरी था । हम भी अपना स्पैसिफिकेशन करें, क्या पता, हम दो कालेज आगे और खोलेंगे या तीन खोलेंगे या एक खोलेंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से जो असिस्टैंस आ रही है, वह बहुत ज्यादा तादाद में आ रही है । इसीलिए हिसार में यह यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ी है । मेरी गुजारिश है कि इसमें सारी बातें कवर अप होती हैं ।

[चौधरी जगदीश नेहरा]

मेरे विरोधी पक्ष के भाई केवल इसका विरोध करने के लिए ऐसा कह रहे हैं । मेन मुद्दा यही है कि तीनों डिपार्टमैंट्स में जो रेशो है, वह पचास परसैंट बाई परमोशन है और पचास परसैंट बाई डायरैक्ट रिक्रूटमैंट । इस बिल को लाने की यही वजह है । This is the clinching point which is coming up in all these clauses. पचास परसैंट बाई परोमोशन है । परोमोशन में तो जो ज0ई0 हैं, एस0डी0ओ0 हैं और एक्सीयन हैं, वे प्रमोट हो जाते हैं लेकिन जो डायरैक्ट रिक्रूटमैंट है, उसके लिए एच0पी0एस0सी0 रिक्रूटमैंट करता नहीं है । He himself has admitted. कि 1971 में डायरैक्ट रिक्रूटमैंट के लिए एग्जाम हुए और उसके बाद 1977 में हुए । उन 6 सालों में जो 50 परसैंट बाई डायरैक्ट रिक्रूटमैंट का कोटा है, वह कहां जाएगा और जो बाई परमोशन का 50 परसैंट कोटा है वह पूरा कर लिया तो वे लोग कहां से कहां चले जाएंगे । इसमें एक आदमी नहीं है, इसमें दो चार आदमी इन्वाल्वड हैं । इसके अलावा जो एक्स काडर पोस्टें हैं, उन्होंने भी 50 परसैंट कोटे में से 30 या 40 परसैंट कोटा ले रखा है । जो 70-80 परसैंट कोटे वाले ओफिसर्ज हैं, वे आज एस0ई0 बन गए, कई चीफ इंजीनियर बन गए और बहुत से रिटायर भी हो गए । जो डायरैक्ट रिक्रूटमैंट का 50 परसैंट कोटा है, उसमें अगर आज कोई परमोट होता है तो वह नई रिक्रूटमैंट तक पता नहीं कहां का कहां चला जाएगा । इसलिए स्पीकर साहब, जो इन्होंने क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन की है, इसको मैं स्पैसिफाई करूंगा । जो क्लाज पांच है, उसका (बी) पार्ट है और उसमें आगे प्रोवाइडिड भी है । उसमें क्लिचिंग प्वायंट यह है कि

> "Provided that if adequate number of Assistant Executive Engineer, who are eligible and fit for promotion are not available....."

डायरैक्ट रिक्रूटमैंट में यदि ए0ई0ई0 अवेलेबल नहीं होगा तो लिखा है—

> "..the posts in Service even beyond 50% shall be filled up by promotion of members of Class II service or by transfer as may be decided by Government."

हमारे इरीगेशन डिपार्टमैंट में 108 एस0डी0ओज0 की पोस्टें खाली पड़ी हैं लेकिन हम किसी को परमोट नहीं कर सकते । क्यों नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है । हम 40 आदमियों को परमोट कर सकते हैं लेकिन जो 60 पोस्टें डायरैक्ट रिक्रूटमैंट की हैं, हम उनको नहीं भर सकते । यह मैं एस0डी0ओ0 क्लास टू की पोस्ट पर परमोशन के बारे में कह रहा हूं । इसी तरह से एक्जैक्टिव इंजीनियर की बात है । ए0ई0ई0 एक साल में दो आ गए या चार आ गए एक साल में । आप इरीगेशन डिपार्टमैंट को ही ले लीजिए । इरीगेशन डिपार्टमैंट में

144 एग्जैक्टिव इंजीनियर हैं और 364 एस0डी0ओ0 परोमोशन में आने के लिए तैयार बैठे हैं और उधर उन दो आदमियों का बैलेंस कैसे होगा ? इसके आगे क्लाज-7 में यह ओब्जैक्शन है जिस के बारे में ये सरकार पर इलजाम लगाते हैं, that is In exceptional circumstances. एक तरफ तो 40–50 पोस्टें खाली रह गयी और जो पोस्टें खाली हैं, इन पर सरकार कोई परमोशन नहीं कर सकेगी जब तक उनकी परसैन्टेज तबदील न की जा सके, इसलिए यह क्लाज लायी गई है । इसमें एक दो आफिसर्ज को इनकन्वीनियंस हो सकती हैं और जो परमोटी हैं, उनका भी नुकसान न हो, इसलिए यह बिल लाया गया है ।

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात कही कि कुछ बोगस यूनिवर्सिटीज हैं । (विघ्न) जिन जिन यूनिवर्सिटीज को आप ठीक समझते हैं उनकी बाकायदा एक लिस्ट जारी होनी चाहिए । उनका नाम आना चाहिए । ज्यों ज्यों नई यूनिवर्सिटीज बनती हैं या कालेजिज बनते हैं, उनका नाम भी जोड़ लिया जाता है । इनको किसी यूनिवर्सिटीज का नाम देने में क्या एतराज है ? मेरे कहने का मतलब है कि जो कोई नया कालेज खुलेगा वह किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अधीन तो होगा ही । दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो 50–50 परसैंट विकेंसीज रखी हैं, वह कोटा तो अब भी आपने रखा है, 50 परसैंट कोटा रख कर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं । गवर्नमैंट ने हर साल एग्जाम क्यों नहीं लिए ? अध्यक्ष महोदय, ज्यूडिशिरी में भी परमोशन है और डायरैक्ट रिक्रूटमैंट के पर्सेन्सट भी आते हैं । आप भी वकील हैं, ज्यूडिशिरी के अन्दर एडीशनल सैशन जज डायरैक्ट तथा परमोशन से भी आते हैं । जिस दिन से एडीशनल पोस्ट खाली है, उसी दिन से उसको लागू माना जाता है । इनका यह कहना ना वाजिब है कि इसे पास कर दिया जाए । जिसने 20–25 साल लड़ाई लड़ी है, वह कुछ तो [2–3 साल में रिटायर हो गए, उन्होंने सारी उमर लड़ाई लड़ी है । अगर उनको परमोशन मिल जाए तो एतराज क्या होगा ? इन्होंने एनुअल एग्जामिनेशन कराने का सिस्टम एडोप्ट नहीं किया और यदि नहीं किया तो इसमें किसी इंडीविजुअल का क्या दोष है ? जिस जिस साल जितनी विकेंसीज आती रहें, उन विकेंसीज के हिसाब से सालाना एग्जामिनेशन कराते रहे । किसी साल 10 आ जायें, किसी साल 20 आ जायेंगे तो फिर किसी को कोई एतराज नहीं होगा ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर हाउस की सहमति हो तो हाउस की कार्यवाही पांच मिनट और बढ़ा दी जाए ।

आवाजें : ठीक है ।

श्री अध्यक्ष : हाउस का टाईम पांच मिनट के लिए बढ़ाया जाता है। (विघ्न)

वाक आऊट

प्रो० सम्पत सिंह : यह बिल सरकार की मन्शा को जाहिर करता है। इसलिए मैं चौधरी अमर सिंह जी तथा सरकार से कहूंगा कि वे इस बिल को वापिस ले लें। The Government should take back this Bill as this Bill is biased, discriminatory, arbitrary and against the fundamental rights. इसलिए हम सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय जनता पार्टी के उपस्थित सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर गए)।

बिल्ज़ (पुनरारम्भ)

Sub-clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause (3) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (3) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 25

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 2 to 25 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the P.W.D. (B&R) Minister will move that the Bill be passed.

Public Works (B&R) Minister (Chaudhri Amar Singh) : Speaker, Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि आपने उनके नो-कांफिडैंस मोशन को इन आर्डर कहा है लेकिन रूल के तहत बाद में उनकी गिनती होनी थी ।

श्री अध्यक्ष : वह आज नहीं कल होनी है । (विघ्न)

The leave shall be granted tomorrow.

चौधरी जगदीश नेहरा : आपने नो-कांफिडैंस मोशन के वक्त कहा था यह इन आर्डर होना चाहिए । उसके लिए गिनती होनी है ।

श्री अध्यक्ष : कल का बिजनैस लास्ट में आएगा ।

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, आप उसके लिए टाईम अलाट करेंगे तभी उस पर डिस्कशन हो सकेगी । आप रूल 65(2) देखिए । इसमें लिखा है :-

"If the Speaker is of opinion that the motion is in order he shall read the motion to the Assembly and shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places, and if not less than eighteen members rise accordingly, the Speaker shall intimate that leave is granted and that the motion will be taken on such day, not being more than ten days from the day on which the leave is asked, as he may appoint. If less than eighteen members rise, the Speaker shall inform the member that he has not the leave of the Assembly."

श्री अध्यक्ष : यह कल के लिए है ।

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, आपने इसके लिए 1.00 बजे के लिए कहा था । आपने इसको एडमिट नहीं किया था । मैं ऐतराज कर रहा था । उन्होंने मोशन मूव नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष : वह मैंने कल के लिए कहा था । Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M., tomorrow, the 29th September, 1995.

16.00 hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. the 29th September, 1995.)

27392—H.V.S.—H.G.P., Chd.